KOCHI METRO RAIL LIMITED

ANNUAL **REPORT**

2019-2020

विषय सूची

		पृष्ठ सं.
1	वार्षिक आम बैठक की सूचना	04
2	अध्यक्ष का संदेश	07
3	बोर्ड की रिपोर्ट	10
4	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	49
5	निगमित अभिशासन की रिपोर्ट	50
6	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	58
7	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	64
8	वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरण	70

पंजीकृत कार्यालय

4 वां तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची – ६८२०१७
केरल, भारत
दूरभाष :+91 484 2846700 / 2846770
फैक्स सं.: +91 484 2970810
www.kochimetro.org

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स के. वेंकटाचलम ऐयरएवं कंपनी, शासनपत्रित लेखाकार
बिल्डिंग सं.41/3647 बी, पहला तल,
ब्लूबर्ड टवर्स, प्रोविडेंस रोड,
कोच्ची –682018

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स विवेक शरत एवं नौफल,
व्यवसायरत कंपनी सचिवों का फर्म
डोर सं.28/3655, सनोरो चर्च रोड,
मेट्रो पिल्लर #824, राडिस्सन ब्लू के सामने
एलमकुलम, कोचीन– 682020.

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स पी. परीख एवं एससोसियट्स शासनपत्रित लेखाकार,
दूसरा तल, कोडुवत्तरा लेन बिल्डिंग
कोडुवत्तरा लेन, सिविल लेन रोड, कोच्ची – 682025

कंपनी सचिव

श्याम सुंदर अग्रवाल

हमारा बैंक

केनरा बैंक | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर
इंडियन बैंक | एचडीएफ़सी बैंक लिमिटेड | एक्सिस बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | फेडरल बैंक लिमिटेड | धनलेक्ष्मी बैंक लिमिटेड
केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

निदेशक मण्डल
(28 जुलाई 2020 तक)

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	:	अध्यक्ष, कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कमरा सं. 122 सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली
श्री जैदीप	:	ओएसडी(यू टी)एवं पदेन संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कमरा सं.00आईसी, निर्माण भवन, नई दिल्ली
श्रीमती सुजाता जयराज	:	निदेशक (वित्त), चेन्नै मेट्रो रेल लिमिटेड, कोयम्बेडु, चेन्नै.
श्री डी के सैनी	:	निदेशक (परियोजना) डीएमआरसी,मेट्रो भवन, फ़ाइर ब्रिगेड लेन, बारखंबा रोड, नई दिल्ली
डॉ. विश्वास महत्ता	:	मुख्यसचिव केरल सरकार, सरकार सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
श्री राजेश कुमार सिंह	:	अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), केरल सरकार सरकार सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
श्री के आर ज्योतिलाल	:	प्रधान सचिव (परिवहन), केरल सरकार सरकार सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
श्री एस सुहास	:	जिलाधीश – एरणाकुलम, जिलाधीश का कार्यालय, काक्कनाड़, कोच्ची.
श्री अल्केश कुमार शर्मा	:	प्रबंध निदेशक कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड., 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची.
श्री तिरुमन अर्चुनन	:	निदेशक (परियोजना) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड., 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची.
श्री डी के सिन्हा	:	निदेशक (प्रणाली) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड., 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची.
श्री कुमार के आर	:	निदेशक (वित्त) कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची.

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची- 682017 केरल, भारत
दूरभाष : +91 484 2846 700/2846 770, फ़ैक्स +91 484 2970 810, वेबसाइट : www.kochimetro.org
CIN: U60100KL2011SGC029003

नौवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी गई है कि निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित करने हेतु कंपनी के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक आम बैठक दिनांक २८ सितंबर, 2020 को अपराह्न ३.०० बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची - 682017 में आयोजित की जाएगी।

साधारण कार्य:

1. निदेशक मंडल की रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के टिप्पणी के साथ दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उसे अपनाना।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए) नियुक्त संवैधानिक लेखापरीक्षक मेसर्स वेंकटाचलम अय्यर एवं कंपनी, शासनपत्रित लेखाकार को जेब खर्च और करों के अलावा 6,00,000/- रु. (छह लाख रुपए मात्र) में पारिश्रमिक तय करना।

स्थान : कोच्ची
तिथि: 25.09.2020

कृते एवं निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के लिए
ह०/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

टिप्पणी :

1. वार्षिक आम बैठक का आयोजन कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 और दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 के साथ पठित, दिनांक 5 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन में वी सी के सुविधा के माध्यम से की जाएगी।
2. बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू करने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले तक खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के बाद 15 मिनट की समाप्ति तक बंद नहीं किया जाएगा।
3. वीसी के माध्यम से सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

4. किसी सदस्य को, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है तो उसे एक सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के तहत एक प्रॉक्सी नियुक्त करने की अनुमति है। चूँकि एजीएम वी सी के माध्यम से आयोजित किया जाना है जहां किसी भी मामले में सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 धारा 113 के अनुपालन में, वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में भागीदारी और मतदान के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किए जायेंगे।
5. बैठक के दौरान जब किसी भी प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता होती है, सदस्य कंपनी के निर्धारित ई-मेल आईडी cs@kmrl.co.in में, अपने वोट दे सकते हैं। सदस्य द्वारा संकल्पों पर अपना वोट केवल कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ई-मेल पते के माध्यम से ई-मेल भेजकर डाला जाएगा।
6. चूँकि कंपनी में 50 से कम सदस्य हैं, जब तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 109 के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा मतदान की माँग नहीं की जाती है, अध्यक्ष मतदान का संचालन हाथों के इशारे से करने का फैसला कर सकते हैं।
7. वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु यूज़र आईडी और/या पासवर्ड सदस्यों को अलग से परिचालित किया जाता है। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए आवश्यक किसी भी सहायता हेतु सदस्य कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से टिप्पणियाँ संलग्न है।
9. 9 वीं एजीएम के सभा स्थल तक पहुँचने का मार्ग नक्शा संलग्न है।

मार्ग नक्शा

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची- 682017 केरल, भारत
दूरभाष : +91 484 2846 700/2846 770, फ़ैक्स +91 484 2970 810, वेबसाइट : www.kochimetro.org
CIN: U60100KL2011SGC029003

उपस्थिति पर्ची

कृपया उपस्थिति पर्ची को भरें और इसे सभा स्थल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

नाम

पता

फोलियो संख्या

शेयरों की संख्या

प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत हिस्सेदार के लिए पंजीकृत हिस्सेदार/प्रतिपुरुष हूँ।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि २८ सितंबर, 2020 को अपराह्न ३.०० बजे कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड, 4 वाँ तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर, कोच्ची- ६८२०१७ में संपन्न नौवीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिपुरुष का हस्ताक्षर

अध्यक्ष का संदेश

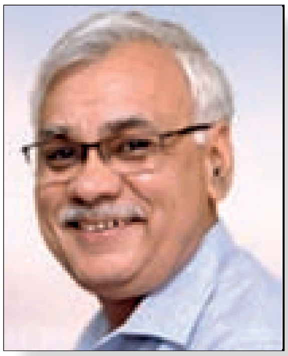

दुर्गा शंकर मिश्रा

अध्यक्ष, केएमआरएल

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

आपकी कंपनी की नौवीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अत्यंत गौरव महसूस कर रहा हूँ। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 की बोर्ड की रिपोर्ट और कंपनी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे आपको पहले से ही परिचालित किया जा चुका है और आपकी अनुमति के साथ, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लेता हूँ। अनुपूरक लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एवं एजी) की टिप्पणियाँ प्राप्त हुई है। सी एवं एजी ने एक 'शून्य' रिपोर्ट जारी की है।

वर्तमान में आपकी कंपनी आलूवा से पेट्टा तक परिचालित है; आलूवा से पालारिवट्टम तक की वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 19 जून 2017 को और पालारिवट्टम से महाराजास कॉलेज तक दिनांक 3 अक्तूबर 2017 से प्रारंभ हुआ। महाराजास कॉलेज से तैक्कूडम तक के दौर सार्वजनिक रूप से दिनांक ३ सितंबर २०१९ को खोला गया और तैक्कूडम से पेट्टा तक के अंतिम दौर का वाणिज्यिक परिचालन दिनांक ७ सितंबर २०२० को शुरू किया गया।

अलुवा से पालारिवट्टम के प्रारंभिक खंड के प्रति दिन के औसत सवारियों की संख्या ३१,१४४ थी, जो अक्टूबर २०१७ में महाराजा से तैक्कूडम तक के अगले खंड खुलने पर बढ़कर ३६,००५ हो गई। महाराजा से तैक्कूडम तक के चरण I के अगले खंड के उद्घाटन पर सवारियों की संख्या ६४,३२० तक बढ़ गई और दिनांक १ जनवरी, २०२० तक प्रति दिन १,२३,९७५ यात्रियों तक की लगातार वृद्धि हुई।

कोविड १९ महामारी और आगामी लॉकडाउन ने कंपनी के संचालन और राजस्व को बहुत प्रभावित किया। कोविड १९ महामारी के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मेट्रो परिचालन को २२ मार्च २०२० से निलंबित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन अवधि के दौरान शून्य किराया बॉक्स राजस्व प्राप्त हुआ। कंपनी दिनांक ७ सितंबर २०२० से भारत सरकार द्वारा जारी ४ दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालन फिर से शुरू करने में सक्षम थी।

लॉकडाउन अवधि के दौरान कंपनी के लिए ऑफिस स्पेस रेंटल, सेमी नेमिंग राइट्स और एएफसी रॉयल्टी प्रीमियम से औसत मासिक गैर-किराया बॉक्स का राजस्व २.४१ करोड़ रुपए था। इसके अलावा, कंपनी ने इसी अवधि के लिए वेतन खर्च (नियमित और आउटसोर्स कर्मचारी दोनों), बिजली शुल्क और रखरखाव लागत आदि की मासिक खर्च औसतन ६.९६ करोड़ रुपए खर्च किया गया।

केएमआरएल के बोर्ड ने 11.2 कि.मी. की लंबाई के साथ 11 स्टेशनों सहित कलूर के जेएलएन स्टेशन से केरल के आईटी हब काक्कनाड तक के कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण II के लिए मंजूरी दी थी। नई मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत संशोधन के बाद, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), इसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए केरल सरकार को प्रस्तुत किया गया। अनुमोदन पर, इसे भारत सरकार को भेज दिया गया और 26 फरवरी 2019 को इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। प्रस्ताव को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा अनुमोदित किया गया और मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्रतीक्षा में है। चरण II 4 साल की अवधि में पूरा होने की उम्मीद है।

कोच्ची शहर में एक आधुनिक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करने के अलावा कंपनी लोगों के लिए कुल परिवहन समाधान प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका बढ़ा रही है। कंपनी सार्वजनिक परिवहन के सभी तरीकों जैसेकि मेट्रो, बस, फेरी और गैर मशीनीकृत परिवहन को एकल नेटवर्क, एकल टिकट और एकल समय सारणी के साथ एक एकल समेकित प्रणाली में एकीकृत करने के लिए काम कर रही है। इस संबंध में, कंपनी ने **केरल मेट्रोपॉलिटन परिवहन प्राधिकरण अधिनियम**, 2019 को गठित किया था। केरल राज्य विधानसभा ने दिनांक 21 नवंबर 2019 को केएमटीए विधेयक, 2019 को अधिनियमित किया। केएमटीए नियमों का मसौदा तैयार करने में केरल सरकार की सहायता करने में केएमआरएल द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका भी सराहनीय है।

मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने केरल सरकार और केरे डिनस्टाल्टफ्लुरवेदेराफाउबाऊ (केएफडब्ल्यू) के सहयोग से **'एकीकृत जल परिवहन परियोजना'** नामक कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के निष्पादन और संचालन का नियंत्रण संभाला है। परियोजना की परिकल्पना कुल ७६ कि. मी. की कुल लंबाई के साथ १५ निर्धारित मार्गों सहित ३८ जेटियों को आपस में जोड़ने और जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु किया गया है। टर्मिनलों के प्रथम हिस्से का निर्माण चालू है और तेईस इलेक्ट्रिक नावों के डिजाइनिंग और निर्माण हेतु ठेका दिया गया है।

आपकी कंपनी को कोच्ची शहर में 6 प्रमुख नहरों को विकसित **करके "एकीकृत शहरी उत्थान और जल परिवहन प्रणाली"** के कार्यान्वयन का कार्य भी सौंपा गया है। पुनर्जीवित होने वाली नहर प्रणाली की कुल लंबाई 35 कि.मी. है। केरल अवसंरचना और निवेश निधि बोर्ड (किफ़्बि) के माध्यम से निधि प्राप्त किया है।

कंपनी द्वारा बेहतर गतिशीलता और शहरी पारगमन सुरक्षा के लिए सड़कों के विकास, पैदल पथ और साइकिल पथ के साथ-साथ महत्वपूर्ण पथ जंक्शनों को बेहतर बनाने के लिए की गई पहल के माध्यम से गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाओं और अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार लाने हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख करने योग्य है। अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के एक हिस्से के रूप में, कंपनी ने अलुवा मेट्रो स्टेशन और कोचीन हवाई अड्डे के बीच एक फीडर बस सेवा **'पवन दूत'** प्रारंभ की। यह ध्यान देने योग्य है कि फीडर ने 10 दिनों की अवधि के दौरान 1.77 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया। तदुपश्चात, जेएलएन मेट्रो स्टेशन और इन्फोपार्क, काक्कनाड के बीच एक और फीडर वैन/बस सेवा भी शुरू की गई।

आपकी कंपनी ने शहर में निजी बसों को एकत्र करने में जो भूमिका निभाई है वह महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, **'स्मार्ट बस'** के नाम से एक प्रारंभिक परियोजना के तहत लगभग 150 निजी बसें कोच्ची 1 कार्ड को अन्य यात्री अनुकूल सुविधाओं के साथ, किराया भुगतान साधन के रूप में स्वीकार कर रही हैं। 'कोच्ची के लिए समेकित मोबिलिटी' के तहत इस स्मार्ट बस पहल ने लखनऊ में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, 2019 में 'सर्वोत्तम सिटी बस सेवा परियोजना' श्रेणी में 'सराहनीय पहल' का पुरस्कार जीत लिया और यह पुरस्कार माननीय परिवहन मंत्री, केरल सरकार द्वारा प्राप्त किया गया।

मैं तहे दिल से सभी पणधारियों - निदेशक मंडल, बैंकों, शेयरधारकों, मज़दूर संगठन, प्रिंट, ऑडियो-विज़ुअल और सोशल मीडिया - - जिन्होंने कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु उचित मान्यता, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया है, के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं केएमआरएल परियोजना के लिए उनके निर्बाध समर्थन हेतु भारत सरकार और केरल सरकार के विभिन्न विभागों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ।

कोच्ची की जनता और राज्य के विभिन्न हिस्सों से भी लोगों ने कोच्ची मेट्रो को अपनाया और केएमआरएल को खुले हाथों से स्वीकार किया। मैं कोच्ची के नागरिकों और केरल के लोगों को उनके निरंतर प्रश्रय और प्रोत्साहन हेतु, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिसने परियोजना के कार्यान्वयन में हुए कठिनाइयों के बावजूद भी कंपनी को अपने दर्शन और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाया है।

मैं केएमआरएल के प्रबंध निदेशक और कर्मचारियों द्वारा कंपनी को आज के स्थिति तक बदलने में उनके योगदान के लिए दिखाए गए प्रयासों की सराहना करके समाप्त करना चाहूँगा। हमने जबरदस्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी हमें मीलों का सफर करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर केएमआरएल को एक ऐसा कंपनी के रूप में रूपांतरण करेंगे, जोकि अपने सभी पणधारियों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य बनाता हो।

सधन्यवाद,

Sd/-
(दुर्गा शंकर मिश्रा)
अध्यक्ष, केएमआरएल
सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

(यह कंपनी की 9 वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही होने का तात्पर्य नहीं है)

बोर्ड की रिपोर्ट 2019-20

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी के व्यापार और संचालन पर नौवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्न हैं।

राजस्व संचालन की स्थिति

पिछले वर्ष की १०४.४८ करोड़ रुपए की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अलुवा से तैकुडम तक के कुल २३.८७ किलोमीटर की दूरी तक के मेट्रो ट्रेन संचालन से किराया बॉक्स राजस्व, गैर-किराया बॉक्स राजस्व और बाहरी परियोजनाओं सहित से उत्पन्न कुल राजस्व १३४.९५ करोड़ रुपए थे।

वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय 115.77 करोड़ (पिछले वर्ष 100.34 करोड़ रुपए) रुपए थे, पिछले वर्ष की 4.13 करोड़ रुपए की तुलना में मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च, वित्त व्यय, अन्य व्यापक आय और कर खर्च पूर्व, लाभ 19.18 करोड़ रुपए थे।

वर्ष के दौरान मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय, वित्त लागत, अन्य व्यापक आय और कर खर्च के समायोजन के बाद, 310.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 285.18 करोड़) की एक नुकसान की राशि व्यय किया गया।

वित्तीय परिणाम का एक आशुचित्र नीचे दिया गया है:

रुपए लाखों में

विवरण	2019-20	2018-19
कुल आय	13495.05	10447.99
परिचालन व्यय	11577.20	10034.50
ब्याज और मूल्यह्रास से पहले लाभ/(हानि)	1917.85	413.49
वित्त प्रभार	(16093.07)	7510.89
सकल लाभ/(हानि)	(14175.22)	(7097.40)
अन्य व्यापक आय	(21.64)	(29.99)
मूल्यह्रास और परिसपत्तियों के हानि का प्रावधान	(16804.97)	(21391.03)
कर से पहले कुल लाभ / (हानि)	(31001.83)	(28518.42)
कर का प्रावधान	-	-
कर के बाद कुल लाभ / (हानि)	(31001.83)	(28518.42)

शेयर पूँजी और अधीनस्थ ऋण

31 मार्च 2020 को केएमआरएल की कुल भुगतान की गई शेयर पूँजी 1507.46 करोड़ रुपए हैं (पिछले वर्ष 1507.46 करोड़ रुपए)। आपकी कंपनी को भारत सरकार और केरल सरकार से अनुमोदित इक्विटी-निधीकरण शेयर का 100% प्राप्त हुआ है।

भारत सरकार और केरल सरकार ने केंद्रीय करों की ओर प्रत्येक 248.50 करोड़ रुपए की राशि उप-ऋण के अपने पूरे हिस्से को जारी किया है। केरल सरकार ने राज्य करों की प्रतिपूर्ति के लिए 225.92 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण हेतु 672.25 करोड़ रुपए जारी किया है, इनमें से 366 करोड़ रुपए की व्यवस्था केरल सरकार की ओर से केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से बैक टु बैक ऋण के रूप में है।

दिनांक 15/07/2019 के आदेश सं. जी.ओ.(एमएस) सं.36/2019/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने पेट्टा से त्रिपुनित्तुरा तक के मेट्रो लाइन चरण I के विस्तार के लिए 1066.62 करोड़ रुपए प्रशासकीय अनुमोदन दिया है। वर्ष 2019-20 के दौरान भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष तहसीलदार एलए को सीधे केरल सरकार द्वारा 58.11 करोड़ रुपए जारी किए गए।

लाभांश

वितरण योग्य लाभ की अनुपलब्धता के मद्देनज़र, आपके निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

आरक्षित में हस्तांतरण

आपके निदेशकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरक्षितों को हस्तांतरित करने के लिए कोई राशि प्रस्तावित नहीं की है।

सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण

एएफ़डी और केनरा बैंक से 31 मार्च, 2020 तक कुल ऋण बकाया क्रमशः 1260.75 करोड़ रुपए और 1170 करोड़ रुपए हैं। दिनांक 31.03.2020 को केनरा बैंक से लागत वृद्धि की दिशा में कुल बकाया ऋण 166.34 करोड़ रुपए हैं।

चरण I के विस्तार के लिए केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक कुल बकाया ऋण 50.12 करोड़ रुपए है।

उपरोक्त के अलावा, परियोजना कार्यों और प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और हड़को से पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार की गारंटी के साथ सावधि ऋण लिए हैं। दिनांक 31.03.2020 को केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और हड़को से बकाया राशि क्रमश: 376 करोड़ और 130 करोड़ रुपए हैं।

दिनांक 31.03.2020 को केनरा बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में बकाया राशि 85.30 करोड़ रुपए है।

परियोजना का पुनरावलोकन

परियोजना विवरण - प्रथम चरण

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I को जुलाई 2012 में मंजूरी दी गई थी, इसकी परिकल्पना अलुवा से पेट्टा तक 22 स्टेशनों

सहित 25.16 किलोमीटर तक की लंबाई पर पूरी तरह से एलिवेटेड मेट्रो पुल सहित की गई है। परियोजना की स्वीकृत लागत 6218.14 करोड़ रुपए (संशोधित) हैं।

कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना में दो बुनियादी निर्माण तत्व शामिल हैं, अर्थात सिविल संरचनात्मक तत्व और प्रणाली। चरण I के सिविल संरचनात्मक तत्व में मेट्रो के पुल, 22 मेट्रो स्टेशन और ट्रैक शामिल हैं। प्रणाली में रोलिंग स्टॉक (मेट्रो रेल कोच), सिग्नलिंग, ट्रैक्शन और बिजली की आपूर्ति सुविधाओं के लिए दूरसंचार और विद्युतीकरण आदि शामिल है। मेट्रो ट्रेनों के अस्तबल और रखरखाव के लिए 15.12 हेक्टेयर भूमि पर मेट्रो ट्रेन डिपो का भी निर्माण किया गया है।

चरण - I (अलुवा से पेट्टा) भौतिक प्रगति (सिविल) - 100%

परियोजना पूर्ति का विवरण निम्नानुसार है :

क. *रीच 1 (आलुवा से पालारिवट्टम तक)*

11 स्टेशनों सहित 13.4 की.मी. लंबाई की आलूवा से पालारिवट्टम तक की मेट्रो के रीच 1 के अधीन काम दिनांक 17 जून 2017 को सम्पूर्ण हो गया और दिनांक 17 जून 2017 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इस खंड का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद, दिनांक 19 जून 2017 को रीच 1 खंड जनता के लिए खोल दिया गया।

ख. *रीच 2 ए (पालारिवट्टम से महाराजास कॉलेज तक)*

5 स्टेशनों सहित 4.96 कि. मी. लंबाई के पालारिवट्टम से महाराजास कॉलेज तक के प्रथम चरण के रीच 2 ए केरल के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए उद्घाटन के बाद दिनांक 3 अक्टूबर 2017 को प्रारंभ किया और जनता के लिए खोल दिया गया।

ग. *रीच 2 बी (महाराजास कॉलेज से तैक्कूडम तक)*

स्टेशनों सहित 5.65 कि. मी. लंबाई के महाराजास कॉलेज से तैक्कूडम तक के प्रथम चरण के रीच 2 बी का उदघाटन केरल के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और दिनांक 3 सितंबर 2019 को जनता के लिए खोल दिया गया।

घ. *रीच 2 सी (तैक्कूडम से पेट्टा तक)*

1 स्टेशन सहित 1.33 कि. मी. लंबाई के तैक्कूडम से पेट्टा तक के चरण I के रीच 2 सी के कमीशनिंग के लिए संवैधानिक मंजूरी दिनांक 28.05.2020 को प्राप्त हुआ। कोविड़ -19 के के सिलसिले में हुए लॉकडाउन हटाने के बाद इस खंड को जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

चरण **I** का विस्तार (पेट्टा से त्रिपुनित्तुरा टेर्मिनल)

चरण I के विस्तार के दो चरण हैं :

- चरण I ए – पेट्टा से एस एन जंक्शन; और
- चरण I बी – एस एन जंक्शन तो त्रिपुनित्तुरा टेर्मिनल

चरण I ए (पेटा से एसएन जंक्शन) और चरण I बी (एसएन जंक्शन से त्रिपपुनित्तुरा टर्मिनल) की अनुमोदित लागत क्रमशः 710.92 करोड़ और रुपए और 356 करोड़ रुपए हैं।

अ) चरण I ए (पेट्टा से एस एन जंक्शन तक)

इस खंड के अंदर एस एन जंक्शन और वड़क्केकोट्टा के 2 स्टेशनों सहित 2 कि. मी. लंबाई के मेट्रो पुल शामिल है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जुलाई 2020 में पूरी हो जाएगी। चरण I के विस्तार कार्यों के लिए मेसर्स एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड,चेन्नई को विस्तृत डिज़ाइन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चरण I के विस्तार के प्रारंभिक कार्यों का अनुबंध मेसर्स सेगूरो फाउंडेशन्स एवं स्ट्रक्चरर्स एवं मेसर्स विजई एलेक्ट्रिकल्स को दिया है, और कार्य प्रगति पर है।

पनमकुट्टी नदी के पार 299.87 करोड़ रुपए का मेट्रो पुल, स्ट्रेशन एवं 2 लेन पुल का निर्माण का कार्य मेसर्स केईसी-सीसीईसीसी जेवी को दिया है और इसका पाइलिंग और घाट कार्य प्रगति पर है। कास्टिंग यार्ड में गर्डर्स की कास्टिंग भी पूरी तरह से शुरू हो गई है। यह खंड मार्च 2022 तक चालू होने की उम्मीद है।

बिजली की आपूर्ति, कर्षण, लिफ्ट, एस्केलेटर, ई एंड एम कार्य, सिग्नलिंग और दूरसंचार, आदि के प्रणाली कार्यों के लिए परिवर्तन आदेश के निविदा/जारी करना जैसे कार्य परियोजना सारिणी के अनुसार प्रगति कर रहे हैं। सभी प्रणाली निविदाएं चरण I ए के साथ-साथ चरण I बी के संयुक्त वर्गों के लिए हैं। सभी निविदाओं का अंतिम रूप जुलाई 2020 के अंत के पहले दिया जाना है।

मई 2020 तक के कार्य की प्रगति नीचे दी गई है:

1.प्रारंभिक कार्य

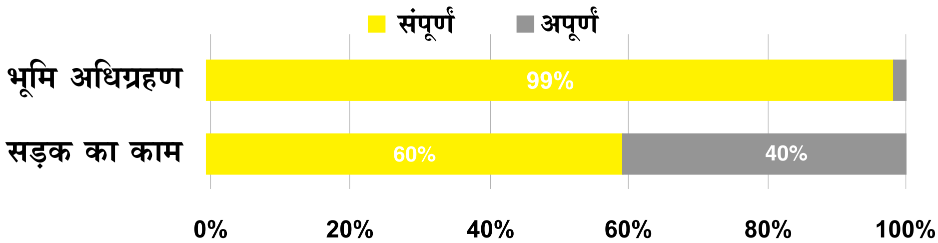

2.मेट्रो कार्य

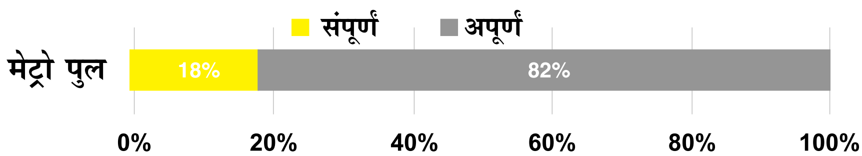

अ) चरण I बी (एस एन जंक्शन से त्रिपुनित्तुरा टेर्मिनल तक)

चरण I बी विस्तार 1.2 कि. मी. दूरी के साथ त्रिपुनित्तुरा टेर्मिनल स्टेशन से एस एन जंक्शन मेट्रो स्टेशन तक है। केरल सरकार ने जीओ (एमएस) सं.27/2019/ट्रांस. दिनांकित 14.06.2019 के तहत एस एन जंक्शन से त्रिपुनित्तुरा तक के मेट्रो के विस्तार हेतु 356 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है।

भूमि अधिग्रहण की स्थिति:

1. 206 सेंट के लिए केरल सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की है, जिसके लिए अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।
2. केरल सरकार से 463.13 सेंट की भूमि सीमा के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक मंजूरी प्रत्याशित है।

काम की स्थिति

- चरण I बी के विस्तृत डिजाइन सलाहकार के रूप में मेसर्स एलकेटी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया है। डिजाइन अंतिम चरण पर है।
- सिविल निविदा अपलोड किया गया है। निविदा खोलने की तिथि दिनांक 14.07.2020 को निर्धारित किया गया है।

चरण II परियोजना की स्थिति

दिनांक 16 सितंबर, 2014 को आयोजित बोर्ड निदेशकों के 18 वीं बैठक में कर और शुल्क सहित 2017.46 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत पर जेएलएन स्टेडियम से काक्कानाड से लेकर इन्फोपार्क तक के 11.2. कि. मी. दूरी के मेट्रो कॉरीडोर के कार्यों के लिए अनुमोदन दिया था। इस अधिदेश के साथ, केएमआरएल ने केरल सरकार को प्रस्ताव सौंपा और जी.ओ (एमएस) सं.32/2015/ट्रांस दिनांकित 25 मई, 2015 के तहत प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके आगे, प्रस्ताव दिनांक 29.05.2015 को अनुमोदन हेतु भारत सरकार (जीओआई) को प्रस्तुत किया गया था।

तत्पश्चात, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिनांक 1 सितंबर 2017 के अपने पत्र के तहत, प्रस्ताव को नई मेट्रो रेल नीति 2017 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित करने और पुनः प्रस्तुत करने की सलाह के साथ केएमआरएल के चरण II परियोजना की डीपीआर लौटा दी। तदनुसार, वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) के साथ साथ जेएलएन स्टेडियम से काक्कनाड से होकर इन्फोपार्क तक के चरण II की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को संशोधित करने हेतु अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी (यूएमटीसी) को एक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। परामर्शदाता ने परियोजना पूरा होने तक 2310 करोड़ रुपए की (कर और शुल्क सहित) विधिवत संशोधित लागत रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसको केएमआरएल बोर्ड द्वारा दिनांक 6 जून 2018 को आयोजित अपनी 30 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। संशोधित प्रस्ताव दिनांक 14 फरवरी 2018 को केरल सरकार को प्रस्तुत किया। दिनांक 27 जुलाई 2018 के सरकारी आदेश संख्या जी.ओ (एमएस) सं.52/2018/ट्रांस के तहत केरल सरकार ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। प्रस्ताव को वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) और संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ पत्र संख्या 2/75/207/ट्रांस/ दिनांकित 27 जुलाई 2018 के माध्यम से अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

इसके अलावा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सलाह के तहत, अन्य महानगरों के साथ-साथ मेट्रो रेल परियोजनाओं की बेंचमार्क लागत के आधार पर परियोजना की लागत को संशोधित किया गया। परियोजना पूरा होने तक, परियोजना की संशोधित लागत 1957.05 करोड़ रुपए (कर और शुल्क सहित) हैं। संशोधित डीपीआर में एक अनुपूरक दस्तावेज के साथ संशोधित लागत

को दिनांक 4 फरवरी 2019 के जीओके पत्र सं. सी2/75/2017/ट्रांस के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एएआर और व्यापक मोबिलिटी योजना (सीएमपी) के साथ संशोधित डीपीआर को अंतर-मंत्रालयी समिति में विभागों और मंत्रालयों के बीच परिचालित किया गया और मांगी गई स्पष्टीकरणों का संतोषप्रद उत्तर दिया गया।

प्रस्तावों के आधार पर, व्यय विभाग, भारत सरकार ने 1957.05 करोड़ रुपए के लागत पर जेएलएन स्टेडियम से काक्कनाड से होकर इन्फोपार्क तक के कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण II के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमति दे दी; जिसे एमओएचयूए के पत्र सं. एफ़. सं.के-14011/08/2015-एमआरटीएस-IV दिनांकित 26 फरवरी 2019 के तहत सूचित किया गया।

दिनांक 13.03.2020 को आयोजित सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया, और मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्रत्याशा में है।

चरण II के विभिन्न संबद्ध कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:

1. अभियांत्रिकी खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) अनुबंध मोड में परियोजना के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति: भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति के अधीन पीएमसी नियुक्त करने के लिए निविदा जुलाई के अंत/अगस्त 2020 तक शुरू की जाएगी।
2. (क) प्रारंभिक कार्य: चरण II के प्रारंभिक कार्यों के लिए केरल सरकार ने 189 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। ईसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और भूमि अधिग्रहण का कार्य सितंबर 2020 से प्रारंभ होने की उम्मीद है।

   (ख) प्रारंभिक कार्य: केरल सरकार ने जी.ओ (एमएस) 73/2018/ट्रांस के तहत चरण II के प्रारंभिक कार्य पैकेज के रूप में सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड के 2.5 कि.मी. तक के चौड़ीकरण के लिए 74.07 करोड़ रुपए की राशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी की थी।

   उसी के अनुरूप, काक्कनाड सिग्नल जंक्शन से इन्फोपार्क एक्सप्रेसवे के प्रवेश द्वार तक सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड के 2.5 कि.मी. दूरी के लिए मेट्रो कॉरिडोर के साथ सड़क चौड़ीकरण हेतु केबीसी 1 को अनुबंध दिया गया है और दिसंबर 2020 तक काम पूरा होने की उम्मीद है।

मुट्टम में मेट्रो स्टाफ क्वार्टर:

कोच्ची मेट्रो के चरण I के संचालन और रखरखाव के चरण के दौरान, केएमआरएल के परिचालन कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों की आवश्यकता होगी। इसे ध्यान में रखते हुए, केएमआरएल ने निर्माण पूरा करने के लिए डिजाइन परामर्श सेवाएँ, सिविल सहित परियोजना प्रबंधन सेवा, संरचनात्मक, वास्तुकला, यांत्रिक, विद्युत और नालसाजी कार्यों से संबंधित निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। तत्पश्चात्, मेसर्स फाउंटेन हेड, मेसर्स अश्वतनारायण एवं ईश्वरा एलएलपी, मेसर्स कूल होम बिल्डर्स को उनके परिचय के जाँच के बाद क्रमशः डीडीसी, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता और ठेकेदार को चुना गया।

परिचालन एवं रखरखाव विंग के कर्मचारियों के आवास का निर्माण तीन श्रेणियों में करने की योजना बनाई गई है:

1. एनई5 से एनई 8 तक - टाइप I, 70 वर्गमीटर (प्रथम चरण) के प्लिंथ क्षेत्र के साथ
2. प्रबंधक तक (ई0-ई3) - टाइप II, 80 वर्गमीटर के प्लिंथ क्षेत्र के साथ

3. एसडीजीएम तक - टाइप III, 95 वर्गमीटर के प्लिंथ क्षेत्र के साथ।

चरण I का निर्माण, 112 इकाइयों के दो आवासीय टावर, 70 केएलडी की क्षमता वाली मलजल उपचार संयंत्र, और भवनों में विद्युत आपूर्ति के लिए सबस्टेशन आदि का निर्माण पूर्ण हो चुका है। क्वार्टरों को एनएफ़पीए के अनुसरण में टॉकबैक प्रणाली सहित अग्निशमन और अलार्म व्यवस्था जैसे सुविधा भी प्रदान की गई है।

509.38 वर्गमीटर क्षेत्र के एक मंज़िल में 4 इकाइयाँ हैं, 509.38 वर्गमीटर क्षेत्र के 1 टॉवर में 56 इकाइयाँ हैं; 112 इकाइयों के लिए 1018.76 वर्गमीटर वाले कुल दो टॉवर है। फ्लैटों के निवासियों के गमनागमन विनियमित करने के लिए प्रत्येक टावरों में एक यात्री लिफ्ट (अधिकतम क्षमता10 यात्री) और एक अन्य माल लिफ्ट (अधिकतम क्षमता 15 यात्री) की सुविधा है।

ब्लिस सिटी

वर्ष 2013 में सरकारी आदेश के मुद्रीकरण और गैर-किराया बॉक्स राजस्व उत्पन्न करने के लिए केरल सरकार ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड को 17.30 एकड़ भूमि आबंटित की है। केरल सरकार ने एक और 14 एकड़ भूमि आबंटित करने का भी प्रस्ताव दिया है। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने इस भूमि को सभी आयु समूहों के लिए एक मनोरंजन हब के रूप में बदलने का फैसला किया है, जिससे कोच्ची मेट्रो के परिचालन खर्चों को पूरा करने हेतु कुछ अच्छे राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। उसी के समान, ब्लिस सिटी के संकल्पना हेतु एक परामर्श बुलाने का प्रस्ताव केएमआरएल बोर्ड के सामने रखा गया।

दिनांक 3 मई 2019 को आयोजित केएमआरएल की 33 वीं बोर्ड बैठक में संकल्प लिया गया कि "परियोजना के लिए अवधारणा योजना, डीपीआर की तैयारी, लेनदेन परामर्श, बोली प्रक्रिया प्रबंधन और अनुबंध आदि को एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक बोली के माध्यम से तैयार करने हेतु एक प्रतिष्ठित परामर्श संगठन की नियुक्ति की जाए"। उसी के मद्देनजर, लेन-देन सलाहकार सेवा के साथ-साथ अवधारणा, मास्टर प्लान तैयार करने आदि के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करने हेतु केएमआरएल द्वारा निविदा बुलाई गईं। प्रतियोगितात्मक निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से, दिनांक 24.07.2019 को मेसर्स केपीएमजी सलाहकार सेवा प्राइवेट लिमिटेड को कर मुक्त 1,27,70,400/- रुपए के अनुबंध मूल्य के अनुबंध प्रदान किया गया।

विस्तृत कार्य इस प्रकार है:

1. स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करना
2. 3 विकल्पों सहित व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना
3. अनुमोदित संकल्पना योजना और विपणन योजना पर अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
4. निविदा पैकेजिंग और बोली की तैयारी
5. बोली प्रक्रिया प्रबंधन
6. सफल कंसेशनयर के साथ समझौते का निष्पादन

ब्लिस सिटी के तहत विभिन्न गतिविधियों की प्रगति निम्नानुसार है:

- परामर्शदाता ने प्रारंभिक पैमाइश को पूरा कर लिया है और योजना के अनुसार स्थापना रिपोर्ट और व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- केरल सरकार ने एक और 14.5 एकड़ भूमि की पहचान की थी और 17.3 एकड़ भूमि, जिसे पहले ही सौंप दिया गया है, के साथ-साथ विकास हेतु कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। पहचान किए गए अतिरिक्त 14.5 एकड़ भूमि सौंपे गए क्षेत्र के पास है, यह चातुर्य सुनिश्चित करने के लिए कि संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने और परस्पर पूरक अवधारणाओं के लिए मास्टर प्लान किसी एक एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। उसी के मद्देनज़र, केएमआरएल की अधिप्राप्ति उप समिति की दिनांक 20 फरवरी 2020 को हुई 5 वीं बैठक में मौजूदा दायरे के अनुरूप अतिरिक्त 14.5 एकड़ भूमि के मास्टर प्लान को विकसित करने के लिए मेसर्स केपीएमजी सलाहकार प्राइवेट लिमिटेड को 44,69,640/- रुपए की भिन्नता के लिए मंजूरी दी, जो करों को छोड़कर 1,72,40,040/- रुपए की कुल अनुबंध मूल्य बनाता है।
- विकासक (कों) को बुलाने और चयन करने हेतु निविदा को अगस्त 2020 के महीने में आगे बढ़ाने की संभावना है।

एकीकृत जल परिवहन परियोजना (जल मेट्रो परियोजना)

आपकी कंपनी को केरल सरकार (जीओके) की ओर से कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के नाम से एक शहरी जल पारगमन परियोजना निष्पादित करने के लिए सौंपा गया है। कानूनी तौर पर केरल सरकार परियोजना के मालिक होंगे और आपकी कंपनी परियोजना-निष्पादन हेतु इसके निष्पादन और संचालन के लिए जिम्मेदार अभिकरण है। कोच्ची जल मेट्रो परियोजना की परिकल्पना 38 जेट्टियों को जोड़ने और जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच अंतर-मोडल संजोकता प्रदान करता है। इस परियोजना से शहर में यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने की उम्मीद है और कोच्ची में व्यापार के लिए पहुँच भी आसान हो जाएगी। परियोजना में 76 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 15 निर्धारित मार्ग हैं। इस परियोजना का कुल परिव्यय 747 करोड़ रुपए (भूमि लागत को छोड़कर) हैं। इस परियोजना की निधीकरण के लिए जर्मन फंडिंग एजेंसी केएफडब्ल्यू ने जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ओर से 85 यूरो मिलियन के लिए भारत सरकार के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 18 जून, 2016 को नई दिल्ली में केरल के माननीय मुख्यमंत्री श्री पिणाराई विजयन की उपस्थिति में केरल सरकार, केएफडब्ल्यू और आपकी कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया।

एईकोम, यूएमटीसी और ज़ेबेक मरीन कॉन्सॉर्टियम को दिनांक 2 जून 2017 को सामान्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। आपकी कंपनी ने सामान्य सलाहकार के लिए परियोजना विवरण को अंतिम रूप देने हेतु परियोजना क्षेत्र के सभी सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं। आपकी कंपनी को वन्य जीव राष्ट्रीय बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, और केरल राज्य वेटलैंड प्राधिकरण जैसे विभिन्न वैधानिक अभिकरणों से जल मेट्रो परियोजना के लिए सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त हुई। दिनांक 1अक्टूबर 2019 को पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़ और सीसी) जल मेट्रो परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की।

भूस्खलन टर्मिनलों के लिए दिनांक 5 जून 2018 को विस्तृत डिजाइन परामर्श हेतु मेसर्स किटको को नियुक्त किया गया। वाइटिला, कक्कानाड, उच्च न्यायालय, मट्टनचेरी, विपिन और बोलगटी टर्मिनलों के लिए निर्माण के लिए अच्छे चित्र जारी किए गए थे और कार्य प्रगति पर है। वैट्टिला, काक्कनाड, हाई कोर्ट, मट्टांचेरी, वैपिन एवं बोलगाट्टी टेर्मिनलों निर्माण चित्र जारी किए गए और कार्य प्रगति पर है। टर्मिनलों का पहला भाग यानि वैट्टिला-एरूर-काक्कनाड के टेर्मिनल निर्माण करार मेसर्स मेरिमाता निर्माण कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए गए। दूसरे भाग यानि अगले पाँच टर्मिनल - हाईकोर्ट, बोलगाट्टी, वैपिन, फोर्ट कोच्ची, और

मटटांचेरी - अगले पाँच टेर्मिनल का काम भी मेसर्स मेरीमाता निर्माण कंपनी को आबंटित किया गया। 8 टर्मिनलों के लिए आरएफपी प्रकाशित किया गया और दिनांक 8 जून 2020 को बोली प्रस्तुत की गई। तकनीकी बोली मूल्यांकन प्रगति पर है।

केएमआरएल ने तेवरा केएसआरटीसी, टाइकूडम के राजस्व भूमि और एरणाकुलम जेट्टी तथा इन्फोपार्क के किन्फ्रा पार्क सहित फोर पारसेल्स लैंड को छोडकर राजस्व, एलएसजीडी और विभागों के तहत सभी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। कोच्ची में एकीकृत जल परिवहन प्रणाली को लागू करने हेतु नाव टर्मिनलों और संबद्ध टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण के लिए 3.0464 हे. के निजी भूमि (23 पार्सल) और 3.25 हे. के राजस्व पुरंबोकू भूमि के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के लिए केरल सरकार से जीओ (एमएस) सं.34/2019/ट्रांस दिनांकित 2 जुलाई 2019 को प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त की गई है। 14 जेटियों के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पूरा किया गया और केरल सरकार द्वारा अध्ययन को अनुमोदित किया गया। 11/1 अधिसूचना जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई है।

आपकी कंपनी ने तेईस सौ बिजली की नावों के डिजाइन और निर्माण हेतु मेसर्स कोचीन शिपयार्ड, कोच्ची, केरल को करार दिया गया। पतवार डिजाइन के लिए मॉडल परीक्षण सफलतापूर्वक मारिन, नेथरलैंड में पूरा हुआ। पहली नाव दिसंबर 2020 तक वितरित करेंगे। पैंसठ फ्लोटिंग पेंन्टोन्स के डिजाइन और निर्माण का करार मेसर्स मरैनटेक ग्रूप ओवाई, फ़िनलंड को सम्मानित किया गया। परियोजना के पहले चरण के लिए ड्रेजिंग और बाधा हटाने का करार मेसर्स तेबमा मरीन प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित किया गया।

एकीकृत शहरी उत्थान और जल परिवहन प्रणाली (आईयूआरडबल्यूटीएस) परियोजना

आपकी कंपनी को कोच्ची शहर के एडप्पल्ली नहर, तेवरा-पेरंडूर नहर, छिलवाननुर तोडु, तेवरा नहर, मार्केट नहर और कोंतुरुती नहर जैसे 6 प्रमुख नहरों को विकसित करने और इन नहरों को उनके पूर्व गौरव के लिए वापस लाने के लिए, चालू जल मेट्रो परियोजना के साथ के तालमेल को ध्यान में रखकर "एकीकृत शहरी उत्थान और जल परिवहन प्रणाली" का कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। पुनर्जीवित होने वाली नहर प्रणाली की कुल लंबाई 35 कि.मी. है। निधीकरण केरल अवसंरचना एवं निवेश बोर्ड (किफ़्ब) के ज़रिए प्राप्त किया गया है।

किफ़्बी, तटीय नौवहन और अंतर्देशीय नेविगेशन विभाग, केरल सरकार और आपके कंपनी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 28 फरवरी 2019 को केरल सरकार के मुख्य सचिव की उपस्थिति में निष्पादित किया गया। आपकी कंपनी ने दिनांक 2 मार्च 2019 को परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्वास पहलुओं की देखभाल के लिए मेसर्स भवनम फाउंडेशन, केरल सरकार के उपक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

नेथरलैंड स्थित एक कंसल्टेंसी फर्म, मेसर्स एंटिया नेथरलैंड्स- मेसर्स एंटिया इंडिया जेवी, जिन्हें "रूम फॉर रिवर" जैसी परियोजनाओं के कायाकल्प में अपार अनुभव है, उन्हें दिनांक 10 जुलाई 2019 को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी कंपनी ने परियोजना कमान क्षेत्र का लिडार (LIDAR) सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और वित्त पोषण अभिकरण की आवश्यकताओं के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की और अनुमोदन हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया। इसके आगे, एमओईएफ और सीसी, बाथमीट्रिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी सर्वेक्षण, बाढ़ मॉडलिंग और जल गुणवत्ता अध्ययन से ईआईए मंजूरी प्राप्त करने हेतु करार निष्पादित किया गया और कार्य प्रगति पर हैं।

रोलिंग स्टॉक और प्रणाली करार

क. रोलिंग स्टॉक

परियोजना के चरण I के लिए मौजूदा आदेश के तहत 25 ट्रेनों की रोलिंग स्टॉक डिलीवरी पूरा हो गया है। सभी ट्रेनों को केएमआरएल डिपो तक पहुंचाया गया है; गाड़ियों का परीक्षण और कमीशन पूरा किया जाता है और राजस्व सेवा में शामिल किया गया है।

रोलिंग स्टॉक के रखरखाव के लिए आवश्यक मशीनरी और संयंत्र को वितरित किया गया है, स्थापना पूर्ण हुआ और कमीशन किया गया है। डिपो मशीनरी में स्वचालित ट्रेन वॉश प्लांट, पिट व्हील लेथ आदि शामिल हैं।

ख. सिग्नलिंग और टेलीकॉम

स्वचालित ट्रेन संचालन (एटीओ) को कमीशन किए हुए रीच १, रीच २ए और रीच २ बी खंडों में पेश किया गया है। सभी २५ ट्रेनों को ऑन बोर्ड एटीओ प्रणाली से सुसज्जित किया गया है और राजस्व संचालन के लिए उपलब्ध कराया गया है। तैक्कूडम (टीकेडीएम) से पेट्टा (पीईटीटी) तक के रीच २ सी खंड के सिग्नलिंग एवं दूरसंचार का कार्य प्रगति पर है। मुट्टम डिपो में स्वचालन ट्रेन संरक्षण और स्वचालित ट्रेन संचालन के कार्यान्वयन का काम जारी है और रीच २ सी के साथ चालू करने की योजना है।

ग. बिजली की आपूर्ति एवं कर्षण तथा विद्युत और यांत्रिकीय

चरण I परियोजना के रीच २बी और २सी खंड के विद्युत आपूर्ति और कर्षण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। रीच २बी खंड, जिसमें तैक्कूड़म में स्थित एक रिसीविंग सब-स्टेशन के साथ-साथ पांच सहायक उप-स्टेशन और तीन ट्रैक्शन सब-स्टेशनों के राजस्व संचालन का काम २०१९ के सितंबर महीने में चालू हो गया। एक सहायक/कर्षण सब-स्टेशन सहित आर२बी खंड का काम पूरा हुआ। सीएमआरएस निरीक्षण पूरा हो गया है और ट्रेन संचालन शुरू करने के लिए तैयार है।

एरणाकुलम साउथ मेट्रो स्टेशन के एलएचएस को छोड़कर रीच २बी और २सी के लिफ्टों और एस्केलेटर की आपूर्ति और स्थापना का काम पूरा हो गया है, रीच २ बी के सीएमआरएस और ईआईजी निरीक्षण पूरा हो गया है और रीच २सी के ईआईजी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर रीच २बी और २सी खंडों के लिए १९ लिफ़्ट और २४ एस्केलेटर लगाए गए हैं।

चरण I के विस्तार हेतु लिफ्टों और एस्केलेटरों के लिए निविदा मंगाई गई है। चरण I विस्तार के तहत 3 स्टेशनों में 21 लिफ्ट और 12 एस्केलेटर लगाए जाने की योजना है।

रीच २ ए और रीच २ बी खंडों के तहत के स्टेशनों के लिए डीजी सेट और अग्नि सुरक्षा उपकरण और साधनों सहित इलेक्ट्रिकल और यांत्रिकीय प्रणाली को अन्य स्टेशन परिसंपत्तियों के साथ कमीशन किया गया है। इसी प्रकार, रीच २सी स्टेशनों के लिए ई एवं एम प्रणाली स्थापित और कमीशन किए गए हैं और ईआईजी प्रमाणपत्र किया गया है, सीएमआरएस निरीक्षण की प्रत्याशा में है।

घ. सौर संयंत्र

इस क्षेत्र में उपलब्ध सौर क्षमता का युक्ततम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केएमआरएल को एक समावेशी तरीके से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का इरादा है। पर्यावरणीय गिरावट को कम करने, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान देने वाले उपायों का समर्थन करने हेतु चिरस्थाई विकास की दिशा में केएमआरएल प्रतिबद्ध है।

पूर्ण ऊर्जा तटस्थता प्राप्त करने के लिए, केएमआरएल ने मेट्रो स्टेशनों और डिपो भवनों की छतों पर 2.670 मेगावाट की स्थापित क्षमता के सौर छत परियोजना कार्यान्वित किया है। परियोजना को आरईएससीओ (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) के अनुरूप कार्यान्वित किया गया है जिसमें पूँजी निवेश ठेकेदार/बिजली उत्पादक द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केएमआरएल ने दूसरी परियोजना के रूप में RESCO मॉडल के तहत अपने डिपो में क्षमता 2.7192 एम'डबल्यूपी क्षमता के एक ग्राउंड मौंटेड़ सौर ऊर्जा परियोजना को कमीशन किया है। इन दोनों संयंत्रों से दैनिक औसत उत्पादन लगभग 23,000 यूनिट है।

केएमआरएल के निष्पादन के तहत के तीसरी सौर परियोजना जैसे कि स्टेशन छत, डिपो ट्रैक क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, और डिपो भवनों की कुछ छतों सहित विभिन्न स्थलों से अनुमानित क्षमता ५.४४५ एमडबल्यूपी है। यह परियोजना संपूर्ण होने जाने के बाद, केएमआरएल ६५% तक अपनी ऊर्जा तटस्थता को बढ़ा सकने की संभावना है।

जैसे कि संयंत्र की कुल क्षमता जब १०.८ एमडबल्यूपी हो जाती है, केएमआरएल सौर संयंत्र से CO२ उत्सर्जन में कमी लगभग १३,३०२ टन/वर्ष होगी, जो ५,३३,०३३ सागौन वृक्षारोपण के बराबर है।

क. स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली

खंड के उद्घाटन से अलुवा से तैक्कूडम तक के २१ स्टेशनों के लिए चालू की गई एएफसी प्रणाली सही ढंग से काम कर रहा है। नियमित यात्रियों के लिए क्यूआर कोड के अलावा (दोनों पेपर आधारित क्यूआर और मोबाइल ऐप आधारित क्यूआर) और ट्रांजिट ऑपरेशन के लिए संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड कोच्ची में ट्रिप पास की तरह १ कार्ड, आरएफआईडी पेपर टिकट में दिन और साप्ताहिक पास लाभ के लिए शुरू किए गए। कोच्ची १ कार्ड के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और बढ़ाने हेतु, मेट्रो परिसर के बाहर के स्थानों से जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, थोक जारी करने के उद्देश्य के लिए, कोच्ची १ गैर-व्यक्तिगत कार्ड पेश किया गया, जो काउंटर पर जारी करने के समय को बचाएगा। स्कूल/ कॉलेज के छात्रों के बीच में इसको बढ़ावा करने हेतु कोच्ची १ माइनर कार्ड (१० वर्ष से १८ वर्ष के लिए) भी पेश किए गए। इन विशेषताओं के साथ, कोच्ची १ कार्ड अब शैक्षिक संस्थानों, कॉरपोरेट कार्यालय, सार्वजनिक अभिसरण बिंदु जैसे मॉल आदि से जारी किया जा सकता है।

केएमआरएल एएफ़सीएस में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा नकद के साथ क्रेडिट / डेबिट कार्ड और कोच्ची 1 मोबाइल एप्लिकेशन भुगतान, यूपीआई/बीएचआईएम आधारित भुगतान प्रणाली भी पेश की गई। अब यात्री केएमआरएल काउंटर के पीओएस मशीन पर उत्पन्न डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और यूपीआई आधारित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।

स्वचालित गेट के संचालन के लिए नेटवर्क अतिरेक हेतु, अलुवा से तैक्कूडम तक के सभी 306 सत्यापनकर्ता में क्यूआर सत्यापन के लिए जीपीआरएस कनेक्टिविटी की स्थापना की गई है। रीच 2 सी स्टेशनों के एएफ़सी कार्य पूरा हो गया है और सीएमआरएस के लिए तैयार है।

चरण 1ए के विस्तार और जल मेट्रो परियोजना हेतु एएफसी प्रणाली के कार्यान्वयन कार्य (वड़क्केकोट्टा, एसएन जंक्शन और त्रिप्पूनित्तुरा, टर्मिनल) मौजूदा संविदा में उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करके मेसर्स एक्सिस बैंक के कंसोर्टियम को सौंपा गया है। जल मेट्रो के लिए प्रारंभिक डिजाइन और विधेयक की मात्रा को अंतिम रूप दिया गया है।

ख. आईटी पहल

- **केएमआरएल ईएसएस प्रणाली**: केएमआरएल के कर्मचारियों को 'ओडू' नाम के एचआरएमएस ओपन सोर्स सिस्टम का उपयोग प्रदान किया गया है, जो एक वेब आधारित कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल है। कर्मचारी प्रोफ़ाइल, समय और उपस्थिति, शिफ्ट के साथ ही साथ छुट्टी को कार्यान्वित किया और उपयोगकर्ताओं को दिया जाता है।
- **परियोजना अद्यतन :** केएमआरएल आईटी विभाग ने वरिष्ठ प्रबंधन के लिए सभी चालू परियोजनाओं के नवीनतम अद्यतन देखने के लिए एक एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। नामित नोडल अधिकारियों को आवश्यक डेटा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है और इसे साप्ताहिक आधार पर पोर्टल पर अद्यतन किया जाता है।
- **आपदा बहाली**: इस वित्तीय वर्ष के दौरान आपदा बहाली प्रणाली की शुरुआत करके केएमआरएल ने आंकड़ों को मज़बूत किया गया है।
- **नया कॉर्पोरेट कार्यालय**: केएमआरएल मुख्यालय को जेएलएन मेट्रो स्टेशन पर एक नए कार्यालय स्थान में स्थानांतरित किया गया है। कार्यालय अत्याधुनिक आईटी अवसंरचना से सुसज्जित है। कार्यालय स्थान पूरी तरह से वाई-फाई सक्षम है, जिसमें क्लाउड आधारित भंडारण डेटा, सॉफ्टवेयर सक्षम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बैठक कक्षों में प्रोजेक्टर/इंटरैक्टिव स्क्रीन /वीडियो दीवारें आदि हैं। कार्यालय भवन को भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) द्वारा प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है।

संचालन और अनुरक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिनांक 04.09.2019 को महाराजा कॉलेज-तैक्कूडम तक के (आर 2 बी) खंड को खोलने के साथ परिचालन खंड को तैक्कूडम तक बढ़ाया गया। 15 ट्रेनों को, 05 मिनट 50 सेकंड के न्यूनतम हेडवे पर चलाया गया। कुल 70,751 यात्राएँ चलाई गई, जिसमें 99.88% की औसत समय की पाबंदी के साथ 18,92,239 किलोमीटर की दूरी चलाई। अवधि के दौरान या 56,93,91,789 रुपए तक के किराया बॉक्स राजस्व प्राप्त करके कुल 1,81,07,722 यात्रियों ने यात्रा की। कोविड़-19 के प्रभाव से पहले पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में फरवरी 2020 तक किराया बॉक्स का राजस्व 30% बढ़ गया।

यात्रियों के संरक्षण को बढ़ाने हेतु, वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए। कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं:

क) विशेष और उत्सव के अवसरों के दौरान राजस्व सेवा का समय बढ़ाया गया। दिनांक 02.06.2019 को यूपीएससी परीक्षा के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए राजस्व सेवाओं को आगे कर दिया गया। आईएसएल मैचों के दौरान जेएलएन स्टेडियम में सामान्य राजस्व घंटों से परे अतिरिक्त यात्राएं चालू किए गए।नए साल (01.01.2020) पर, विस्तारित समय के साथ केएमआरएल ने 1,23,975 की सवार दर्ज की। किराया बॉक्स की कमाई 42,59,641 रुपए थी, जो अब तक के उच्चतम है।

ख) संरक्षण बढ़ाने हेतु आर2बी खंड चालू होने के साथ संवर्धन किराया भी शुरू किया गया। दिनांक 04.09.2019 से 18.09.2019 तक, क्यूआर टिकट और कोच्ची 1 कार्ड दोनों पर 50% छूट की पेशकश की गई । दिनांक 19.09.2019 से 30.09.2019 तक क्यूआर टिकट पर 20% और कोच्ची 1 कार्ड पर 25% तक घटाया गया।

ग) यात्रियों के बीच कोच्ची 1 कार्ड के उपयोग करने हेतु बढ़ावा विभिन्न माध्यमों से दिया गया। मेट्रो परिसर से बाहर कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान की गई। दिन के पास, साप्ताहिक पास, नाबालिगों के लिए छात्र कार्ड, ग्रुप बुकिंग आदि नए उत्पाद शुरू की गई। वित्तीय वर्ष के दौरान कोच्ची 1 कार्ड की बिक्री 37799 से बढ़कर 83658 हो गई। इसी तरह, कोच्ची 1 कार्ड से क्यूआर टिकट का उपयोग का अनुपात 14.5% से बढ़कर 24.9% हो गया।

वर्ष के दौरान, हवाई अड्डे तक अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आलूवा मेट्रो स्टेशन और कोचीन हवाई अड्डे के बीच "पवन दूत" नामक एक एक फीडर बस सेवा शुरू की गई। अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक फीडर नीति रखी गई। उक्त नीति के तहत, जेएलएन मेट्रो स्टेशन और इन्फोपार्क के बीच एक और फीडर बस सेवा शुरू की गई।

कर्मचारियों के बीच सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने हेतु दिनांक 4 मार्च 2020 से 10 मार्च 2020 तक सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न सुरक्षा संबंधी गतिविधियों में कर्मचारियों को संलग्न करने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा, आग, प्राथमिक चिकित्सा, निकासी अभ्यास का प्रबंधन, प्रतिष्ठित पेशेवर द्वारा व्याख्यान आदि जैसे विभिन्न सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ आयोजित किए गए। सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, सुरक्षा पोस्टर और नारा लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा, संचालन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं के बराबर में रखने के लिए वर्ष के दौरान 12 मॉक ड्रिल और 474 नाइट ड्रिल आयोजित गई।

मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने एवं निगरानी हेतु स्टेशनों पर सीसीटीवी का प्रबंधन किया गया है। वर्ष के दौरान, अलुवा - महाराजा कॉलेज अनुभाग में स्टेशनों के प्रवेश / निकास के सड़क स्तर के दृश्य को कवर करने के लिए कैमरे प्रदान/स्थानांतरित किए गए। यह स्टेशनों के पहुँच के क्षेत्र के सीसीटीवी कवरेज की सुविधा प्रदान करेगा।

रोलिंग स्टॉक अनुरक्षण: रोलिंग स्टॉक अनुरक्षण कार्यक्रम ओईएम द्वारा प्रदान किए गए की तुलना में अन्य महानगरों और स्वयं के अनुभव के साथ बेंचमार्किंग के माध्यम से कम हो गए। इससे प्रति वर्ष 12 लाख रुपए की बचत हुई। इसके अलावा, रोलिंग स्टॉक अनुरक्षण गतिविधियों को आउटसोर्स किया गया जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक आधार पर 70 लाख रुपए की बचत हुई।

सुविधा प्रबंधन सेवा अनुबंध (केडीएस): टिकट, सफाई और ग्राहक सुविधा गतिविधियों को वर्ष के दौरान करार के तहत मानव शक्ति की आवश्यकता में 30% की कमी लाना युक्तिसंगत बनाया गया और इसीसे बचत किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत प्रयोगशाला स्थापित करना: ओ एवं एम, यानि, सीओएम, आरएसटी, एसटीसी, पीएसटी और एमईपी के विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रबंधित उप-प्रणालियों को मॉड्यूल और सर्किट बोर्ड सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं।समस्या निवारण और मरम्मत की सुविधा के लिए डिपो में एक इन हाउस आम मरम्मत की सुविधा स्थापित की गई है। प्रयोगशाला में वर्कमैन बेंच, आवश्यक उपकरण और मापने के उपकरण हैं। प्रयोगशाला न केवल विभागों में तकनीकी ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देंगे, बल्कि कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करेंगे।

वर्ष के दौरान, प्रशिक्षण केंद्र में कुल 1594 मानव-दिवस प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें 152 कर्मचारियों का योग्यता प्रशिक्षण, 188 कर्मचारियों का सक्षमता प्रशिक्षण, 112 कर्मचारियों का प्रवर्तन प्रशिक्षण, 112 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए टिकटिंग प्रशिक्षण, 20 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेसिक फायर और लिफ्ट प्रशिक्षण, 145 कर्मचारियों के लिए सॉफ्ट स्किल

प्रशिक्षण, 21 महिला कर्मचारियों के लिए आत्मरक्षा तकनीक, 08 कर्मचारियों के लिए सड़क सुरक्षा, 33 कर्मचारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा हॉर्स रील, 103 कर्मचारियों के लिए समस्या निवारण प्रशिक्षण, और 197 कर्मचारियों के लिए अन्य विभिन्न विशेष ड्राइव आदि शामिल थे।

कोविड़ -19 के कारण मार्च के महीने में सवारी में गिरावट दिखी गई। सरकार के निर्देशों के अनुसार दिनांक 22.03.2020 से राजस्व सेवा बंद कर दी गई। सरकार कोविड़-19 स्थिति के तहत मेट्रो के संचालन के लिए विभिन्न निर्देशों और मॉडल एसओपी निर्धारित किए। दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवस्था पूरी हो गई है और केएमआरएल अल्पावधि सूचना पर सेवा को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

गैर-यंत्रीकृत परिवहन पहल

239 करोड़ रुपए में से, 32.19 करोड़ रुपए के संचयी मूल्य के विभिन्न परियोजनाएँ समय पर पूरा हो गया है। निविदा कार्यवाही और शेष कार्य के लिए योजना चल रही है और ये शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, सड़क सुरक्षा आदि के निर्माण के लिए एएफडी, फ्रांस के साथ २७ मिलियन यूरो के ऋण समझौते और परियोजना समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। २४ करोड़ रुपए की ऋण निकासी के लिए अनुरोध एएफ़डी के स्त्यापन के अधीन है ।

अमृत – नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन

नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) आवास और शहरी मामला मंत्रालय (एमओएचयूए) की नवीन पहल में से एक है जिसे जून 2015 में शुरू किया गया। एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में घरों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण, जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा विशेष रूप से गरीबों और क्षतिग्रस्तों को। परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है शहरी परिवहन और शहर भर में ग्रीन स्पेस और पार्क में पैदल यात्रियों के अनुकूल फूटेज और हरित पहुंच प्रदान करना। आवास और शहरी मामला मंत्रालय (एमओएचयूए) ने इस कार्यक्रम के लिए केरल के नौ शहरों को जैसेकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, त्रिश्शूर, कोषिक्कोड, कन्नूर नगर निगम और अलप्पुषा, गुरुवायूर, पालक्कड़ नगर पालिकाओं का चयन किया है।

केरल सरकार ने मिशन निदेशक, एसएमएमयू तिरुवननंतपुरम के माध्यम से केएमआरएल को सौंपा गया कार्य :

1. कोषिक्कोड नगर निगम के लिए डीपीआर की तैयारी और शहरी परिवहन परियोजना का कार्यान्वयन।
2. कोच्ची नगर निगम के लिए डीपीआर की तैयारी और शहरी परिवहन और ग्रीन स्पेस और पार्क परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

इस संदर्भ में, विस्तृत डिज़ाइन अनुमान सहित डीपीआर की तैयारी और परियोजना पर्यवेक्षण, समय पर पूरा करने और नगर निगमों को सौंपने के लिए एंड-टू-एंड समर्थन प्रदान करने हेतु दिनांक १० जनवरी को केएमआरएल, अमृत मिशन निदेशक और कोच्ची/कोषिक्कोड नगर निगमों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तीन अमृत परियोजनाएँ पूरी हो गई हैं और शेष १४ परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। परियोजना की स्थिति इस प्रकार है :

The project status is as follows:

क्रम सं.	परियोजना विवरण	परियोजना स्थल	एएस राशि (करोड़ में)	स्थिति	प्रत्याशित परियोजना पूर्ति	कार्य पूर्ति की %	टिप्पणियाँ
नगर परिवहन, पार्क एवं ग्रीन स्थल विकास (अप्रैल -2020) के तहत अमृत परियोजना का विवरण							
1	अमृत योजना एसएएपी 17-18 (पैकेज I) के तहत कोच्ची नगर निगम के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्क और ग्रीन क्षेत्रों का विकास	कुडुमबी कॉलोनी	3.619	स्थल मार्च 2020 को सौंप दी गई।	अगस्त-20		मार्च 2020 को ही कोच्ची नगर निगम द्वारा स्थल का हस्तांतरण किया गया।
		वैट्टिला में चिलवन्नूर झील के पास नया पार्क		केसीज़ेडएमए का अनुमोदन की प्रतीक्षा में है		40%	सीआरज़ेड अनुमति लेने हेतु जिलाधीश के निर्देशानुसार काम अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। केसीज़ेडएमए का अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।
		मैत्री नगर पार्क		कार्य संपन्न हुआ		100%	काम पूरा हुआ और कोच्ची नगर निगम को सौंप दिया गया।
		वैप्पिन जेट्टी ग्रीन स्पेस विकास		कार्य संपन्न हुआ		100%	
2	अमृत योजना एसएएपी 16-17 एवं 17-18 (पैकेज II) के तहत कोच्ची नगर निगम के विभिन्न स्थानों पर वाल्क वे का निर्माण	पैनोरमा रोड पर वॉकवे	5.905	कार्य संपन्न हुआ	जुलाई-20	100%	
		पेट्टा से गांधी स्क्वायर तक वॉकवे		पेवर टाइल बिछाने का काम प्रगति पर है		68%	कोविड़ -19 के कारण, काम विलंबित हुई और जुलाई 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
		नाज़रेत जनता जुबली रोड़ पर वॉकवे		ड्रेन स्लैब और पेवर टाइल बिछाने का काम प्रगति पर है		75%	
		तोप्पुंपड़ी में वॉकवे और जंक्शन विकास		ड्रेन स्लैब बिछाने का काम प्रगति पर है		72%	
		पम्बायिमूला इंदिरा गांधी में वॉकवे और जंक्शन विकास		पेवर टाइल बिछाने का कार्य प्रगति पर है।		64%	

नगर परिवहन, पार्क एवं ग्रीन स्थल विकास (अप्रैल -2020)
के तहत अमृत परियोजना का विवरण

क्रम सं.	परियोजना विवरण	परियोजना स्थल	एएस राशि (करोड़ में)	स्थिति	प्रत्याशित परियोजना पूर्ति	कार्य पूर्ति की %	टिप्पणियाँ
3	अमृत योजना के तहत लिफ्ट और एस्कलेटेर्स के साथ पैदल ओवर ब्रिड्ज का निर्माण, मोफ़ुसिल/नया बस स्टैंड, कोषिक्कोड के पास पहुँच में सुधार	नया बस स्टैंड, कोषिक्कोड के पास	11.35	१.५ किमी पैदल पथ का ९५% काम पूरा हुआ। एफओबी प्रवेश/प्रस्तान भवन का प्लास्टरिंग कार्य प्रगति पर है।	सितंबर-20	68%	कोविड़-19 के कारण एस्केलेटर और लिफ्ट की सुपुर्दगी में देरी हुई।
4	अमृत योजना (पैकेज IV) के तहत कोच्ची नगर निगम के लिए पद्मसरोवरम वॉकवे और साइकिल ट्रैक का निर्माण ।	एलमकुलम मेट्रो स्टेशन के पास	9.309	कार्य समाप्ति पर है		6%	सीआरज़ेड अनुमति हेतु केसीज़ेडएमए ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
5	अमृत योजना एसएएपी 16-17 एवं17-18 (पैकेज V) के तहत कोच्ची नगर निगम के लिए विभिन्न स्थानों पर वॉकवे का निर्माण	जीसीडीए जंक्शन से केंद्रीय विद्यालय और मार्केट रोड तक वॉकवे	6.602	पेवर टाइल बिछाने का कार्य प्रगति पर है।	जुलाई-20	70%	विड़-19 के कारण, कार्य विलबित हुआ और जुलाई 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
		कर्णकोडम तोडु के समांतर वॉकवे		इंटरलॉक पेवर बिछाने का काम प्रगति पर है।		80%	
		चंबक्करा नहर सड़क के समांतर वॉकवे		हैंडरेल फैब्रिकेशन और फिक्सिंग का काम प्रगति पर है।		80%	
		तेवरा जंक्शन पर वॉकवे और जंक्शन का विकास		नाली दीवार की ढलाई का कार्य प्रगति पर है		25%	
		जेएलएन स्टेडियम से पाइप लाइन रोड तक वॉकवे		इंटरलॉक पेवर बिछाने और मैनहोल स्लैब पेसिंग का कार्य प्रगति पर है		60%	
		मुलांकुषी समुद्री किनारे सड़क के समांतर वॉकवे		नाली केर्बस्टोन कार्य चालू है।		70%	
	कुल		**36.785**				

शहरी परिवहन

क. केएमआरएल ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, **2006** में परिकल्पित के अनुसार, देश का पहला व्यापक शहरी मोबिलिटी अधिनियम, **"**केरल महानगर परिवहन प्राधिकरण अधिनियम, **2019"** तैयार करने में केरल सरकार की सहायता करने का कार्य संपूर्ण किया है। केरल विधानसभा ने दिनांक **21** नवंबर **2019** को केएमटीए विधेयक, **2019** को लागू किया। केएमआरएल ने केएमटीए नियमों के मसौदे को तैयार करने में भी केरल सरकार की सहायता की।

ख. केएमआरएल ने 2020-2021 में प्रस्तावित स्केलिंग-अप चरण के दौरान मेसर्स कैनेटिक ग्रीन एनर्जि एंड पावर सोलुशन्स लिमिटेड और मेसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ पट्टे समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए एरणाकुलम जिला ऑटोरिक्शा चालक सहकारी समिति की सुविधा प्रदान की है।

ग. केएमआरएल शहर में निजी बसों को एकत्र करने में सहायक रहे। वर्तमान में, 'स्मार्ट बस' के नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 150 निजी बसें कोच्चि 1 कार्ड को अन्य यात्री अनुकूल सुविधाओं के साथ, किराया भुगतान साधन के रूप में स्वीकार कर रही हैं। "कोच्चि के लिए निर्बाध गतिशीलता' के तहत के यह स्मार्ट बस पहल, केरल सरकार के सहयोग से कोच्ची में एक बहु-मॉडल परिवहन एकीकरण पहल लागू की जा रही है और केएमआरएल ने लखनऊ में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस -2019 में 'बेस्ट सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट' की श्रेणी में 'सराहनीय पहल' का पुरस्कार जीत लिया और यह पुरस्कार माननीय परिवहन मंत्री द्वारा प्राप्त किया गया ।

मानव संसाधन

केएमआरएल के मानव संसाधन विभाग ने कंपनी की जरूरतों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। .केएमआरएल मिशन और विजन के लिए सही रहते हुए, "कर्मचारी सशक्तिकरण" के महत्व का अनुसरण करते हैं और यह कार्य संस्कृति, कर्मचारी जुड़ाव, उत्पादकता, प्रभावशालिता और दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित है।

चालू निर्माण गतिविधियों और अनुवर्ती संचालन के मद्देनजर मानवशक्ति और उनके सक्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है। २० जून २०२० तक, केएमआरएल के पास परियोजना विंग में ९७, परिचालन और रखरखाव विंग में ३९९ और जल परिवहन विंग में १८ सहित एक समर्पित निजी टीम है। नव भर्ती तकनीकी मानवशक्ति को हमारे भविष्य के परिचालन / कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सक्षम कार्यबल के निर्माण के लिए केंद्रीकृत प्रशिक्षण अवसंरचना और संसाधनों का उपयोग करते हुए विर्चुयल कक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

महिला सशक्तीकरण के हिस्से के रूप में, केएमआरएल ने स्टेशनों पर टिकटिंग, हाउसकीपिंग और भीड़ प्रबंधन जैसे सेवाएं प्रदान करने के लिए कुडुम्बश्री (एक महिला स्वयं सहायता समूह) के साथ सहयोग किया है।

कोविड़-१९ महामारी के प्रकोप के कारण पूरे राष्ट्र में व्याप्त अनिश्चित स्थिति में, केएमआरएल ने कोविड़ -१९ के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी निर्देशों और निवारक उपायों का पालन किया है। सभी मानदंड जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, कार्यालय में

प्रवेश करने और कार्यालय से बाहर निकलते समय सैनिटाइज़र लिक्विड का उपयोग करना अनिवार्य है। कार्यालय परिसर की सफाई (सैनिटेशन) नियमित रूप से की जा रही है। सभी कर्मचारियों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही कार्यालय और कार्य स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति है। लॉक डाउन अवधि के दौरान, एमएचए से विभिन्न निर्देशों में निहित निर्देशों के अनुसार, केएमआरएल ने अपने आउटसोर्स कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों को वेतन दिया है।

आरक्षित श्रेणी का रोज़गार

अ.ज./अ.ज.जा/ शारीरिक रूप से विकलांग/अन्य पिछड़ा समुदायों के संदर्भ में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सावधानी से पालन किया जा रहा है। अ.ज./अ.ज.जा वर्ग में हुए कमी को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को प्रायोजित करने के लिए प्रभागीय रोजगार कार्यालय से संपर्क किया गया, जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 20 जून 2020 के अनुसार, कंपनी ने 56 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 246 अन्य पिछड़ा वर्ग, 9 भूतपूर्व सैनिक और 5 अलग-तरह से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति की है।

केएमआरएल के प्रबंधन हमेशा यह महसूस करता है कि संगठनात्मक लक्ष्यों की सफल उपलब्धि के लिए एक प्रेरित, तृप्त और संतुष्ट कार्यबल महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी मानव संसाधन विकास और इसकी क्षमता की प्राप्ति के लिए अपना कार्य जारी रखता है। साल भर नियोक्ता-कर्मचारी संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहा और केएमआरएल अपने लक्ष्यों को समय पर बेहतर रूप से पूरा कर सकेंगे।

निगमित संचार प्रबंधन और सोशल मीडिया में उपस्थिति

कॉर्पोरेट संचार विभाग (सीसी) ने मीडिया कवरेज सुनिश्चित करके कार्यक्रमों का आयोजन किया और पिछले वर्ष में कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के ब्रांड मूल्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन का कार्य किया। वर्ष में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे कोच्ची मेट्रो की सवारी एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचे।

आर्ट्रैक पेंटिंग प्रतियोगिता (जुलाई 2019)

आर्ट्रैक एरणाकुलम जिले के स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित एक पेंटिंग प्रतियोगिता थी। अलुवा मेट्रो स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में 600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और 1000 अतिरिक्त व्यक्तियों ने भाग लिया। केएमआरएल ने इस इवेंट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि मेट्रो स्टेशनों के रिक्त स्थान का उपयोग छोटी इवेंटों के लिए उपयोगित किया जा सकता है।

विषु 2019 (अप्रैल 2019)

ब्रांडिंग गतिविधि के एक हिस्से के रूप में टाटा टी के लिए एक स्टाल के डिजाइन और स्थापना के लिए मार्केटिंग टीम के साथ समन्वय किया गया।

क्रिस्मस 2019 (दिसंबर 2019)

ब्रांडिंग गतिविधि के एक हिस्से के रूप में टाटा टी के लिए एक स्टाल के डिजाइन और स्थापना के लिए मार्केटिंग टीम के साथ समन्वय किया गया।

दरबार हॉल जनकीयम स्टाल की स्थापना

कोच्ची मेट्रो की प्रगति के साथ-साथ बहुप्रतीक्षित जल मेट्रो परियोजना का प्रदर्शन करने के लिएव कोच्ची मेट्रो के लिए एक स्टॉल स्थापित किया।

इवॉल्व प्रदर्शनी (जुलाई 2019)

केएमआरएल को इवॉल्व एक्सपो 2019 की नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित अपनी तरह के पहले प्रदर्शनी में हजारों इलेक्ट्रिक वाहन उत्साही और सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ निर्माता भी थे। कॉर्पोरेट संचार टीम ने इस इवेंट के मीडिया कवरेज सहित सार्वजनिक संबंध का एकल प्रबंधन किया। शहरी परिवहन विंग के उचित समर्थन के साथ, एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी को काम पर रखा गया और प्रदर्शनी सफलतापूर्वक संचालित किया।

जल मेट्रो की ई-गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए जल मेट्रो का एक छोटा स्टाल भी स्थापित किया।

महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती

महात्मा गांधी की १५० वीं जयंती मनाते हुए, सीसी विभाग ने पिछले वर्ष कुछ कार्यक्रम और एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया।

कोच्ची में गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस मनाने हेतु केएमआरएल ने गाँधी पीस फाउंडेशन कोच्ची के साथ सहयोग किया और एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस आयोजन में १००० से अधिक लोगों ने भाग लिया और हिंसा के खिलाफ शपथ ली। आयोजन में ६०० विद्यालयों के छात्रों ने भी भाग लिया।

एटीएमए ह्रस्व चित्र प्रतियोगिता

एटीएमए ह्रस्व चित्र प्रतियोगिता के पहले संस्करण की घोषणा दिनांक १७-०७-२०१९ को महात्मा गांधी की १५० वीं जयंती के एक भाग के रूप में की गई। ह्रस्व चित्र का नाम महात्मा शब्द से लिया गया। विषय - 'लालच' महात्मा गांधी के कहावत "दुनिया में सब है, जो सभी की जरूरतों के लिए पर्याप्त है, परंतु सभी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है" से लिया गया था। प्रतियोगिता को ऑनलाइन बढ़ावा दिया गया। प्रतियोगिता के बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि जैसे सोशल मीडिया पेजों पर कुल दस रचनात्मक पोस्ट किए गए और शेयर किए गए। अपने हिसाब से बनाया गया एक वीडियो शूट और संपादित किया गया जिसके माध्यम से विजेताओं की घोषणा की गई।

प्रविष्टियों की कुल संख्या: 25-09-2019 को समाप्त तिथि तक कुल 27 ह्रस्व चित्र मेल में प्राप्त हुई। इसमें से नौ फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

तैक्कूडम लॉन्च

केएमआरएल ने दिनांक 3 सितंबर को और पाँच स्टेशन खोल दिए। कार्यक्रम का उद्घाटन कड़वंत्रा राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। इवेंट के सुचारू संचालन के लिए एक इवेंट एजेंसी को नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिणराई विजयन और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया। सीसी टीम ने मीडिया कवरेज को संभाला जबकि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए केएमआरएल का समर्थन प्राप्त था।

सीसी विभाग ने ग्राहक अनुभव की ब्रांडिंग और विकास के लिए जल मेट्रो के साथ मिलकर भी काम किया।

सोशल मीडिया पर भी बीते साल को एक महत्वपूर्ण कवरेज देखने को मिली। १५० बेजोड़ ह्रस्व वीडियो बनाए गए और कई पोस्टर डिज़ाइन किए गए। कंपनी के संवर्धन हेतु नियमित कार्य जैसे कि समाचार पत्र, ब्लॉग, वेबसाइट सामग्री अद्यतन जैसे कार्य भी किए गए।

सतर्क तंत्र

दिनांक 18 जनवरी 2016 को आयोजित 23 वीं बैठक में आपके बोर्ड ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 (9) के अनुसार एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति रखी गई है। इसमें कोई और बदलाव नहीं किए गए तत्पश्चात् और यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भी उपयुक्त है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सतर्क तंत्र के तहत कोई शिकायत नहीं मिली है।

सूचना अधिकार

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आरटीआई अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को लागू किया है, जो नागरिकों को कंपनी के व्यवहार्यता और पारदर्शिता पर उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए जानकारी तक पहुँच प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीआई अधिनियम के विभिन्न सक्षम प्रावधान पत्र और विश्वास में लागू किए गए हैं, उपयुक्त अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 77 आरटीआई आवेदन और साथ ही 10 प्रथम अपील प्राप्त की गईं। उपरोक्त सभी आरटीआई आवेदन, साथ ही प्रथम अपील का आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का सख्त अनुपालन करते हुए संबंधित अधिकारियों द्वारा निस्तारण किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) या राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के समक्ष कंपनी के खिलाफ कोई दूसरी अपील दायर नहीं की गई।

ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण

ऊर्जा का संरक्षण

सभी मेट्रो स्टेशन, कार्यालय, डिपो क्षेत्र, पुल, पार्किंग क्षेत्र, संपत्ति विकास क्षेत्र और जहाँ भी प्रकाश आवश्यक हो वहाँ 100%

एलईडी प्रकाश व्यवस्था की गई है, जिससे प्रकाश में ऊर्जा की बचत होती है। गाड़ियों के अंतर और बाहर प्रकाश व्यवस्था के रूप में ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट्स का उपयोग किया है।

ट्रेन के प्रोपल्शन प्रणाली में परिवर्तनीय वोल्टेज चर आवृत्ति (वीवीवीएफ़) ड्राइव का उपयोग किया है, जिससे ट्रेन के पॉवरिंग के दौरान कम ऊर्जा लेता है। पुनर्योजी ब्रेकिंग तकनीक को अपनाया गया है जिसमें ऊर्जा, अन्यथा ब्रेकिंग के दौरान जल डालना पड़ता है, जिसे बिजली में परिवर्तित किया जाता है और रेल द्वारा इसका उपयोग किया जाता है।

अप्रयुक्त समय स्लॉट या खाली क्षेत्रों के दौरान बिजली के अपव्यय को कम करने के लिए स्टेशनों और प्रशासनिक बिल्डिंग में डिजिटल टाइमर और ऑक्यूपेंसी सेंसर-आधारित प्रकाश नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया है।

स्टेशन, डिपो, प्रशासनिक बिल्डिंग और कॉरपोरेट कार्यालय में उच्च-दक्षता वाली वीआरएफ (वैरिएबल रीफ्रिजेंट फ्लो) आधारित वातानुकूल प्रणाली का उपयोग किया गया है, जो काफी मात्रा में ऊर्जा बचाती है। एचवीएसी के तापमान की स्थापना में संशोधन - ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार एसी में तापमान में वृद्धि के लिए हर एक डिग्री के लिए 6% ऊर्जा की बचत है। उपकरण कमरों में तापमान 6 डिग्री बढ़ाकर 23 डिग्री कर दिया गया है और कुछ मानवयुक्त कमरों में 25 डिग्री पर सेट किया गया है।

एस्केलेटर में ऊर्जा बचत मोड को सक्षम करके, 21 स्टेशनों में कुल साप्ताहिक रूप से ऊर्जा की बचत पर्याप्त रूप से उच्च है। बिजली के उपभोग को कम करने के लिए गैर-पीक घंटों के दौरान विशेष रूप से गैर-पीक घंटों में कम भीड़ वाले स्टेशनों में -10 बजे से 3 बजे और 7 बजे से 7 बजे तक एस्केलेटर को बंद करते हैं। एचवीएसी अपव्यय कटौती जैसे कट-आउट को बंद करना, द्वारा वातानुकूल अपव्यय को कम करते हैं। तकनीकी कमरों में, दरवाज़े के अंतराल के माध्यम से एसी रिसाव को बीडिंग का उपयोग करके बंद किया जा रहा है।

लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए वीवीवीएफ़ (परिवर्तनीय वोल्टेज चर आवृत्ति) ड्राइव का उपयोग किया गया है, जो जब यात्रियाँ नहीं है तो लिफ्टों के लिए स्लीप मोड और एस्केलेटर के लिए निष्क्रिय या धीमी गति मोड आदि सभी स्टेशनों और व्यवस्थापक भवन में प्रदान किया है। केएमआरएल स्टेशन, डिपो और कॉर्पोरेट कार्यालय ने डिजाइन चरण में ही ग्रीन बिल्डिंग मानदंड को अपनाया है और अधिष्ठापन को नेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग दी गई है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग

केएमआरएल ने एक सौर ऊर्जा नीति अपनाई है और पूरी ऊर्जा तटस्थता हासिल करने के प्रयास में है। केएमआरएल ने अपने कब्जे के अधीन के मकान के छतों या अप्रयुक्त भूमि क्षेत्र में 5.4 एमडबल्यूपी की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित और चालू की है। इन परियोजनाओं को आरईएससीपी (रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी) मॉडल के माध्यम से लागू किया गया, जिसमें सभी सीएपीईएक्स को बिजली उत्पादक/ठेकेदार द्वारा निवेश किया गया। वर्तमान सौर ऊर्जा औसतन उत्पादन प्रति दिन लगभग 23,000 इकाई है। इसके अलावा अतिरिक्त 5.4 मे.वा.पा. के क्षमता वाले अनुबंधित किया गया है और इसका काम शुरू हो गया है।

ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूँजी निवेश

संगठन के लिए प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयासऔर जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ निवेश करना एक लक्ष्य रहा है । सौर ऊर्जा परियोजनाएँ आरईएससीपी मॉडल पर कार्यान्वित किया है, जिसमें केएमआरएल का पूँजी निवेश शून्य है।

प्रौद्योगिकी आमेलन

संविदा के चरण में ही प्रौद्योगिकी आमेलनों के लिए आवश्यक प्रावधानों का उपयोग किया गया था और तदनुसार केएमआरएल के लिए रोलिंग स्टॉक 70% की स्थानीय सामग्री के साथ केवल भारत में निर्मित किया गया है, जिसने गाड़ियों की लागत को काफी हद तक कम कर दिया है। वर्तमान में, नए स्टेशनों के लिए एस्केलेटर में स्थानीय सामग्री को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अन्यथा पूरी तरह से आयात किया है।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने –

क. किसी भी व्यक्ति या अन्य निकाय निगमित को कोई भी ऋण नहीं दिया है।

ख. किसी अन्य निकाय निगमित या व्यक्ति को किसी भी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई; तथा

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित अंशदान, क्रय या अन्यथा, किसी अन्य निकाय निगमित की प्रतिभूतियों को अधिग्रहित नहीं किया है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पार्टियों के साथ किसी भी अनुबंध या व्यवस्था शुरू नहीं किया है।

हालाँकि, आपकी कंपनी ने दिनांक २६ जून २०२०, को सीएसएमएल जो कि संबंधित पार्टी है, के साथ, धारा १८८, संबद्ध नियम और कंपनी अधिनियम, २०१३ के अपेक्षित प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद, लीव एंड लाइसेंस समझौता किया है।

सामग्री में परिवर्तन और प्रतिबद्धता

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४३ (१२) के तहत, वहाँ बनाए गए नियमों सहित लेखा परीक्षा समिति या निदेशक मंडल को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है।

सावधि जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत आपकी कंपनी ने जनता से किसी भी सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा आय प्राप्त नहीं की। हालांकि, 0.05 करोड़ रुपए के बराबर की राशि विदेश यात्रा के लिए खर्च किए गए।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कंपनी संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जब परियोजना के जीवन भर की जरूरत हो और बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाई जा सके और बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

इसे ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों की पहचान की है:

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य के सामग्री जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, मात्रा निर्धारण, उचित रूप से कम से कम और समय पर प्रबंधन की जाती है;
2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च प्राथमिकता वाले जोखिम आक्रामक रूप से प्रबंधित और समाप्त करते हैं;
3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना में सभी जोखिम लागत-प्रभावी रूप से प्रबंधित हैं;
4. परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर सूचना शेयर करने को बढ़ावा देना;
5. जहाँ भी लागू हो, उपयुक्त विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

आपकी कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने और सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं :

- कंपनी के लिये जोस्विम प्रबंधन नीति आई आई सम कोझिकोड द्वारा तैयार की गई।
- कंपनी पर लागू विभिन्न कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी सचिव, महाप्रबंधक (एचआर, प्रशासन और प्रशिक्षण) और कानूनी अधिकारी को शामिल करके एक आंतरिक टीम का गठन।
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा तिमाही आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करना; लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनकी टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है और जहाँ भी उपयुक्त पाया जाता है वहाँ सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- इस उद्देश्य के लिए गठित एक टीम और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन।
- सुरक्षा और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संचार और डेटा के भंडारण के लिए डेटा एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग
- कंपनी के परिसंपत्तियों का बीमांकन।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरस्थाईता पहल

एक जिम्मेदार और उत्तरदायी निगमित नागरिक होने के नाते, आपकी कंपनी अपने पणधारियों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, प्रबंधन,

आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और समुदाय के लिए प्रतिबद्ध है। एक पर्यावरणानुकूल मेट्रो संगठन के रूप में, कंपनी को समाज के प्रति जिम्मेदारी के नाते आपकी कंपनी अपनी स्थापना के शुरुआत से ही कोच्ची के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के पहल शुरू की है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों का यथावत अनुपालन किया है और एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है, जिसमें हैं:

1. श्री अलकेश कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री स सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री डी के सिंहा - सदस्य
5. श्री कुमार के आर - सदस्य

यद्यपि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में व्यय करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने स्वेच्छा से निम्नलिखित पहल की :

क. मीडियन सौंदर्यीकरण

मेट्रो संरेखण के साथ के खूबसूरती और पर्यावरण में योगदान (हरियाली) को बढ़ाने के लिए मीडियन सौंदर्यीकरण आवश्यक है। अतः केएमआरएल ने केएमआरएल द्वारा सुशोभित जंक्शनों के रखरखाव के साथ-साथ एडप्पल्ली से तैक्कूडम तक के सौंदर्यीकरण के लिए इच्छुक प्रायोजकों को काम सौंपने की परिकल्पना की है। अनुबंध की अवधि दो साल है। केएमआरएल ने सौंदर्यीकरण के लिए अभी तक 103 मीडियनों को सौंपा है।

ख. स्टेशनों में जैव अपशिष्ट प्रबंधन

केएमआरएल ने बायो डिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्टेशनों और डिपो में स्थानीय रूप से ढाला हुआ ओवन सूखा मिट्टी/टेराकोटा बर्तन स्थापित किया है। सभी प्रकार के बायोडिग्रेडेबल कचड़े को इन इकाइयों में ही एकत्रित और संसाधित किया जाता है अतः स्टेशनों/डिपो से कचड़े को परिवहन करने की लागत कम हो गई है और अपशिष्ट को स्रोत स्टेशन में ही संसाधित किया जा सकता है।

इन इकाइयों से उत्पादित कंपोस्ट को केएमआरएल परिसर में बागवानी गतिविधियों के लिए उपयोगित किया जाता है। इन बर्तनों को स्थापित करके केएमआरएल ने न केवल मिट्टी के बर्तनों के कुटीर उद्योग की मदद की है, बल्कि इसके सामाजिक उत्तरदायित्व को भी जोड़ा है। 22 मेट्रो स्टेशनों से प्रति दिन 100 कि.ग्रा. जैव-अपशिष्ट एकत्रित और संसाधित किया जाता है ।

ग. विक्रेता को सूखा कचड़ा और समतुल्य पुर्ननवीकृत सामग्री कार्यालय उपयोग के लिए लेना

चिरस्थाईता पहल के हिस्से के रूप में, पेपर और प्लास्टिक अपशिष्ट पुनरावृत्ति को एक एनजीओ फाउंडेशन

(कोयंबत्तूर में स्थित एश्री फाउंडेशन जो कोच्ची में अपने मताधिकार एकोरिकिल के माध्यम से अपशिष्ट एकत्र करेंगे) को आउटसोर्स किया गया है। केएमआरएल और एनजीओ के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार एनजीओ सभी कागज़ और प्लास्टिक कचड़े को इकट्ठा करेंगे और बदले में, वे केएमआरएल द्वारा तय किए गए अनुसार केएमआरएल को पैसे या समकक्ष उप-उत्पाद देंगे। मुट्टम, जेएलएन, महाराजा और तैक्कूडम स्टेशनों को पायलट आधार पर पुनरावृत्ति परियोजना के लिए परिकल्पित किया है।

इन उपायों के ज़रिए न केवल प्रत्येक स्टेशनों से कचड़े को इकट्ठा करने से होने वाले 1.15 लाख रुपये के मासिक खर्च को समाप्त कर दिया, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन को और चिरस्थाई बनाने में भी योगदान दिया।

दो दिसंबर 19 और जनवरी 2020 में कुल 2500 किलोग्राम का पेपर कचड़ा और 80 किलोग्राम प्लास्टिक कचड़ा एकत्रित किया जिसके बदले में विक्रेता द्वारा A4 पेपर के 14 बंडल की आपूर्ति की गई।

घ. वर्षा जल संचयन

केएमआरएल ने एससीएमएस जल संस्थान के साथ मिलकर स्टेशनों और डिपो में वर्षा जल संचयन की संभावना को खोजने हेतु जल की जाँच और व्यवहार्यता अध्ययन किया।

इन अध्ययनों के आधार पर, केएमआरएल और एससीएमएस बीच एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया और वर्षा जल संचयन का एक एक पायलट परियोजना कंपनीपड़ी स्टेशन में कार्यान्वित किया गया। इस वर्षा जल संचयन संयंत्रों को और अधिक स्टेशनों तक विस्तारित करने की योजना है।

वैकल्पिक राजस्व पहल

वर्ष 2019-20 के दौरान, केएमआरएल ने 5 से 10 साल के कार्यकाल के लिए लगभग 29000 वर्ग फुट जगह पट्टे पर दे दिया। ग्राहकों में नोर्का रूट्स, केरल भूमि सुधार और विकास सहकारी समिति लिमिटेड, सिंडिकेट बैंक, तोडुपुषा ड्रग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, मैकडॉनल्ड्स आदि शामिल थे।

प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणी:

इस रिपोर्ट में अलग से संलग्न किया है।

निदेशक मंडल

31.03.2020 को, आपकी कंपनी के बोर्ड में 12 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 4 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामांकित हैं, 5 निदेशक केरल सरकार द्वारा नामांकित हैं और ३ कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार इसके अध्यक्ष हैं, जबकि प्रबंध निदेशक केरल सरकार के एक नामित व्यक्ति है। निदेशक मंडल पर एक विस्तृत नोट 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' के तहत प्रदान किया गया है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के बैठक दिनांक ३ मई २०१९, ९ अगस्त २०१९, ३ सितंबर २०१९ और १९ दिसंबर २०१९ को आयोजित किया।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने केएमआरएल के विस्तार एवं संचालन स्वरूप के अनुरूप आठ उप समितियों का गठन किया। ये हैं; लेखा परीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति, संचालन और रखरखाव समिति,परियोजना प्रबंधन समिति, निवेश समिति, अधिप्राप्ति समिति और संपत्ति विकास समिति। इनमें से प्रत्येक उप-समितियों ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों को स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। ये उप-समितियाँ आपकी कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर मिलती हैं। 'निगमित गवर्नेंस रिपोर्ट' खंड के तहत बोर्ड की उप-समितियों का विवरण प्रदान किया जाता है।

निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निदेशकों को नामित निदेशकों के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो सेवामुक्त/सेवानिवृत्त हुए:

क्रम सं.	सेवा स्थगित निदेशक का नाम	स्थगन की तिथि	नियुक्त निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री एम. शिवशंकर	10.07.2019	श्री के आर ज्योतिलाल	10.07.2019
2.	श्री के. मोहम्मद वाई सफ़िरुल्ला	07.08.2019	श्री एस सुहास	07.08.2019
3.	श्री डिंपी गर्ग	09.08.2019	–	–
4.	श्री ए.पी.एम. मोहम्मद हनीष	25.09.2019	श्री अल्केश कुमार शर्मा	25.09.2019
5.	श्री मुकुन्द कुमार सिंहा	06.12.2019	श्री जयदीप	09.08.2019
6.	वाइस एड्मिरल एस के के कृष्णन	19.12.2019	–	–
7.	श्री मनोज जोषी	13.02.2020	श्री राजेश कुमार सिंह	13.02.2020

वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्य स्थाई रहा:

- श्री दुर्गा शंकर मिश्र
- श्री डी के सैनी
- श्रीमती सुजाता जयराज
- श्री टोम जोस
- श्री तिरुमन अर्चुनन
- श्री कुमार के आर
- श्री डी के सिंहा

दिनांक ३१ मार्च, २०२० तक हुए निर्देशकीय परिवर्तन:

- दिनांक 10 जुलाई 2019 को श्री के.आर. ज्योतिलाल, प्रमुख सचिव (परिवहन), केरल सरकार, ने बोर्ड में श्री एम. शिवशंकर के स्थान पर निदेशक (केरल सरकार द्वारा नामांकित) के रूप में कार्यभार संभाला।
- दिनांक 7 अगस्त 2019 को, बोर्ड में श्री के. मोहम्मद वाई सफ़िरुल्ला के स्थान पर श्री एस. सुहास, जिलाधीश एरणाकुलम, ने निदेशक (केरल सरकार द्वारा नामांकित) के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- दिनांक 9 अगस्त 2019 को, बोर्ड में पूर्व रेलवे बोर्ड के नामित के स्थान पर श्री जयदीप, कार्यकारी निदेशक, विद्युत अभियांत्रिकी रेलवे बोर्ड, ने निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) के रूप में पदभार ग्रहण किया। *
- दिनांक 19 सितंबर 2019 को वाइस एडमिरल एस.के. कृष्णन, स्वतंत्र निदेशक, ने अपना इस्तीफा दे दिया और केएमआरएल बोर्ड के उनके निदेशक का पद स्थगित किया गया।
- दिनांक 25 सितंबर 2019 को, श्री ए.पी.एम.मोहम्मद हनीष के स्थान पर श्री अलकेश कुमार शर्मा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर, केरल सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- दिनांक 6 दिसंबर 2019 को, श्री मुकुंद कुमार सिन्हा के स्थान पर श्री जयदीप, कार्यकारी निदेशक, विद्युत अभियांत्रिकी, रेलवे बोर्ड को बोर्ड में निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामांकित) के रूप में नामित किया गया। *
- दिनांक 13 फरवरी 2020 को, बोर्ड में श्री मनोज जोशी के स्थान पर श्री राजेश कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य

सचिव (वित्त), केरल सरकार, ने निदेशक (केरल सरकार द्वारा नामित) के रूप में कार्यभार संभाला।

** श्री जयदीप, कार्यकारी निदेशक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड को दिनांक 9 अगस्त 2019 के जीओआई पत्र संख्या के-14011/17/2017/एमआरटीएस-समन्वयन के तहत पूर्व रेलवे बोर्ड नामांकित व्यक्ति श्री डिंपी गर्ग के स्थान पर कोचची मेट्रो रेल लिमिटेड के निदेशक के रूप में नामित किया है। इसके बाद, श्री मुकुंद कुमार सिन्हा के कार्यालय समाप्ति पर, दिनांक 6 दिसंबर 2019 के जीओआई पत्र संख्या के-14011/पी-1/2016-यूटी-वी के तहत श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा के स्थान पर श्री जयदीप ने ओएसडी (यूटी), एमओएचयूए के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, इसके परिणामस्वरूप केएमआरएल बोर्ड में रेलवे बोर्ड के नोमिनी का पद रिक्त हो गया।*

इस रिपोर्ट की तारीख से पहले, यानि 31 मार्च, 2020 के बाद हुए प्रत्यक्ष परिवर्तन :

- दिनांक 31 मई 2020 को, बोर्ड में श्री टॉम जोस के स्थान पर के डॉ. विश्वास मेहता, मुख्य सचिव,केरल सरकार, ने निदेशक (केरल सरकार द्वारा नामित) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

बोर्ड ने निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री टॉम जोस, श्री ए.पी.एम. मोहम्मद हनीष, श्री मुकुन्द कुमार सिंहा, वाइस एडमिरल एस.के. कृष्णन और श्री मनोज जोशी द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सराहना की।

आज की तारीख में आपकी कंपनी में निम्नलिखित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हैं :

- श्री अल्केश कुमार शर्मा–प्रबंध निदेशक
- श्री तिरुमन अर्चुनन–निदेशक, परियोजना
- श्री कुमार के आर –निदेशक, वित्त एवं सीएफ़ओ
- श्री डी के सिंहा–निदेशक, प्रणाली
- श्री श्याम सुंदर अग्रवाल–कंपनी सचिव

निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

आपकी कंपनी वार्षिक आधार पर अपने तीनों कार्यात्मक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन का संचालन करती है। समीक्षाधीन वर्ष में, सभी तीन कार्यात्मक निदेशक अपने प्रत्येक कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट रहे ।

नामित निदेशकों के मामले में, इनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन संबंधित सरकारों द्वारा किया जाता है, जिनके द्वारा उन्हें नामांकित किया है।

अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों का विवरण

आपकी कंपनी के पास कोई अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी नहीं है। वर्ष के दौरान कोई भी कंपनी हमारे साथ अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी के रूप में नहीं बनी या समाप्त हुई।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार किया गया है। आपकी कंपनी आर्थिक तुलन पत्र की तैयारी और प्रस्तुत करने की कार्य के अधीन है।

महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश

नियामकों या कोई न्यायालय या अधिकरण द्वारा कंपनी की वर्तमान विचारों पर प्रभाव डालने या इसके संचालन को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान किए गए वार्षिक रिटर्न के एमजीटी -9 के रूप में इस बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है और इसका हिस्सा है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने आपकी कंपनी के व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु मज़बूत नीतियों और प्रक्रियाओं जैसेकि अपनी परिसंपत्ति की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना और विश्वसनीय वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुत करना आदि को अपनाया है।

निगमित अभिशासन

आपकी कंपनी निगमित अभिशासन मानकों का पालन करती है और इसके सभी गतिविधियों में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही लक्षित करता है। 'निगमित अभिशासन रिपोर्ट' नामक एक अलग खंड को इस रिपोर्ट में संलग्न किया है।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

निगमित मामलों के मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान (आईसीएसआई) ने निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के सचिवीय मानकों को संशोधित किया है, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी हो गए हैं। कंपनी उसी का अनुपालन कर रही है।

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, मैसर्स के. वेंकटाचलम अय्यर एवं कंपनी, शासनपत्र लेखाकार को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एवं एजी) द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जो अगले वार्षिक आम बैठक के समापन तक इस पद पर बने रहेंगे।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में इसके साथ संलग्न किया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, मेसर्स विवेक शरत एवं नौफल, वृत्तशील कंपनी सचिवों के फर्म को वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा परीक्षक से रिपोर्ट और कंपनी सचिव द्वारा अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए हर अवलोकन/योग्यता के बारे में टिप्पणी इस रिपोर्ट में संलग्न है।

आंतरीय लेखा परीक्षक

मेसर्स पी. पारिख एंड एसोसिएट्स, शासनपत्रित लेखाकार, कोच्ची को आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा और कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों की देखरेख करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर उनकी रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड. एएस) के अनुसार कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जो उचित मूल्यों पर मापा जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के आधार पर ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत तैयार किया गया है।

कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखा मानकों को अपनाया है और इसे लागू परिवर्तन मार्गदर्शन के अनुरूप अपनाया गया है। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है सिवाय इसके कि प्रारंभ में एक नया लेखा मानक अपनाया गया हो या अब तक उपयोग किए गए लेखांकन नीति में यानि मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए बदलाव की आवश्यकता होती है।

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३४ (५) के अनुपालन में, निदेशक बताते हैं कि :

- दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, सामग्री के लिए उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है;;
- वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए और उस अवधि के लिए आपकी कंपनी के लाभ और हानि; का विवरण देने हेतु निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया और जो निर्णय और अनुमान उन्होंने लिया था, वह उचित और विवेकपूर्ण हैं;
- आपकी कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए निर्देशकों ने पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी की है;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखा एक चालू विषय के आधार पर तैयार किया है;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह पर्याप्त प्रणाली हैं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यापार के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अन्य प्रकटीकरण - कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक नीति है। कंपनी ने जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को देखने के लिए और यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित काम के माहौल को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुरूप एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

आंतरिक शिकायत समिति की संरचना:

• मेसर्स सीनि आलेक्स कुरुविला, जेजीएम (एफ़ एवं ए)	-	अधिष्ठाता
• डॉ. लीज़म्मा कोशी, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष (रसायन)	-	बाहरी सदस्य महाराजा कॉलेज, एरणाकुलम
• सुश्री लिल्ली कुट्टी राजू, एमडी के ईएस	-	सदस्य सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष
• डॉ. ए. जे. ऑगस्टीन, महा प्रबन्धक, (मा.सं., प्रशा. प्रशि.)	-	सदस्य एवं संयोजक

वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के तीन मामले रिपोर्ट किए गए और इसे उचित तरीके से निपटाया गया।

आभारोक्ति

आपके निदेशक केंद्र/राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों, सी व एजी का कार्यालय, सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, आतंरिक लेखाकार, एएफ़डी, केएफडब्ल्यू, केनरा बैंक, केरल राज्य सहकारी बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंक, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दोनों प्रिंट एवं विज़ुअल मीडिया, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, सलाहकार, परामर्शदाताओं, ग्राहक और विभिन्न पणधारियों जो कंपनी के मामलों से जुड़े हैं और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता को अपनी तहे दिल से सराहना करते हुए उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं।बोर्ड आपकी कंपनी के अधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त प्रतिबद्धता और पूरे सहयोग के लिए भी तहे दिल से सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से,

स्थान: तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.07.2020

(ह०/-)
अध्यक्ष

अनुलग्नक - १

लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर बोर्ड का स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा एक अवलोकन किया गया कि मानव संसाधन विकास और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की रचना दिनांक 19.12.2019 से अधिनियम की धारा 178 (1) के अनुरूप नहीं है।

वर्ष २०१९-२० के दौरान, दिनांक १९.१२.२०१९ तक अधिनियम की धारा १७८ (१) के प्रावधानों के अनुसार एचआरडी एवं एनआर समिति का गठन किया गया था, अपनी आगामी बोर्ड बैठक में समिति के पुनर्गठन द्वारा कंपनी उसी का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

स्थान: तिरुवनंतपुरम
तारीख : 11.09.2020

वार्षिक रिटर्न प्रपत्र एमजीटी 9) का सार

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक
[कंपनी अधिनियम,2013 की धारा ९२ (३) और कंपनियों
के (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम १२ (१) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i.	निगमित पहचान संख्या, CIN	:	U60100KL2011SGC029003
ii.	पंजीकरण की तिथि	:	02/08/2011
iii.	कंपनी का नाम	:	कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	:	सार्वजनिक कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	:	4वां तल, जेएलएन मेट्रो स्टेशन, कलूर कोच्ची, केरल, भारत, पिन – ६८२०१७ दूरभाष : +९१ ४८४२८४६ ७००, २८४६ ७७० फैक्स : +९१ ४८४ २९७० ८१० ई-मेल : contact@kmrl.co.in वेबसाइट:www.kochimetro.org
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है ?	:	जी नहीं
vii.	यदि कोई हो तो, रजिस्ट्रार और हस्तांतरण प्रतिनिधि का नाम	:	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यापार गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या इससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यापार गतिविधियों को बताया जाएगा : -

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार %
1.	मेट्रो रेलवे	99532124	60.38
2.	एएफ़सी वार्षिक प्रीमियम	99715926	14.41
3.	लाइसेंस शुल्क, अर्ध नामकरण अधिकार	99831690	11.94

III. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी के पास कोई स्वामित्व वाले, सहायक और सहयोगी कंपनियां नहीं हैं।

IV. शेयरधारिता पाटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी अनुमान)

i)श्रेणी-वार हिस्सेदारी

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	
क.संवर्धक									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	-
ग) राज्य सरकार (रें)	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	-	7,53,73,000	7,53,73,000	50	-
घ) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) बैंक/एफ़आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ :(क) (1)	**-**	**15,07,46,000**	**15,07,46,000**	**100**	**-**	**15,07,46,000**	**15,07,46,000**	**100**	
(2) विदेशी									
क) एनआरआई- व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक/एफ़आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) अन्य कोई…	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संवर्धक की कुल हिस्सेदारी (क)= (क)(1)+(क)(2)	**-**	**15,07,46,000**	**15,07,46,000**	**100**	**-**	**15,07,46,000**	**15,07,46,000**	**100**	**-**
ख. सार्वजनिक हिस्सेदारी									
(1) प्रतिष्ठापन									
क) म्यूचुअल फंड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक/एफ़आई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) उद्यम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफ़आईआईएस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उद्यम पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	
उप जोड़ (ख)(1):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) गैर प्रतिष्ठापन									
क) निगमित निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) 1 लाख रु तक नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत हिस्सेदार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रुपए से अधिक तक नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत हिस्सेदार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (ख)(2):	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा हिस्सेदारी									
कुल योग (क+ख+ग)	-	**15,07,46,000**	**15,07,46,000**	**100**	-	**15,07,46,000**	**15,07,46,000**	**100**	**0**

ii) संवर्धकों की हिस्सेदारी

क्रम सं.	हिस्सेदार का नाम	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी			वर्ष के अंत में हिस्सेदारी			वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में हुए परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त की %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त की %	
1	भारत के राष्ट्रपति	7,53,73,000	50	-	7,53,73,000	50	-	0
2	केरल के राज्यपाल	7,53,73,000	50	-	7,53,73,000	50	-	0
	कुल	**15,07,46,000**	**100**	**-**	**15,07,46,000**	**100**	**-**	**0**

iii) संवर्धकों की हिस्सेदारी में बदलाव (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया स्पष्ट करें)

क्रम सं.	संवर्धकों का नाम	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचई हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %	कंपनी के कुल शेयर %	कंपनी के कुल शेयर %
	वर्ष के प्रारंभ में				
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,53,73,000	50	–	–
2.	केरल के राज्यपाल	7,53,73,000	50	–	–
	कुल	**15,07,46,000**	**100**	**-**	**-**
	हिस्सेदारी में परिवर्तन	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में				
1.	भारत के राष्ट्रपति	-	-	7,53,73,000	50
2.	केरल के राज्यपाल	-	-	7,53,73,000	50
	कुल	**-**	**-**	**15,07,46,000**	**100**

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (जीडीआर और एडीआर के निदेशक, संवर्धक और धारक के अलावा) के हिस्सेदारी पैटर्न):

शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %
At वर्ष की शुरुआत में	–	–	–	–
वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में तारीख वार वृद्धि/कमी वृद्धि/कमी के कारणों (जैसे आबंटन/हस्तांतरण/अधिलाभ/ परिश्रम इक्विटीआदि) को स्पष्ट करें	–	–	–	–
वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक किया गया हो)	–	–	–	–

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी :

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
2.	श्री मुकुन्द कुमार सिन्हा				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
3.	श्री ए.पी.एम. मोहम्मद हनीष				
	वर्ष की शुरुआत में	2	—	—	—
	वर्ष के अंत में	0	—	—	—
4.	श्री अल्केश कुमार शर्मा				
	वर्ष की शुरुआत में	0	—	—	—
	वर्ष के अंत में	2	—	—	—
5.	श्रीमती सुजाता जयराज				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
6.	श्री डी. के. सैनी				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
7.	श्री टॉम जोस				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
8.	श्री मनोज जोशी				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
9.	श्री एम शिवशंकर				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	0	—	—	—
10.	श्री के आर ज्योतिलाल				
	वर्ष की शुरुआत में	0	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
11.	श्री के मोहम्मद वाई सफ़ीरुल्ला				
	वर्ष की शुरुआत में	1	—	—	—
	वर्ष के अंत में	0	—	—	—

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष की शुरुआत में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर %
12.	श्री एस सुहास				
	वर्ष की शुरुआत में	0	—	—	—
	वर्ष के अंत में	1	—	—	—
13.	श्री तिरुमन अर्चुनन				
	वर्ष की शुरुआत में	—	—	—	—
	वर्ष के अंत में	—	—	—	—
14.	श्री डी के सिंहा				
	वर्ष की शुरुआत में	—	—	—	—
	वर्ष के अंत में	—	—	—	—
15.	श्री कुमार के आर				
	वर्ष की शुरुआत में	—	—	—	—
	वर्ष के अंत में	—	—	—	—
16.	श्री श्याम सुंदर अग्रवाल				
	वर्ष की शुरुआत में	—	—	—	—
	वर्ष के अंत में	—	—	—	—

टिप्पणी : सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के रूप में निदेशक शेयरों को रखता है।

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया ब्याज/उपार्जित बल्कि भुगतान के लिए देय नहीं

(रुपए लाखों में)

	जमा को छोडकर सूरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मुख्य राशि	149,282.39	150,751.09	-	300,033.48
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	
iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	8,852.50	80.85		8,933.35
कुल (i+ii+iii)	158,134.88	150,831.95	-	308,966.83
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
· जोड़	40,397.29	11,947.04		52,344.33
· कमी	-			
कुल परिवर्तन	40,397.29	11,947.04	-	52,344.33
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-			
I) मुख्य राशि	184,758.94	162,693.64	-	347,452.58
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	5734.28	-	-	5,734.28
iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	8,038.96	85.34	-	8,124.30
कुल (i+ii+iii)	198,532.18	162,778.98	-	361,311.16

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का परिश्रमिक

क.प्रबंध निदेशक, पूर्ण-कालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डबल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री पी. एम. मोहम्मद हनीष (प्र.नि.)	श्री आल्केश कुमार शर्मा (प्र.नि.)	श्री कुमार के आर (डबल्यूटीडी)	श्री डी के सिंहा (डबल्यूटीडी)	श्री तिरुमन अर्चुनन (डबल्यूटीडी)	
1	**सकल वेतन**						
	(क) आयकर की धारा 1961 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	14.60	22.74	36.70	37.46	41.11	152.61
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	0	2.53	0	0	0	2.53
	(ग) आयकर अधिनियम की धारा1961 की | धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ			-	-		-
2	स्टॉक का विकल्प						
3	पारिश्रमिक इक्विटी						
4	कमीशन						
	लाभ के रूप में %						
	अन्य (स्पष्ट करें)						
5	अन्य , कृपया स्पष्ट करें	2.28	7.33	5.43	5.14	7.36	27.54
	कुल (क)	**16.88**	**32.60**	**42.13**	**42.60**	**48.47**	**182.68**
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग				**लागू नहीं है**		

वेतन और अनुलाभ में पारिश्रमिक के सभी तत्व जैसे कि वेतन, भत्ते और लाभ शामिल हैं। किसी भी निदेशक को कोई बोनस, पेंशन या कार्य निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया जाता है। कंपनी ने किसी भी निदेशक को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

क.अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

वर्ष के दौरान कंपनी ने गैर-कार्यकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया है।

ख. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				
1	सकल वेतन	CEO	Company Secretary B Anilkumar (from 01.04.2019 to 01.07.2019)	Company Secretary Shyam Sunder Agrawal (from 29.07.2019 to 31.03.2020)	CFO	Total
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	6.30	9.96	-	16.26
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की यू / एस 17 (2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-	-	0	-	0
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-	-
3	परिश्रम एक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-
	लाभ का %	-	-	-	-	-
	अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	1.88	-	1.88
	कुल		**6.30**	**11.84**		**18.14**

VII. **जुर्माना/ दंड/ अपराधों का योग** :

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जुर्माना/ दण्ड/अपराध नहीं थे।

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बार्ट, चेत्रै

Indian Audit and Accounts Department
Office of the Principal Director of Commercial Audit
and ex-officio Member Audit Board, Chennai

सत्यमेव जयते

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की तैयारी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप की है, यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत नियुक्त संवैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम के खंड 143 (10) के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। दिनांक 28.07.2020 के उनके द्वारा तैयार किए गए लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, धारा १४३ (६) (ए) के तहत ३१ मार्च २०२० को समाप्त वर्ष के लिए कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा संवैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंचे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से संवैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की जांच पड़ताल और कुछ लेखा रिकॉर्डों की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत मेरे जानकारी में जो संवैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उठानेवाली कोई भी महत्वपूर्ण मद नहीं आया है।

कृते एवं भारतीय नियंत्रक और लेखा परीक्षक की ओर से
ह०/-
(आर. अंबालावनन)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक, चेन्नई

स्थान: चेन्नै
तारीख : 28 सितंबर 2020

निगमित अभिशासन की रिपोर्ट

सरल शब्दों में निगमित अभिशासन का अर्थ है, एक निगम के शासन **का** तरीका। निगमित अभिशासन तंत्र, जिनके द्वारा निगमों को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, ऐसे तंत्र, प्रक्रियाएं और संबंधों को संदर्भित करता है। निगमित अभिशासन जो चिरस्थाई व्यापार को बढ़ावा देने और लंबी अवधि में शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से किसी संगठन के व्यापार और मामलों के नैतिक आचरण द्वारा संचालित होने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। निगमित अभिशासन का सार सभी व्यापार प्रथाओं में अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और बनाए रखने में निहित है। निगमित अभिशासन में शेयरधारकों, प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, निधिकारकों, सरकार और समुदाय जैसे कंपनी पणधारियों के हितों को संतुलित करना आदि अनिवार्य रूप से निहित है। हम मानते हैं कि हमारे ईमानदारी मूल्यों, प्रतिबद्धता, जुनून, निर्बाधता और गति पर चलने वाले सभी पणधारियों के चिरस्थाई मूल्य सृजन के लिए निगमित अभिशासन एक निरंतर यात्रा है।

निदेशक मण्डल

कंपनी के संघ के धाराओं के अनुसार, बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए और सरकारी कंपनियों पर लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशक या तो नामित निदेशक हो सकते हैं, या पूरे समय कार्यात्मक निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार, केएमआरएल के निदेशक मंडल में 12 निदेशक हैं, जिनमें से 4 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति हैं, 5 निदेशक केरल सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति हैं, और 3 कार्यात्मक निदेशक हैं। अध्यक्ष, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव हैं और प्रबंध निदेशक केरल सरकार द्वारा नामित व्यक्ति है।

कंपनी के निदेशक मंडल में प्रशासनिक और निष्पादन क्षमताएँ सिद्ध पेशेवर हैं, वे कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो सामूहिक रूप से कंपनी के मामलों को निर्देशित करते हैं।

निदेशकों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	वर्ष 2019-20 के दौरान उनके निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक	भाग लिए गए वार्षिक आम बैठक
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्र	4	4	नहीं
2.	श्री मुकुन्द कुमार सिंहा	3	1	नहीं
3.	श्री जयदीप	2	1	नहीं
4.	श्रीमती सुजाता जयराज	4	2	जी हाँ
5.	श्री डी के सैनी	4	3	नहीं
6.	श्री डिंपी गर्ग	2	1	नहीं
7.	श्री टोम जोस	4	3	जी हाँ
8.	श्री मनोज जोषी	4	1	जी हाँ
9.	श्री के आर ज्योतिलाल	3	3	जी हाँ
10.	श्री एस सुहास	3	1	जी हाँ

क्रम सं.	निदेशक का नाम	वर्ष 2019-20 के दौरान उनके निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए गए बैठक	भाग लिए गए वार्षिक आम बैठक
11.	वाइस एड्मिरल एस.के.के कृष्णन	3	2	नहीं
12.	श्री मोहम्मद वाई सफ़ीरुल्ला	1	1	नहीं
13.	श्री ए पी एम मुहम्मद हनीष	3	3	नहीं
14.	श्री आल्केश कुमार शर्मा	1	1	नहीं
15.	श्री कुमार के आर	4	4	जी हाँ
16.	श्री डी के सिंहा	4	4	जी हाँ
17.	श्री तिरुमन अर्चुनन	4	4	जी हाँ

बोर्ड को उपलब्ध की गई जानकारी

बोर्ड प्रत्येक बैठक से पहले प्रासंगिक जानकारी और सुझावों को प्रस्तुत करते हैं जिसके लिए कंपनी के कामकाज से संबंधित विभिन्न मामलों में बोर्ड के विचार की आवश्यकता होती है; विशेष रूप से जिन्हें उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। परियोजना की प्रगति, कानूनी अनुपालन और समय-समय पर अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर कार्यात्मक निदेशकों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुतियाँ भी दी जाती हैं।

बोर्ड की प्रक्रिया

बोर्ड की बैठकें कंपनी के कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा और प्रबंधन निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें हुईं; 3 मई 2019, 9 अगस्त 2019, 3 सितंबर 2019 और 19 दिसंबर 2019 को।

कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड उप-समिति की बैठक के लिए एक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिसे निम्नलिखित स्पस्ट किया गया है:

क) संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया

सभी निगमित मामलों को संस्थागत बनाने और मामलों को अग्रिम योजना के प्रणाली और प्रक्रियाएँ स्थापित करने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा चर्चा और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए कंपनी के पास उचित परिभाषित प्रक्रियाएँ हैं, तत्संबंधी, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सूचना को सूचित और कुशल तरीके से प्रसारित किया गया है।

ख) बोर्ड/बोर्ड उप-समिति की बैठक के लिए कार्यसूची के मदों का निर्धारण और चयन

- बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक ज़रूरतों में, बैठकें छोटी सूचना पर भी बुलाई जाती हैं। बोर्ड परिचालन द्वारा भी प्रस्तावों को पारित करता है, लेकिन केवल ऐसे मामलों के लिए, जो अत्यंत आवश्यक हैं और जो कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के के अनुसार स्वीकार्य हैं; प्रासंगिक वर्ष में, परिचालन द्वारा दो प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

- कार्यसूची पत्र, संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा तैयार किए जाते हैं और संबंधित कार्यात्मक निदेशक की सहमति प्राप्त करने के बाद, अनुमोदन के लिए प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। बैठकों में सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने की सुविधा के लिए विधिवत अनुमोदित विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, व्यापक भूमिका की मदद से प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयान आदि को सदस्यों के बीच पहले ही परिचालित किया जाता है।
- यदि कार्यसूची संवेदनशील प्रकृति का नहीं है तो, किसी भी दस्तावेज़ को संलग्न करना वांछनीय नहीं है, इसे प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ बैठक में रखा जाता है। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मदें, जो कार्यसूची में नहीं है, अध्यक्ष की अनुमति के साथ चर्चा के लिए उठाया जाता है।
- बोर्ड को प्रमुख घटनाओं/मदों के बारे में सूचित किया जाता है और जब भी आवश्यक हो अनुमोदन लिया जाता है। बोर्ड की बैठकों में कंपनी के समग्र प्रदर्शन के बारे में प्रबंध निदेशक बोर्ड को अवगत कराता रहता है।
- कार्यसूची के भाग के रूप में कार्रवाई रिपोर्ट, पिछले बैठकों में बोर्ड के निर्देशों पर किए गए कार्यों की स्थिति की समीक्षा, भौतिक और वित्तीय प्रगति, समिति बैठकों के कार्यवृत्त आदि आते हैं;
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी जानकारियों पर पूरी पहुँच है;
- बोर्ड की बैठकें आमतौर पर लागू सचिवीय मानकों के अनुरूप होती हैं।

ग) प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त विवरण

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, प्रबंध निदेशक द्वारा परियोजना की स्थिति, और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां/विकास सहित महत्वपूर्ण विकासों के बारे में बोर्ड के सदस्यों को एक संक्षिप्त विवरण देते हैं।

घ) बोर्ड की बैठक में कार्यवाही के कार्यवृत्त की अभिलेखन

प्रत्येक बोर्ड की कार्यवाही के कार्यवृत्त अभिलिखित करके और कार्यवृत्त बुक में प्रविष्ट किए जाते हैं। बैठकों के कार्यवृत्तों को कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार परिचालित किया जाता है। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त इसकी अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं इसके बाद अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। बोर्ड की उप समितियों की बैठकों का कार्यवृत्तों को भी जानकारी हेतु बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

ङ) अनुपालन

विभागों के प्रमुख, कार्यसूची पर टिप्पणी तैयार करते समय, कंपनी अधिनियम २०१३ के प्रावधानों, संस्था के अंतर्नियम और सीवीसी दिशानिर्देशों सहित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा अनुमोदित और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, कंपनी द्वारा स्वीकृत और अपनाई गई आचार संहिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं। निगमित कामकाज की योगदान में वे वे हमेशा उच्च नैतिक मानकों और मूल्यों को बनाए रखते हैं और और प्रबंधन से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उन्हें बेहतर प्रशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिलता है।

अन्य विषयों के साथ-साथ बोर्ड के सामने रखी गई जानकारी में :

- विस्तृत बजट अनुमान और राजस्व संचालन की स्थिति।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट।
- बोर्ड की उप समितियों के बैठकों के निर्णय/ कार्यवृत्त।
- चरण I, चरण Iए, चरण IB, चरण II, चरण III, एकीकृत जल परिवहन परियोजना, आईयूआरडबल्यूटीएस आदि के अद्यतन स्थिति सहित नए प्रस्ताव/परियोजना।
- डीपीआर में परिकल्पित के अलावा प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी मापदंडों में परिवर्तन में शामिल सभी प्रस्ताव।
- मानव संसाधन, महत्वपूर्ण संपत्ति विकास मामले में कोई महत्वपूर्ण विकास।
- सावधि ऋण और कार्यशील पूँजी ऋण, अन्य वित्तीय सहायता लेना।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- भौतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य जानकारी।
- समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्देशित/सलाह दी जाने वाली अन्य मामले।

बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने आठ उप समितियों का गठन किया है, जो कंपनी के संचालन के प्रकार और प्रकृति के अनुरूप हैं। ये हैं :

i. लेखा परीक्षा समिति

ii. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

iii. मानव संसाधन विकास और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

iv. परिचालन और रखरखाव समिति

v. परियोजना प्रबंधन समिति

vi. निवेश समिति

vii. अधिप्राप्ति समिति

viii. संपत्ति विकास समिति

इन समितियों में से प्रत्येक ने विधिवत रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों का स्पष्ट रूप व्याख्या की है। ये समितियाँ कंपनी के आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर मिलती है। बोर्ड की उप-समितियों के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:

1. लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री मनोज जोशी - अध्यक्ष
2. श्री के आर ज्योतिलाल - सदस्य
3. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
4. श्री जैदीप - सदस्य

वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति ने एक बार यानि दिनांक 1 अगस्त 2019 को मिली। इन बैठकों में लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के अलावा, निदेशक, वित्त और उन अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें समिति को इनपुट प्रदान करने के लिए आवश्यक माना गया था। बोर्ड द्वारा अनुमोदित, लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप हैं।

कंपनी सचिव ने लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य किया। सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता के कार्यकाल 2019-20 के दौरान हुई बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री मनोज जोशी	1	1
2.	श्री मुकुन्द कुमार शर्मा	1	0
3.	वाइस एड्मिरल एस के के कृष्णन	1	1
4.	श्री के. मोहम्मद वाई सफ़ीरुल्ला	1	0
5.	श्री के आर ज्योतिलाल	0	0
6.	श्रीमती सुजाता जयराज	0	0
7.	श्री जैदीप	0	0

2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री अल्केष कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री एस सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री डी के सिंहा - सदस्य
5. श्री कुमार के आर - सदस्य

वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3. परियोजना प्रबंधन समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री अल्केष कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री जैदीप - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री कुमार के. आर. - सदस्य

वर्ष के दौरान परियोजना प्रबंधन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

4. निवेश समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री मनोज जोशी - अध्यक्ष
2. श्री अल्केष कुमार शर्मा - सदस्य
3. श्री के आर ज्योतिलाल - सदस्य
4. श्री कुमार के आर - सदस्य

वर्ष के दौरान निवेश समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5. अधिप्राप्ति समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री अल्केष कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री एस सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री कुमार के आर - सदस्य
5. श्री डी के सिन्हा - सदस्य

समिति द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2019 और दिनांक 20 फरवरी, 2020 को दो बार बैठक करके सदस्यों की उपस्थिति दर्ज की:

क्रम सं	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता के कार्यकाल 2019-20 के दौरान हुई बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री अल्केष कुमार शर्मा	2	2
2.	श्री एस सुहास	1	0
3.	श्री तिरुमन अर्चुनन	2	1
4.	श्री कुमार के आर	2	2
5.	श्री डी के सिन्हा	2	22

6. संचालन और रखरखाव समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री अल्केष कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री कुमार के आर - सदस्य
5. श्री डी के सिन्हा - सदस्य

वर्ष के दौरान संचालन और रखरखाव समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

7. संपत्ति विकास समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री अल्केष कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री एस. सुहास - सदस्य
3. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
4. श्री डी. के. सिन्हा - सदस्य
5. श्री कुमार के.आर. - सदस्य

वर्ष के दौरान संपत्ति विकास समिति की कोई बैठक नहीं हुई ।

3. मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2020 को संरचित :

1. श्री अल्केष कुमार शर्मा - अध्यक्ष
2. श्री के आर ज्योतिलाल - सदस्य
3. श्रीमती सुजाता जयराज - सदस्य
4. श्री तिरुमन अर्चुनन - सदस्य
5. श्री कुमार के आर - सदस्य

दिनांक 20 मार्च, 2020 को एक बार समिति की बैठक हुई।

सदस्यों का उपस्थिति रिकॉर्ड:

क्रम सं	सदस्य का नाम	उनकी सदस्यता के कार्यकाल 2019-20 के दौरान हुई बैठकें	भाग लिए गए बैठक
1.	श्री अल्केष कुमार शर्मा	1	1
2.	श्री के आर ज्योतिलाल	1	0
3.	श्रीमती सुजाता जयराज	1	0
4.	श्री तिरुमन अर्चुनन	1	1
5.	श्री कुमार के आर	1	1

प्रकटीकरण

क. कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन यानि, अपने संवर्धकों, निदेशकों या प्रबंधन, सहायक या रिश्तेदार आदि, के साथ कंपनी एक भौतिक प्रकृति की लेनदेन, नहीं किया गया है, जहाँ बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ उनके हितों के टकराव की संभावना है;

ख. किसी भी संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के खिलाफ पारित दंड या सख्ती का कोई दृष्टांत नहीं हैं;

ग. खाता बही में खर्च किए गए व्यय की कोई मद नहीं थी, जो कंपनी के व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं थे;

घ. कंपनी के पास अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए अलग-अलग व्यक्ति हैं।

पिछले तीन वर्षों में आयोजित सामान्य बैठकें:

एजीएम / ईजीएम	6वां एजीएम	7 वां एजीएम	8 वां एजीएम	3वीं ईजीएम
तारीख एवं समय	30.11.2017 12:30 पूर्वाह्न	01.12.2018 12:00 पूर्वाह्न	30.09.2019 11:30 अपराह्न	01.02.2020 12:30 अपराह्न
स्थान	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय	पंजीकृत कार्यालय
विशेष संकल्प (यदि कोई हो)	स्वतंत्र निदेशक के रूप में वाइस एडमिरल एस.के.के कृष्णन की नियुक्ति ।	1. श्री कुमार के. आर., निदेशक वित्त (डबल्यूटीडी) की नियुक्ति 2. श्री डी.के. सिन्हा, निदेशक प्रणाली (डबल्यूटीडी) की नियुक्ति	–	1. 5,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक कंपनी की उधार सीमा में वृद्धि। 2. एमओए के अनुच्छेद III में बदलाव। 3. एमओए के अनुच्छेद IV में बदलाव। 4. एओए के नए सेट को अपनाना। 5. 1250 करोड़ रुपए तक के घरेलू बॉन्ड जारी करने के लिए मंज़ूरी देना।

कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट है www.kochimetro.org। परियोजना, निदेशक मंडल, नवीनतम समाचार अद्यतन, अनुबंध, निविदाएं, नौकरी की भर्ती प्रक्रिया आदि जैसे कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी अपनी सभी निविदाएं वेबसाइट पर प्रकाशित करती है ताकि माल और सेवाओं के प्राप्ति के बारे में समय पर सूचना प्रसारित किया जा सकें। वेबसाइट पर मेट्रो रेल परियोजना की सभी महत्वपूर्ण घटनाएँ, गतिविधियाँ और प्रगति की भी जानकारी प्रदान करता है और इसका अद्यतन लगातार किया जाता है।

ह०/-

अध्यक्ष

प्रपत्र एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियों के नियम 9
(नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के अनुसार]

To
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के
सदस्यों के लिए
सीआईएन: यु60100केएल2011एसजीसी029003
जेएलएन मेट्रो स्टेशन, 4 वां ताल, कलूर, कोच्ची- 682 017

हमने लागू संवैधानिक प्रावधानों और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (इसके आगे कंपनी कहा जाता है) द्वारा बेहतर निगमित प्रथाओं के अनुपालन में सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया, जिससे मुझे निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

कंपनी की पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र और दाखिल किया गया रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधेकारी, एंजेंटों, और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के **31 मार्च, 2020** को समाप्त वित्त वर्ष (लेखा परीक्षा अवधि) यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया और यह भी कि कंपनी ने बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन किया है और उस सीमा तक आवश्यक अनुपालन तंत्र है, इस ढंग से और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

हम ने निम्न प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए **कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड** द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच की हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, १९५६ ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम; **(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है।)**

(i) विनियमों और उपनियमों को निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत बनाया गया; **(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है।)**

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा के तहत बनाए गए नियम और कानून; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यह खंड लागू नहीं होता है।)**

(iii) निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित हैं: **(कंपनी एक असूचीगत सार्वजनिक कंपनी होने के कारण, खंड (v) और इसके उप खंड (क) से (ज) तक लागू नहीं है।)**

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अभिग्रहण विनियम, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार निषेध) विनियम, 1992;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को जारी करना) विनियम, 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999;

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक मुद्दे पर और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के रजिस्ट्रार) विनियम,1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ काम करने के बारे में;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; तथा

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति का वापसी खरीद) विनियम, 1998

हम ने इसके संबंध में अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, एसएस -१ और एसएस -२ और निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित है,और रिपोर्ट किया जाता है कि कंपनी ने प्रायः उक्त मानकों का पालन किया है।

(ii) कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग समझौता शुरू किया है । **(कंपनी एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के कारण यह खंड लागू नहीं है।)**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकन के अधीन उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

क) अधिनियम और नियमों की धारा १७८ (१) के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होने चाहिए, जिसमें से, स्वतंत्र निदेशक एक-आधा से कम नहीं होंगे। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर ८३९ (ई) दिनांकित ०५/०७/२०१७, ने गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को, जो एक संयुक्त उद्यम है, अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित

नियम हटा दिया है। अतः मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें स्वतंत्र निदेशकों के बिना आयोजित की जाती हैं। हालाँकि, दिनांक १९.१२.२०१९ के मानव संसाधन विकास और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के पुनर्गठन के बाद, समिति की संरचना अधिनियम की धारा १७८ (१) के अनुरूप नहीं है।

हम, आगे रिपोर्ट **करते** हैं कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, कंपनी पर लागू उद्योग विशिष्ट कानूनों की प्रयोज्यता पर, और प्रबंधन तथा प्राप्त रिकॉर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमारी राय में कंपनी द्वारा, आम तौर पर उस सीमा तक निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है;

(i) आयकर अधिनियम, 1961;

(ii) माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

(iii) कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित श्रम विधानों के प्रावधान:

   क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

   ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

   ग) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

   घ) मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

   ङ) कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

(iv) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

(v) अंतर राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979;

(vi) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996;

(vii) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005;

(viii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013;

(ix) मैनुअल सफाईवाले के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013;

(x) बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा

(xi) भारतीय विद्युत नियम, 1956।

निष्पादन एजेंसी, जिन्हें विभिन्न परियोजनाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रमुख सुरक्षा प्रावधान के तहत व्यापक अनुपालन और बीओसीडब्ल्यू नियमों के तहत कुछ स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों जैसे कि शौचालय, मूत्रालय के संबंध में आंशिक अनुपालन और कैंटीन के प्रावधान के बारे में गैर अनुपालन रिपोर्ट किया है। हालांकि निष्पादन एजेंसी द्वारा इसके मामले का पालन करने हेतु कार्रवाई कर रही है। निष्पादन एजेंसी नियम के आधार पर पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

ठेकेदारों के माध्यम से लगे अनुबंध श्रम के संबंध में कंपनी कानून के लागू प्रावधानों का अनुपालन कर रही है। नए अनुबंधों के लिए, लाइसेंस प्राप्त करना कथित तौर पर प्रक्रिया के अधीन है। जहां कहीं भी कमी पाया गया है, मामले का पालन करने हेतु कार्रवाई कर रही है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों और महिला निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है। निगमित मामला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक ०५ जुलाई, २०१७ की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर ८३९ (ई) के तहत गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को, जो एक संयुक्त उद्यम है, अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने पर छूट दी है। यह नोट की जाए कि, कंपनी के बोर्ड में दिनांक १३.०९२०१९ तकएक स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन होता है।

बोर्ड बैठक के आयोजन के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारी मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड बैठक के निर्णय निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त पर किए जाते हैं और रिकार्ड किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और निगरानी करने हेतु कंपनी के विस्तार और संचालन के साथ कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुपालन में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख असर होने के बाद विशेष प्रस्तावों को पारित किया गया:

(i) अधिनियम की धारा 180 (1) (सी) के तहत कंपनी की उधार सीमा को 5000 करोड़ रुपए से 10000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना ;

(ii) मौजूदा वस्तु 4 (बी) को प्रतिस्थापित करके और उसके बाद 4 (सी) और 4 (डी) के रूप में नई वस्तुओं को जोड़कर कंपनी के सहयोग के ज्ञापन खण्ड III का परिवर्तन।

(iii) कंपनी के पार्षद सीमा नियम के खंड IV (देयता खंड) में परिवर्तन

(iv) कंपनी पार्षद अंतर्नियम के नए सेट को अपनाना।

(v) 1250 करोड़ रुपए की सीमा तक घरेलू बांड जारी करने की मंजूरी।

स्थान : कोचीन

तिथि : 11.09.2020

यूडीआईएन : A047669B000696537

अनुलग्नक ए

To,
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के
सदस्यों के लिए
सीआईएन: U60100केएल2011एसजीसी029003
जेएलएन मेट्रो स्टेशन, 4 वां ताल, कलूर, कोच्ची- 682 017

समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट को इस अनुलग्नक के साथ पढ़ना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हम ने सचिवीय रिकॉर्ड सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित है, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन को परीक्षण आधार पर किया गया। हमारा मानना है कि जो प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया गया था, वह हमारी राय को प्रस्तुत करने में एक उचित आधार प्रदान किया है।
3. हम ने कंपनी के लेखों के किसी भी वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का निरूपण प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य क़ानूनों, नियम और अधिनियम, मानक आदि के प्रावधान का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमने अपनी राय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना/रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तुत की है और रिपोर्टिंग उसी सीमा तक परिमित है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता के साथ है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : कोचीन
तिथि : ११.०९.२०२०

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

To
कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड
के सदस्यों के लिए

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड** ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक के तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय विवरण सहित लाभ और हानि विवरण, समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी आदि शामिल है।

हमारी राय और जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उस तारीख में जिसमें वर्ष समाप्त हुआ जिसका अन्य व्यापक आय सहित इसकी हानि, इसका नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन पर जैसा कि संशोधित ('अधिनियम') में आवश्यक है और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ संशोधित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जैसा कि संशोधित किया गया है, (भारतीय लेखा मानक) 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं।

राय का आधार

हमने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एसएएस) मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड में लेखापरीक्षा के लिए लेखाकारों की जिम्मेदारियों के बारे में आगे वर्णित हैं।

भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्था द्वारा जारी किए 'आचार संहिता' के अनुसार और अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त एवं उचित हैं।

मदों का महत्व

1. हम कोविड़-19 से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संचालन और वित्तीय परिणामों पर प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन से संबंधित वित्तीय विवरणों के 1.2.1 के बारे में ध्यान आकर्षित करते हैं। यह आकलन और महामारी के परिणाम प्रबंधन द्वारा किए गए हैं और यह परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर हैं क्योंकि वे बाद की अवधि में प्रकट होते हैं।
2. अगस्त 2018 के दौरान केरल राज्य में भारी बाढ़ के कारण कंपनी की कुछ परिसंपत्तियों के संबंध में अनुमानित नुकसान

का सामना करना पड़ा, इसकी ओर हम द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ किए गए बीमा दावे के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट सं. 30.41 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। बाढ़ के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी के साथ समझौता करने के दावे को अंतिम रूप में, कंपनी को चालू वर्ष के दौरान बीमा कंपनी से 30,00 लाख रुपए (पिछले वर्ष 20,00 लाख रुपए), 31 मार्च, 2020 तक कुल राशि 50,00 लाख रुपए तक का अंतरिम भुगतान प्राप्त हुआ है।

भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, प्राप्य बीमा दावा एक आकस्मिक परिसंपत्ति है जिसे "एक संभावित परिसंपत्ति जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल कंपनी के नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होने वाली एक या अधिक भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से होगी"। कंपनी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से प्राप्त होने वाले बीमा दावे को, बाढ़ के कारण हुए नुकसान के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए नहीं पहचाना क्योंकि बीमा कंपनी ने कंपनी द्वारा किए गए दावे को स्वीकार नहीं किया था। तदनुसार, कंपनी के दावे के खिलाफ अग्रिम के रूप में बीमा कंपनी से प्राप्त 50,00 लाख रुपए का तुलन पत्र में नोट संख्या 20 में "अन्य चालू देयताओं' के तहत एक दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है और जिससे प्राप्य दावे के साथ जुड़े प्राप्ति की अनिश्चितता का तत्व दिया है।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दावे के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त बीमा दावा अनुच्छेद 10 के अनुसार एक आकस्मिक परिसंपत्ति है और भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 89 और अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसरण में, कंपनी ने किसी भी राशि को एक आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में नहीं पहचाना।

3. हम भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई पास थ्रू अस्सिस्टेंस (पीटीए), विदेशी मुद्रा विनिमयन के दर परिवर्तन, 180 मिलियन यूरो (1,32,710.77 लाख रुपए के समतुल्य) के लिए ऋण सुविधा समझौते के आधार पर, ऋणदाता के रूप में अगेंस्ट फ्रैंकेइस डे डेवलपमेंट (एएफडी) के बीच, और भारत सरकार (भारत सरकार) उधार लेने वाले के रूप में , से संबंधित वित्तीय विवरण के नोट सं.30.2 पर ध्यान आकर्षित करते हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपए में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से कंपनी को पीटीए निधि जारी किए गए, और भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच के दिनांक 04 नवंबर, 2013 के समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी की ऋण सुविधा के प्रति देयता 132710.77 लाख रुपए तक सीमित है।

   भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसार, समापन दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देयताओं को तुलन पत्र की तारीख पर महत्व दिया जाना है। कंपनी ने भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित विदेशी विनिमय भिन्नता हानि को मान्यता नहीं दी, इस कारण से, कि भारत सरकार की ओर कंपनी की देयता 132710.77 लाख रुपए है और कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व भारतीय रुपए में प्राप्त पीटीए की राशि तक सीमित है, जिसकी राशि रु 132710.77 करोड़ रुपए हैं,और हानि यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा के अस्थिरता के कारण केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। दिनांक 31.03.2020 को समाप्त विदेशी मुद्रा दर का उपयोग करते हुए भारतीय रुपए में पीटीए के बराबर राशि 132710.77 लाख रुपए हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और इस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी निहित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उपरोक्त उल्लिखित जानकारी इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारे वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या इस तरह की अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है तो, उस तथ्य की रिपोर्ट करना हमारे लिए अनिवार्य है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, हमें इस बात को अभिशासन के अधिकार प्राप्त लोगों को सूचित करने की आवश्यकता है और परिस्थितियों, ,लागू कानूनों और विनियमों और द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के अधिकार प्राप्त लोगों की जिम्मेदारियाँ

वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन वित्तीय विवरणों, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) सहित आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की नकदी प्रवाह और परिवर्तन, की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित के अनुसार इन मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व हैं। इन ज़िम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए; अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और लागूकरण; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित है यह एक सच्चा और उचित दृष्टिकोण देता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलतफहमी से मुक्त होता है; भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार है एक चिंता का विषय, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के चिंता के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी निदेशक मंडल की उत्तरदायित्व हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से भौतिक गलत अनुमान से मुक्त हैं, पर उचित आश्वासन

प्राप्त करना है और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी सामग्री की मौजूद गलती का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल, तो वे इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं । हम यह भी::

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रचना और निष्पादन करते हैं, और लेखा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली सामग्री के नुकसान का पता नहीं लगाने का जोखिम, धोखाधड़ी में कपड़संधी, जालसाजी, जानबूझकर करने वाले चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवमानना शामिल हो सकती है यह त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से भी अधिक हैं।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ के लिए उचित परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रचना करना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, यदि कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के साथ पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है इस पर हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करेंगे।
- प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर,लेखांकन के चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, क्या सामग्री अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं जो एक चिंता का विषय है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है, हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर या, यदि इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक के लेखापरीक्षण के सबूतों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियाँ कंपनी के लिए एक चिंता का विषय बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन और यदि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाएँ, इस तरह से कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान पहचानने वाला आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित अन्य मामलों, लेखापरीक्षा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय, अभिशासन से संबंधित उन लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम अभिशासन अधिकार प्राप्त को एक विवरणी प्रदान करते हैं जोकि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में बताते हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय, हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित रूप से विचार किया जा सकता है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') के अनुसार, जहाँ तक लागू है, आदेश के परिच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, हम "अनुबंध क" में प्रदान करते हैं।
2. कंपनी के खाता बहियों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक रिपोर्ट "अनुबंध ख" में प्रदान करते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को माँगा और प्राप्त किया है जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप है।

   ख) हमारी राय में, अब तक के उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है; कंपनी द्वारा कानून के अनुसार खाता बही उचित रूप से रखी गई है।

   ग)तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण इस रिपोर्ट से निपटने के लिए खाता बहियों के अनुसार है।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ने वाला अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 के अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463(ई), अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में, हमारी अलग रिपोर्ट "अनुलग्नक ग" का संदर्भ लें।

   छ) निगमित मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, संशोधित के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। (वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 30.35 देखें)।

(ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न सविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं था, जिसके लिए कोई भी संभावित प्रमुख हानि नहीं थी।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष को कोई राशि नहीं दी जानी है।

ह०/-
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: ००४६१०S
यूडीआईएन: 20232723AAAABQ3007

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी | सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक: 28 जुलाई 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए के समसंख्यक तिथि का स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट अनुलग्नक क

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण की रिपोर्टिंग के उद्देश्य से निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए और हमारे द्वारा जांचे गए खातों और अन्य अभिलेख बहियों के आधार पर, सामान्य लेखापरीक्षा क्रम में, और हमारे सर्वोच्च ज्ञान तथा विश्वास पर, हम रिपोर्ट करते हैं :

१) कंपनी के स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) कंपनी द्वारा मात्रात्मक विवरण और स्थाई परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए हुए है,

ख) कंपनी के पास अपनी स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक कार्यक्रम है ।हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की आवधिकता में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सुधार की आवश्यकता है।

ग) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, 3.0642 हेक्टेयर भूमि, जिसका मूल्य 191,84.58 लाख रुपए हैं, को छोड़कर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल स्थाई परिसंपत्तियों का स्वामित्व कंपनी के नाम पर है, जिसका स्वामित्व पंजीकरण प्रगति पर है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, प्रलेखन प्रगति पर है और उक्त मामले को केरल सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संभाला जा रहा है।

2) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान आविष्कार, उपकरणों का भंडार होने के नाते, भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार के संदर्भ में सत्यापन की आवृत्ति उचित है। इसके अलावा, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त भौतिक सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ देखी नहीं गईं।

3) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों के लिए कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण जारी नहीं किया है।

4) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण अनुदान निवेश और गारंटी और प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के भीतर और कंपनियों के (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधन के अनुसार) कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

6) केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7) वैधानिक बकाए के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

क) कंपनी आमतौर पर उपयुक्त अधिकारियों के साथ निर्विवाद वैधानिक बकाया जैसेकि भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर,उपकर और इसके लिए लागू अन्य वैधानिक देय का जमा नियमित रूप से करते हैं।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं हैं, वर्ष के अंत में, तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वे देय हो जाएंगे।

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल और सेवा कर, उपकर का कोई बकाया नहीं है, जिसे विवाद के कारण 31 मार्च 2020 को जमा नहीं किए गए हैं।

8) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार,कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय संस्थानों, बैंकों या सरकार को ऋण या उधार की अदायगी में चूक नहीं की है;

क्रम सं.	**देय राशि का विवरण**	**उधार**	
		राशि (रुपए लाखों में)	**अवधि (दिनों की संख्या)**
1.	पीटीए की देय राशि और भारत सरकार को देय - पहला किस्त*	33 17.77	198
2.	पीटीए की देय राशि और भारत सरकार को देय - दूसरी किस्त	33 17.77	16
	कुल	**66 35.54**	

** तत्पश्चात् दिनांक 07.05.2020 को यह राशि भारत सरकार को भुगतान की गई।*

9) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अवधि ऋण के माध्यम से उठाए गए राशि को, प्रथम दृष्ट्या, कंपनी द्वारा उस वर्ष के दौरान लागू किया गया था जिसके लिए वे उठाए गए थे। कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से कोई धन एकत्र नहीं किया है (ऋण उपकरणों सहित)।

10) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी सूचित नहीं की है या रिपोर्ट की गई है।

11) निगमित मामला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463 (ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

12) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है अतः आदेश के खंड 3 (xii) के तहत के रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

13) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां लागू हो, कंपनी के संबंधित पार्टियों के साथ का लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, और ऐसे लेन-देन का विवरण आवश्यक लागू लेखांकन मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और तुलन पत्र की एक समग्र परीक्षा करने पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाया है। और अतः, आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं और इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की है।

15) प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 में उल्लिखित के अनुसार अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

16) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ह०/-

कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: ००४६१०एस
यूडीआईएन: 20232723एएएएबिक्यु3007

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी | सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन

दिनांक: 28 जुलाई 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समसंख्यक तिथि के अनुलग्नक ख

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए दिनांक 28 जुलाई, 2020 की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 2 के तहत संदर्भित 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट '

क्रम सं	सी व एजी निर्देश	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें।	जी हाँ, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एस.ए. पी नामक एक प्रणाली है। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमें आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के किसी भी उदाहरण, जिसका खातों की अखंडता और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय निहितार्थ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नहीं मिली है।
2	क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के लिए एक ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का छूट/ऋण समाप्ती/ऋण/ब्याज आदि के मामले पर पुनर्गठन किया गया ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट करें।	वर्ष के दौरान ऋण चुकाने में हुई असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का छूट/ऋण का समापन/ऋण/बयाज़ आदि के पुनर्गठन का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए निधि प्राप्त/प्राप्य की गई थी या नहीं? विचलन के मामलों को सूचित करें।	हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि आम तौर पर अनुलग्नक 1 में उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर अपने नियमों और शर्तों के अनुसार गणना/उपयोग किया जाता है।
4	क्या राजस्व रिपोर्ट स्वचालित किराया संग्रह (एएफ़सी) डेटाबेस एकत्रित बैंक द्वारा प्रदान किया गया टिकट संग्रह राजस्व रिपोर्ट के अनुसार है ?	हमारे सामने प्रस्तुत नमूना अभिलेखों के सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संग्रहण बैंक यानि एक्सिस बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली दैनिक टिकटिंग राजस्व संग्रह रिपोर्ट एएफसी डेटा बेस रिपोर्ट के साथ सामंजस्य करते हैं।

ह०/-
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: ००४६१०एस
यूडीआईएन: 20232723एएएएबिक्यु3007

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी/ सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक: 28 जुलाई 2020

कंपनी के अधिनियम, **2013** की धारा **143** की उपधारा **(5)** के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर जारी कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की दिनांक **28** जुलाई, **2020** की रिपोर्ट **3** के संदर्भ में अनुलग्नक **1** को संदर्भित किया गया है।

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	विशेष रूप से प्राप्त निधि का विवरण	३१ मार्च, २०२० तक केरल सरकार से प्राप्त राशि	31 मार्च 2020 तक जिस उद्देश्य के लिए राशि प्राप्त की गई थी, उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की गई राशि	31 मार्च, 2020 तक अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई राशि
1	कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक पीडब्लूडी सड़क के चौड़ीकरण की तैयारी के लिए केरल सरकार से प्राप्त राशि	22 35.00	19 41.86	2 93.14
2	रेल ओवर ब्रिज - पच्चालम के निर्माण के प्रारंभिक कार्यों के लिए केरल सरकार से प्राप्त राशि	52 59.00	24 71.68	27 87.32
3	इडप्पल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक के इडप्पल्ली- हाइ कोर्ट रोड के सुधार के प्रारंभिक कार्याओं के लिए केरल सरकार से प्राप्त राशि	34 00.00	15 60.85	18 39.15
4	दिनांक 07.12.2013 के जी.ओ. (एमएस) सं.110/2013/ट्रांस के तहत सूचीबद्ध विभिन्न प्रारंभिक कार्यों के लिए केरल सरकार से प्राप्त राशि	236 00.27	217 92.32	18 07.95
5	चरण 1 ए (पेट्टा से एसएन जंक्शन/त्रिपुनित्तुरा) तक के प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केरल सरकार से प्राप्त राशि	61 20.00	51 20.91	9 99.09
6	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फोपार्क से होकर काक्कनाड तक के नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केरल सरकार से प्राप्त राशि	20 00.00	50.00	19 50.00
7	एएफडी ऋण की पहली किस्त चुकाने और भारत सरकार को देय हेतु केरल सरकार से प्राप्त राशि	37 60.00	-	37 60.00
	कुल	**463 75.27**	**329 38.62**	**134 36.65**

टिप्पणी - 31 मार्च, 2020 तक के उपर्युक्त कार्यों की स्थिति निम्नलिखित है;

क. क्रम सं. १ के तहत का काम संपूर्ण हुआ है।

ख. क्रम सं. 2 एवं 4 के तहत का काम डीएमआरसी द्वारा लिया गया और अंतिम निपटान लंबित है।.

ग. क्रम सं. 3,5 और 6 के तहत का कार्य चालू परियोजनाएँ हैं.

घ. क्रम सं. ७ में निर्दिष्ट राशि दिनांक ०७.०५.२०२० को भारत सरकार को चुका दी गई।

स्थान: कोचीन
तारीख : 28 जुलाई, 2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के सदस्यों के लिए समसंख्यक तिथि के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक ग

('अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अनुच्छेद 3 (एफ) में संदर्भित हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम") की धारा** 143 **की उप-धारा** 3 **के खंड** (i) **के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च 2020 के तक कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड ('कंपनी) के उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा की है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण" मानदंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है भारतीय शासनपतरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("गाइडेंस नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार मार्गदर्शन टिप्पणी पर निर्दिष्ट है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और रखरखाव, कंपनी की नीतियों के पालन सहित जो अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, अपनी परीसंपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और रोकथाम, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयबद्ध तैयारी आदि शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित मानकों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, और भारतीय शासनपत्रित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट के आधार पर किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश नोट की आवश्यकता यह है कि, हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करते हैं, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और अगर इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में इन वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना भी शामिल है, जो इस बात का आकलन करता है कि सामग्री की कमजोरी मौजूद है, और जोखिम का आकलन करके आंतरिक नियंत्रण की रचना और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना भी शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इन वित्तीय वक्तव्यों के संदर्भ में एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, जो

1. कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करने वाले अभिलेखों का उचित विस्तार से रखरखाव;
2. आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की रसीदें और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं, इस पर उचित आश्वासन प्रदान करें; तथा
3. कंपनी के परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान का रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन दें, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्निहित सीमाएँ

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन अधिभावी संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलतियाँ हो सकती हैं और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भविष्य की अवधि के लिए इन वित्तीय वक्तव्यों के संदर्भ में, उन जोखिमों के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की परिमाण को बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी वित्तीय मामलों में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से चल रही है।

ह०/-

कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन: ००४६१०एस
यूडीआईएन: 20232723एएएबिक्यु3007

सी ए . विष्णु मोहन
सहभागी/ सदस्य सं. 232723

स्थान : कोचीन
दिनांक : २८ जुलाई २०१९

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2020 के लिए तुलन पत्र

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को	31.03.2019 को
परिसंपत्तियाँ			
(I) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, परियोजना एवं उपकरण	2.A	5364 21.63	3893 24.60
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर	2.B	276 31.28	1244 05.69
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.A	32 16.85	33 28.92
(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.B	.58	.58
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ		-	-
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4	343 80.60	400 91.82
(च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	5	212 97.07	138 65.33
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (I)		**6229 48.01**	**5710 16.94**
(II) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	6	13 52.72	7 11.19
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	7	14 29.96	4 03.06
(iii) अन्य बैंक बकाया	8	33 40.15	85.60
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	206 37.07	283 10.09
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	83 14.70	3 58.53
कुल चालू परिसंपत्तियाँ (II)		**350 74.60**	**298 68.47**
कुल परिसंपत्तियाँ (I) +(II)		**6580 22.61**	**6008 85.41**
इक्विटी एवं देयताएँ			
(I) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	1507 46.00	1507 46.00
(ख) अन्य इक्विटी	12	818 14.37	919 02.22
कुल इक्विटी (I)		**2325 60.37**	**2426 48.22**
देयताएँ			
(II) गैर-चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	13	3228 86.97	2886 97.95
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	14	83 16.98	90 57.23
(ख) प्रावधान	15	12 41.19	8 26.92
(ग) अमूर्त कर देयताएँ	16	-	-
(घ) अन्य गैर चालू देयताएँ	17	949.40	6 79.03
कुल गैर चालू देयताएँ (II)		**3333 94.54**	**2992 61.13**
(III) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ			
(i) ऋण	18	85 30.08	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	19	761 46.08	554 03.99
(ख) अन्य चालू देयताएँ	20	72 64.66	34 92.85
(ग) प्रावधान	21	1 26.88	79.22
कुल चालू देयताएँ (III)		**920 67.70**	**589 76.06**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (I) + (II) + (III)		**6580 22.61**	**6008 85.41**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1.2		
वित्तीय विवरण के भाग के रूप में गठित टिप्पणी पर ध्यान दें	2-30		

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन : 20232723AAAABQ3007

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

ह0/-
अल्केष कुमार शर्मा
प्रबंध निदेशक

ह0/-
कुमार के आर
निदेशक (वित्त)

ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं. 232723

स्थान : कोचीन
तारीख : 28.07.2020

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.07.2020

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2020 के लाभ और हानि विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष**
I	संचालन से राजस्व	22	94 02.98	80 09.24
II	अन्य आय	23	40 92.07	24 38.75
III	**कुल राजस्व (I + II)**		**134 95.05**	**104 47.99**
IV	**व्यय:**			
	संचालन व्यय	24	45 11.09	32 78.56
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	42 20.38	38 06.66
	वित्तीय लागत	26	160 93.07	75 10.89
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	27	168 04.97	134 91.92
	गैर चालू परिसंपत्तियों पर हानि		-	78 99.11
	अन्य व्यय	28	28 45.73	29 49.28
	कुल व्यय (IV)		**444 75.24**	**389 36.42**
V	**कर के पूर्व लाभ/ (हानि) (III - IV)**		**(309 80.19)**	**(284 88.43)**
VI	कर व्यय :			
	(1) कर पूर्व समायोजन		-	-
	(2) अमूर्त कर		-	-
			-	-
VII	**अवधि के दौरान हानि/लाभ (V - VI)**		**(309 80.19)**	**(284 88.43)**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
	मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। s			
	- रोजगार के बाद के लाभ दायित्वों का पुनः मूल्यांकन		(21.64)	(29.99)
	उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
			(21.64)	**(29.99)**
IX	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+ VIII)** **(वर्ष के लिए लाभ/हानि और व्यापक आय शामिल है)**		**(310 01.83)**	**(285 18.42)**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आय :**	29		
	(1) मूल और तनूकृत		(20.57)	(18.92)
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	1.2		
	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में गठित टिप्पणी पर ध्यान दें	2-30		

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकर
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन : 20232723AAAABQ3007

ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं. 232723

स्थान : कोचीन
तारीख : 28.07.2020

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-	ह0/-	ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल	अल्केष कुमार शर्मा	कुमार के आर
कंपनी सचिव	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.07.2020

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तन का विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	इक्विटी शेयर पूँजी	अमूर्त आय - आर्थिक अनुदान			अमूर्त आय- गैर मौद्रिक अनुदान केरल सरकार	आरक्षित और अधिशेष	अन्य व्यापक आय	कुल
		ब्याज मुक्त उप ऋण - केंद्र सरकार	ब्याज मुक्त उप ऋण -केरल सरकार	राज्य करों का प्रतिपूर्ति- केरल सरकार		प्रतिधारित उपार्जन		
31 मार्च, 2018 को बकाया	1507 46.00	216 52.96	805 26.92	92 70.66	-	(202 10.91)	2.00	912 41.63
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	9 63.03	-	(3 09.37)	-	6 53.66
	1507 46.00	**216 52.96**	**805 26.92**	**102 33.69**	**-**	**(205 20.28)**	**2.00**	**918 95.29**
जोड़ें: वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि) बहाल	-	-	-	-	-	(284 88.43)	(29.99)	(285 18.42)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-	-	93 81.27	73 10.91	138 38.52	-	-	305 30.70
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण	-	(3 28.10)	(12 37.37)	(4 39.88)	-	-	-	(20 05.35)
मार्च 31, 2019 को बकाया	**1507 46.00**	**213 24.86**	**886 70.82**	**171 04.72**	**138 38.52**	**(490 08.71)**	**(27.99)**	**919 02.22**
अप्रैल 1, 2019 को बकाया	**1507 46.00**	**213 24.86**	**886 70.82**	**171 04.72**	**138 38.52**	**(490 08.71)**	**(27.99)**	**919 02.22**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	20.69		20.69
	1507 46.00	**213 24.86**	**886 70.82**	**171 04.72**	**138 38.52**	**(489 88.02)**	**(27.99)**	**919 22.91**
जोड़े : वर्ष के लिए व्यापक लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	(309 80.19)	(21.64)	(310 01.83)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	-	-	177 49.09	58 89.37	91.91	-	-	237 30.37
कम करें : वर्ष के दौरान के लाभ में हस्तांतरण		- (3 61.77)	(16 38.41)	(8 36.90)	-	-	-	(28 37.08)
मार्च 31, 2020 को बकाया	**1507 46.00**	**209 63.09**	**1047 81.50**	**221 57.19**	**139 30.43**	**(799 68.21)**	**(49.63)**	**818 14.37**

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन : 20232723AAAABQ3007

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं. 232723

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

ह0/-
अल्केष कुमार शर्मा
प्रबंध निदेशक

ह0/-
कुमार के आर
निदेशक (वित्त)

स्थान : कोचीन
तारीख : 28.07.2020

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.07.2020

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन कार्याओं से नकद प्रवाह		
अवधि के दौरान कुल लाभ/(हानि)	(310 01.83)	(285 18.42)
समायोजन		
परिसंपत्ति बिक्री पर (लाभ)/हानि (कुल)	8.89	0.53
बाढ़ से प्रभावित परिसंपत्तियों की बिक्री पर(लाभ)/हानि (कुल)	.00	1 94.32
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	168 04.97	134 91.92
पूर्वावधि मद	20.69	-
परिसंपत्ति का नुकसान	-	78 99.11
व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित जमा हानि	1 59.53	-
ब्याज आय	(42.57)	(33.92)
वित्तीय लागत	135 96.33	57 66.13
एफवीटीपीएल में मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों पर उत्पन्न कुल लाभ	(8 53.03)	(4 43.76)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**(13 07.02)**	**(16 44.09)**
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**(79 47.91)**	**38 44.82**
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(104 08.92)	16 77.24
अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(112 10.73)	19 15.23
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	4 61.94	3 59.32
अन्य देयताओं में (वृद्धि)/कमी	123 50.42	166 36.46
परिचालन गतिविधियों से/(उपयोग में) कुल नकद प्रवाह (क)	**(180 62.22)**	**227 88.98**
ख. निवेश की गतिविधियों से नकद प्रवाह		
पूंजीगत अग्रिम सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्राप्त करने के लिए भुगतान	(19 53.93)	(95 72.48)
पूँजीगत अग्रिम सहित पूँजी डब्ल्यूआईपी के लिए भुगतान	(608 54.95)	(490 78.39)
प्राप्त ब्याज आय	50.53	87.56
निवेश गतिविधियों से/(उपयोग में) कुल नकद प्रवाह (ख)	**(627 58.35)**	**(585 63.31)**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
केनरा बैंक से दीर्घ कालिक ऋण से प्राप्ति	269 45.17	353 44.40
हडको से दीर्घकालिक ऋण से प्राप्ति	130 00.00	-
यूनियन बैंक से दीर्घकालिक ऋण की प्राप्ति	30 00.00	-
एजसी फ्रांसेस दी डेवेलोपमेंट (एएफ़डी) की सहायता के माध्यम से प्राप्त आय	-	58 67.76
केरल सरकार के उप ऋण से प्राप्त आय	477 39.51	58 11.00
कार्यशील पूंजी ऋण से प्राप्ति	85 30.08	-
भुगतान किया गया वित्त लागत	(143 67.29)	(106 34.74)
वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण	(30 00.00)	(47 00.00)
वित्तपोषण गतिविधियों से/(उपयोगित) कुल नकद प्रवाह (ग)	**818 47.47**	**316 88.42**
नकद और नकद समकक्ष में कुल वृद्धि/(कमी) (क) + (ख) + (ग)	**10 26.90**	**(40 85.91)**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समकक्ष	**4 03.06**	**44 88.97**
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**14 29.96**	**4 03.06**
शामिल करना		
हाथ में नकद	0.40	29.55
बैंक में बकाया :		
- चालू खाता	12 99.35	91.28
-सावधि जमा (कम से कम बारह महीने की परिपक्वता के साथ)	1 30.21	2 82.23
बैंक में नकद	**14 29.96**	**4 03.06**

समसंख्यक तारीख के हमारे रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते के. वेंकटाचलम ऐयर एवं कंपनी.
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन 004610S
यूडीआईएन : 20232723AAAABQ3007
ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं. 232723

स्थान : कोचीन
तारीख : 28.07.2020

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

ह0/-
अल्केश कुमार शर्मा
प्रबंध निदेशक

ह0/-
कुमार के आर
निदेशक (वित्त)

स्थान : तिरुवनंतपुरम
तारीख : 28.07.2020

३१ मार्च २०२० को समाप्त वित्तीय विवरण के एक भाग के रूप में टिप्पणियाँ

निगमित सूचना

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (एतद् पश्चात "कंपनी" या केएमआरएल के रूप में संदर्भित) कंपनी अधिनियम, १९५६ के तहत CIN: U६०१००KL२०११SGC०२९००३ के साथ निगमित है, कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २ (४५) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

कंपनी भारत सरकार (जीओआई) और केरल सरकार (जीओके) के इक्विटी भागीदारी के साथ गठित एक संयुक्त उद्यम है। शहर में एक बहु मोडल परिवहन प्रणाली के लिए स्थायी संचालन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी को मेट्रो नेटवर्क के बाद के विस्तार का कार्य, इसका संचालन, रखरखाव और संबद्ध गतिविधियों का कार्य भी सौंपा गया है। कंपनी ने दिनांक १९.०६.२०१७ को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। कंपनी की राजस्व धाराओं में यात्रियों से किराया संग्रह, संपत्तियों और विज्ञापन स्थानों के लाइसेंस/पट्टे पर देना , और अन्य संगठन को परामर्श सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

१.१ तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को उचित मूल्य राशि पर मापा गया निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत के आधार पर भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है :

क. वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं और आकस्मिक विचार जो उचित मूल्य पर मापा जाता है;

ख. परिभाषित लाभ योजना - उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्ति;

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों ('आईएनडी एएस') के अनुपालन के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियम के तहत भी तैयार किए गए हैं।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी लेखा मानक शुरू में अपनाया गया हो, या किसी मौजूदा लेखांकन मानक के संशोधन में उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती हो। कंपनी ने आमतौर पर उद्योग में प्रचलित नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया है।

1.2 अनुमान और प्रबंधन निर्णयों का प्रयोग

भारतीय लेखा मानकों की मान्यता और माप सिद्धांतों (भारतीय लेखाकरण मानक) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए कुछ अनुमानों और मान्यताओं की प्रबंधन को आवश्यकता होती है जो संपत्ति और देयताओं की कथित मात्रा को और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय (आकस्मिक देयताओं सहित) और व्यय को प्रभावित करती है। कुछ अनुमानों में दूसरों की तुलना में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। प्रबंधन लगातार अपने उपलब्ध जानकारी और उसके अनुभव के आधार पर अपने सभी अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन करता है और मानता है कि

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी में इस्तेमाल किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उन अवधियों में पहचाने जाते हैं जिनमें परिणाम ज्ञात या भौतिक होते हैं।

निवेश की हानि, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन, आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन, प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों से संबन्धित वित्तीय वक्तव्यों की तारीख में अनिश्चितता के आकलन के प्रमुख स्रोत, जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि के लिए एक भौतिक समायोजन का कारण बन सकते हैं।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा करती है। यह भी मान लिया जाता है कि क्या कोई मद परिसंपत्ति के विवरण से मिलती है ताकि पूंजीकरण को अधिकृत कर सकें और परिसंपत्ति के किस घटक को पूंजीकृत किया जा सकता है। उपयोगी जीवन के पुनर्मूल्यांकन से भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, तो भविष्य की अवधि को मूल्यह्रास/परिशोधन का संशोधन करते हैं।

ख) अमूर्त कर परिसंपत्तियों की मान्यता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में अमूर्त कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। अमूर्त कर वस्तुओं के तत्वों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। उसके जैसी नीति, टिप्पणी १.२० के अंदर स्पष्ट किया गया है।

ग) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक पारिसंपत्तियाँ

पिछले घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व होने पर एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है और यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारी लाभ को छोड़कर) इसके वर्तमान मूल्य के लिए छूट नहीं दी जाती है और तुलन पत्र की तारीख में दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ये प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती हैं और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी है। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। एक आकस्मिक परिसंपत्ति मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वित्तीय विवरणों में एक टिप्पणी के रूप में इसका प्रकटीकरण किया है।

घ) रोज़गार के बाद के हितलाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को परियोजना इकाई क्रेडिट व्यवस्था का उपयोग करते हुए बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दर साथ ही छूट दरों में भविष्य के विकास के संबंध में मान्यता, बढ़ती

वेतन दर और मुद्रास्फीति दर आदि शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मान्यताएँ उपयुक्त और दस्तावेज़ित हैं। हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का गणनाओं पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है।

ङ) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि परीक्षण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के निर्णय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन से वसूली योग्य राशि की माप पर एक भौतिक प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

च) प्राप्य व्यापार और ऋण एवं अग्रिम

संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों / ऋणों और अग्रिमों के प्रावधान को मान्यता दी जाती है, जब इसके बकाया की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होती है और जब अवास्तविकता स्थापित हो जाती है, तब भट्टे-खाते में डाला जाता है।

१.२.१ कोविड -१९ से वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चितताओं का अनुमान

कोविड १९ महामारी के फैलने से भारत सहित दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। कोविड -१९ महामारी के कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार दिनांक २२ मार्च २०२० से मेट्रो संचालन निलंबित कर दिया गया है।

कंपनी को भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार परिचालन फिर से शुरू करने की उम्मीद है। कंपनी ने प्राप्य और निर्बाध राजस्व की वहन मात्रा पर, जो कोविड -१९ से संबंधित महामारी से उत्पन्न उन संभावित प्रभावों पर विचार किया है। इस महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के मद्देनजर, इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख के रूप में ले जाने वाले मूल्यों पर कंपनी ने समीक्षा की है और इसके प्रभाव पर निर्णय लिया है और अन्य मेट्रो द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर निर्भर हैं।

१.३. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

१.४. राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरण और टिप्पणियों में दिए गए सभी राशियों को निकटतम हजारों में पूर्णांक किया गया है सिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया हो।

1.5 राजस्व मान्यता

क) किराया संग्रह से आय टिकटों की बिक्री, यात्रा पास की बिक्री, वास्तविक उपयोग का धन मूल्य स्मार्ट कार्ड और अन्य प्रत्यक्ष किराया संग्रह के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ख) संपत्ति के लाइसेंस/किराये के लाइसेंस से प्राप्त आय की मान्यता लाइसेंसधारी/पट्टेदार के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार और लीज शर्तों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग) रद्दी माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को विचार या प्राप्य के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व के रूप में बताई गई गणनाएं हैं; कुल रिटर्न, व्यापार भत्ते, छूट, मूल्य वर्धित कर और तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि। कंपनी राजस्व को पहचानती है जब राजस्व की राशि को मज़बूती से मापा जा सकता है, यह संभावित है कि भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित होंगे।

घ) ब्याज से प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ङ) परामर्श सेवाओं से प्राप्त आय को निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी आकलन के आधार पर, अन्यथा जहां अनुबंध प्रदान करनेवाले मामलों को छोड़कर, मान्यता प्राप्त है।

च) अन्य आयों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

1.6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मुआफी भूमि को छोड़कर) को कम संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, उनके अधिग्रहण लागत/ऐतिहासिक लागत पर वर्णित किया गया है। कंपनी सकल वहन राशि के निर्धारण के लिए लागत मॉडल को अपना रही है।

स्थाई परिसंपत्ति की लागत में किसी भी आयात शुल्क और वसूली योग्य करों के अन्य करों सहित इसकी खरीद मूल्य, और इसके सीधे उपयोग के लिए परिसंपत्ति को तैयार करने पर कोई भी सीधा-सीधा व्यय शामिल है।

क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त खाते के विवरण के आधार पर जमा कार्यों /अनुबंधों को पूरा करने पर और इसकी अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूँजीगत किया जाता है। लागत में उधार पर ब्याज, अर्हक स्थाई परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के फलस्वरूप परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक और किसी भी व्यापार छूट और छूट और अन्य आकस्मिक कुल खर्च और निराकरण की लागत का प्रारंभिक अनुमान, यदि कोई हो, भी शामिल है। परिसंपत्ति के उपयोग के मामले में, जहां बिलों का अंतिम निपटान अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले पुर्जों को संबंधित शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया जाता है।

जब परिसंपत्ति के कुछ हिस्सों, संयंत्र और उपकरणों का अलग उपयोगी जीवन है, तो उन्हें अलग-अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में जाना जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित प्रतिस्थापन पुर्जों/प्रमुख निरीक्षण की लागत केवल पूंजीकृत है जब यह संभावित होगा कि भविष्य में इनसे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।

सार्वजनिक के लिए खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण सभी प्रकार से पूर्णता सुनिश्चित करने

के बाद और इस तरह के खंड के उद्घाटन के लिए "मेट्रो रेलवे सुरक्षा के आयुक्त" द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार और प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार किया जाता है।

प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और ऐसी तारीख से पहले उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागतों का प्रकटीकरण "पूँजीगत काम प्रगति पर" के तहत किया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के व्यय का पूंजीकरण केवल तभी यह संभव है जब भविष्य में इनसे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और इस मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है।

परिसंपत्ति की बिक्री या समापन पर वित्तीय विवरणों से लागत और संबंधित संचित मूल्यहास को समाप्त कर दिया जाता है और परिणामी लाभ या कमी लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

1.7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्ति लागत कम संचित परिशोधन और हानि पर निर्दिष्ट है। अमूर्त परिसंपत्ति को उस तारीख से जो वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, अपने संबंधित व्यक्ति पर एक सीधी रेखा के आधार पर अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

ब्रैंडिंग लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया है और पांच साल की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया है।

रेलवे के लिए भुगतान की गई, उपयोग करने के अधिकार के लिए विचार (अनुमतियाँ), वेज लीव शुल्क की राशि, अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत है। और लाइसेंस की अवधि/सत्तर साल की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया है ।

आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर की लागत जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है , को अमूर्त संपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया है और पांच साल की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया है।

1.8. पूँजीगत काम प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी)

तुलन पत्र की तारीख में निर्माणाधीन परिसंपत्तियों को पूंजीगत काम प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में दिखाया गया है। निर्माण गतिविधि से सीधे संबंधित व्यय को पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के सभी प्रत्यक्ष व्यय को सीडबल्यूआईपी के रूप में लेखांकित किया हैं। बाहरी उधारों पर आम खर्च और ब्याज, जो सीधे निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं, लेकिन कार्यों के एक से अधिक घटक के कारण निर्माण के दौरान खर्च के रूप में सीडब्ल्यूआईपी के तहत समूहबद्ध हैं, इसे निर्माण पूरा होने पर विभिन्न परिसंपत्तियों में आबंटित किया जाएगा। मूल्य भिन्नता सहित दावे की गणना, उसके स्वीकृति पर की जाती है।

निष्पादन कार्यों/अनुबंधों के रूप में निष्पादित परियोजनाओं के लिए प्रगति पर कार्य निष्पादन एजेंसी से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर और इसकी अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है। अधिशेष परियोजना निधि पर अर्जित ब्याज सीडब्ल्यूआईपी से घटाया है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज, (इक्विटी और ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के माध्यम से प्राप्त धन की अस्थायी तैनाती के अलावा), निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि को सीडब्ल्यूआईपी की ओर खर्च के खिलाफ समायोजित किया है।

परियोजना के लिए सीधे जिम्मेदार प्रशासनिक और सामान्य ओवरहेड्स (निवल आय) कमीशन के महीने के अंत में सीडब्ल्यू आईपी की कुल लागत के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों की लागत के अनुपात में आबंटित किए जाते हैं।

1.9 भूमि

भूस्वामियों द्वारा सौंप दिया गया और कंपनी द्वारा जिलाधीश के माध्यम से लिया गया भूमि के पार्सल के मूल्य को कंपनी के नाम पर स्वत्व विलेख के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बि ना, जिलाधीश के तत्वावधान में भूमि अधिग्रहण इकाई के कामकाज से सुसज्जित बयान के आधार पर पूंजीकरण किया गया है। अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/लागत के प्रति देयता या कब्जे में भूमि से संबंधित मुआवजा को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है। निर्माण के लिए सौंपी गई भूमि का मूल्य, जो विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों के अंतर्गत आता है, को देय राशि से पूंजीकृत नहीं किया गया है और अन्य शर्तों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अतः इसका पता नहीं लगाया गया है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के तहत संवर्धित मुआवजा", यदि कोई हो, को भूमि की लागत के रूप में विचार किया जाएगा और जब भुगतान किया जाता है तो राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भूमि में संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत और भूमि भरने के खर्चों को भूमि की लागत से प्रभारित किया जाता है।

राज्य सरकार से मुफ्त में प्राप्त भूमि, जिसका केएमआरएल का स्वामित्व है, को प्राप्त भूमि के बाजार मूल्य पर मान्यता प्राप्त है जिसकी गणना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 26 के आधार पर की जाती है और भूमि के कब्जे को सौंपने के समय इसे भारतीय लेखाकरण मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाएगा।

1.10. परिसंपत्तियों का नुक्सान

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि में परिसंपत्तियों का वहन मूल्य पर नुक्सान की समीक्षा की जाती है। यदि इस तरह की हानि का कोई संकेत मौजूद है, तो ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि अभिज्ञात की जाती है। मान्यता प्राप्त नुक्सान को लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है, जिस वर्ष किसी परिसंपत्ति की हानि की पहचान की हो।

1.11. संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों /अग्रिमों का प्रावधान तब किया जाता है जब इसके बकाए की अवधि के बावजूद बोध की अनिश्चितता होती है और जब अवास्तविकता स्थापित की जाती है, समाप्त किया जाता है।

1.12 बीमा दावा

दावों की स्वीकृति पर बीमा दावों को मान्यता दी जाती है।

1.13 मूल्यह्रास और परिशोधन

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास कुछ परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के घटकों को छोड़कर, जहाँ डीएमआरसी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन का निर्धारण किया जाता है, कंपनी अधिनियम २०१३ की अनुसूची II में निर्धारित के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

(ii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और किसी भी महत्वपूर्ण भाग का एक मद आरंभ में मान्यता दी गई, निपटान पर या जब इसके उपयोग से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। जब संपत्ति गैर-मान्य हो जाता है, परिसंपत्ति की गैर-मान्यता को लेकर कोई भी लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

(iii) संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन, जिसका उपयोगी जीवन का अनुमान तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निम्नानुसार लगाया जाता है ;

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन (वर्षों में)
बिल्डिंग थीमिंग (उप परिसंपत्ति)	10
रोलिंग स्टॉक	30
रोलिंग स्टॉक के घटक	18
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	
लिफ्ट	30
लिफ्ट अन्य घटक	20
एस्केलेटर	30
एस्केलेटर अन्य घटक	15
यूपीएस बैटरी के घटक	10
४-मीटर ऊँचाई वाला ए टाइप सीढ़ी	2
निदेशकों के अलावा आवासीय कार्यालयों में कर्मचारियों को प्रदान किया गया फर्नीचर, फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण और कोयी भी अन्य परिसंपत्ति	4
स्काड़ा सर्वर (मुख्य और अतिरिक्त)	3
कम मूल्य की परिसंपत्ति	1
रेलवे को रास्ता छोडने का प्रभार *	70
ब्रांडिंग	5

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुरूप सभी निश्चित परिसंपत्तियों के लिए 5% का अवशिष्ट मूल्य बरकरार रखा गया है।

v. 5000/- रुपए और इससे कम संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति का खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास / परिशोधन किया जाता है।

vi. घटकों का अधिकतम जीवन मुख्य परिसंपत्ति के जीवनकाल तक सीमित कर दिया गया है।

vii. वयडक्ट, पुल और स्थाई मार्ग/ट्रैक काम को संबंधित अनुभागों के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में "पुल, पुलिया, बंडर्स आदि" के लिए निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया गया है।

viii. मदों पर व्यय, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, को ऐसे व्यय की अवधि के वर्ष से राजस्व वसूल किया जाता है।

ix. अमूर्त परिसंपत्ति को उनके उपयोग के लिए उपलब्ध तारीख से उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर एक व्यवस्थित आधार पर परिशोधन किया जाता है।

x. रेलवे को दिए जाने वाले मार्ग अवकाश शुल्क को अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और जिस तरह से मार्ग अवकाश (*) की अनुमति दी गई है, उस अवधि के लिए स्ट्रेट-लाइन विधि पर परिशोधन किया गया है।

xi. मोबाइल फोन का उपयोगी जीवन, जो कार्यालय उपकरण के तहत समूहीकृत है, तीन साल तक अनुमानित है।

मूल्यह्रास की उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास की विधि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो उचित रूप से समायोजित किया जाता है।

1.14 सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जहां उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदान लाभ या हानि के बयान में अमूर्त और मान्यता प्राप्त हैं उन्हें उन लागतों के साथ मेल खाने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान जो उन्हें क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अभिप्रेत है।

जब कंपनी को गैर-मौद्रिक संपत्ति का अनुदान प्राप्त होता है, तो परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य राशियों पर दर्ज किए जाते हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ की खपत के पैटर्न में अपेक्षित उपयोगी जीवन पर लाभ या हानि के बयान के लिए जारी किया जाता है।

जब सरकार या संबंधित संस्थानों द्वारा वर्तमान लागू बाजार दर या ब्याज मुक्त से नीचे ब्याज दर के साथ ऋण या समान सहायता प्रदान की जाती है, बाजार दर से नीचे का लाभ / ब्याज मुक्त और प्राप्त होने वाली लेनदेन मूल्य को भारतीय लेखा मानक 113 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक 109 के अनुरूप मापा जाता है। तुलन पत्र में "अन्य इक्विटी" के

तहत मौद्रिक आय के रूप में मौद्रिक अनुदान की स्थापना करके इस लाभ को प्रस्तुत किया जाता है और भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार जिस अवधि में ऋण बकाया है, एक व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त है। वित्तीय देयताओं के लिए लागू लेखांकन नीति के अनुसार ऋण को बाद में मापा जाता है।

1.15 चालू के मुक़ाबले गैर-चालू वर्गीकरण

तुलन पत्र में परिसंपत्ति और देयताओं को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है ;

किसी परिसंपत्ति को चालू रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी को पूरा करती है :

- सामान्य परिचालन चक्र में महसूस किए जाने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टाधीन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वास्तविक होने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समकक्ष, रिपोर्टाधीन अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए एक दायित्व का निपटान करने या उसका उपयोग करने से प्रतिबंधित न होने तक।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देयता को चालू रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी को पूरा करती है :

- सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है, या
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित, या
- रिपोर्टाधीन अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटान होने के कारण, या
- रिपोर्टाधीन अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई निरुपाधिक अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू माना जाता है।

1.16 संचालन चक्र

कंपनी की परिचालन गतिविधियों की प्रकृति और परिसंपत्ति के अधिग्रहण और नकदी या नकद समकक्षों में उनके स्थानांतरण के बीच सामान्य समय के आधार पर कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर-चालू के रूप में वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीनों के लिए अपने परिचालन चक्र का निर्धारण किया है।

1.17 वित्तीय उपकरण

क) प्रारंभिक मान्यता, माप और गैर-मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी उपकरणों के अनुबंध प्रावधानों के लिए एक पार्टी बन जाती है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को लेन-देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है, उन वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को छोड़कर, जो प्रारंभ में लाभ और हानि (एफ़वीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किए जाते हैं।

जब वित्तीय संपत्तियों से नकदी प्रवाह के अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो जाते हैं या या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जाते हैं, तब वित्तीय परिसंपत्तियाँ गैर-मान्यता प्राप्त होता है। एक वित्तीय दायित्व की पहचान तब रद्द की जाती है जब इसे समाप्त, मुक्त, रद्द या एक्स्पियर कर दिया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक माप / मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है;

- परिशोधित लागत पर मापा जाना है, और;
- तत्पश्चात उचित मूल्य पर मापा जाना है (या अन्य व्यापक आय के माध्यम से या लाभ और हानि के माध्यम से)

ग) वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है वित्तीय देयताओं को छोड़कर अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके परिशोधन लागत पर किया जाता है।

1.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

एक प्रावधान को तभी मान्यता दी जाती है जब,

क) कंपनी के पास पिछले घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है।

ख) यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

ग) दायित्व के परिमाण से एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

तुलन पत्र की तारीख में दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम मूल्य के प्रावधान पर मापा जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है।

आकस्मिक देयताओं के मामले में खुलासा किया जाता है,

क) अतीत की घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।.

ख) अतीत की घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व, तब कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है।

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर मापा जाता है। इन्हें प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है।

1.19 प्रतिबद्धताएँ

प्रतिबद्धताएँ संविदात्मक व्यय के लिए भविष्य की देयताएँ हैं। प्रतिबद्धताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और निर्दिष्ट किया गया है:

क) शेष संविदा का अनुमानित मूल्य पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।

ख) अन्य गैर-रद्द करने योग्य प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, उन्हें प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना जाता है।

1.20 कराधान

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय और कर सूची और मूल्यांकन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को मान्यता, तुलन पत्र विधि का उपयोग करके, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों और कराधान प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की अस्थायी मात्रा के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करके दी गई है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर, जो कि रिवर्स होने पर अस्थायी अंतर पर लागू होने की उम्मीद होती हैं, रिपोर्टिंग कानून द्वारा अधिनियमित या अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है, जब भविष्य में कर लाभ प्राप्त होगा।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, सिवाय जब वे उन वस्तुओं से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या इक्विटी से संबंधित मदों में मान्यता प्राप्त है, उस में, वर्तमान और स्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

स्थगित कर परिसंपत्ति और देयताओं की भरपाई तब होती है जब वर्तमान कर परिसंपत्ति और देयताओं को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब स्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियां और कर देयताएँ ऑफसेट हैं और या तो शुद्ध आधार पर निपटाने, या परिसंपत्ति का वास्तविकता और दायित्व को एक साथ निपटाने के लिए जहां इकाई को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है।

1.21 विदेशी मुद्रा लेनदेन/अंतरण

इकाई के वित्तीय वक्तव्यों में शामिल मदों को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें इकाई संचालित होती है ("कार्यात्मक मुद्रा")। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए ("रु.") में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन को संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाकर कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं।

1.22 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि और पेंशन निधि: कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों, कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर मासिक योगदान देते हैं। योगदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी भी कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।

उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान नहीं लिया जाता है और नियोक्ता के योगदान से भुगतान किया जाता है।

उपदान : चालू वर्ष के दौरान इसके लिए पात्र कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार उपदान के लिए प्रावधान किया गया है।

अर्जित एवं अर्ध वेतन छुट्टी : कंपनी द्वारा कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध वेतन छुट्टी प्रदान करती है। संबंधित देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) : कंपनी अनुमोदित नीति के अनुसार कर्मचारियों कोअपने गृहनगर के साथ-साथ भारत में किसी भी स्थान पर वास्तविक यात्रा के खर्चों को पूरा करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर रोजगार लाभ

अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के कर्मचारी लाभ विदेशी सेवा योगदान (एफ़एससी) के रूप में उनकी निर्देशों के आधार पर उनके संबंधित मूल संगठन / नियोक्ता को भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में देय ऐसे लाभों के लिए आवश्यक प्रावधान के लिए अनुमान लगाया गया है और प्रदान किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 19 के तहत - तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति इसकी परिभाषित लाभ योजना के संबंध में रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके कार्यवाहियों द्वारा प्रतिवर्ष परिभाषित लाभ दायित्व की गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

ब्याज आय /(व्यय) की गणना कुल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति के लिए छूट की दर को लागू करके किया जाता है। परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर कुल ब्याज/ (व्यय) लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

वास्तविक मान्यताओं और समायोजन का अनुभव परिवर्तन से उत्पन्न पुनः माप लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

1.23 वित्तीय लागत

वित्तीय लागत में उधार पर ब्याज लागत, लाभ और हानि के माध्यम से, उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः माप पर उत्पन्न लाभ या हानि शामिल है और विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाली सीमा तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

निधियों के उधार के संबंध में लागत अर्हक परिसंपत्तियों, के अधिग्रहण से सीधे संबंधित अर्हक मदों, ऐसी संपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अर्हक परिसंपत्ति अधिग्रहण/निर्माण/विकास से संबंधित गतिविधियों के प्रारंभ की अवधि से संबंधित, को आबंटित किया जाता है। इन ऋणों से प्राप्त अस्थायी निवेश पर अर्जित आय, अर्हक परिसंपत्ति पर अपना खर्च लंबित है, पूंजीकरण के लिए पात्र ऋणदान से घटाया जाता है। तत्पश्चात, उधार लागत को लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है।

एक अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है।

1.24 निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

ऋण लागत, उधार पर ब्याज, जो एक योग्य परिसंपत्ति के निर्माण/उत्पादन के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जिसे भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार, परिसंपत्ति के एक लागत के रूप में पूंजीकृत किया है। वर्ष के दौरान प्रारंभ योग्य परिसंपत्ति के संबंध में निर्माण के दौरान के ब्याज को, कमीशन के महीने के अंत में पूंजीगत कार्य प्रगति पर को निर्धारित करने के लिए कमीशन की गई परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में आबंटित किया जाता है।

1.25 पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब भी पट्टे की शर्तों के अनुसार, पट्टेदार स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है। अन्य सभी पट्टें संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य पर, स्थापना तिथि पर या पट्टे के प्रारंभ में यदि कम है, तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर वित्त पट्टों का पूंजीकरण किया जाता है। पट्टे का भुगतान और पट्टे की देयताओं में कमी को वित्त शुल्कों के बीच किया जाता है ताकि देयता के शेष राशि पर लगातार ब्याज दर प्राप्त हो सके। लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत प्रभार को वित्त लागत में मान्यता प्राप्त है जब तक वे सीधे योग्य परिसंपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जिस में उन्हें उधार की लागतों पर सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है। आकस्मिक किराए को उस अवधि में खर्च के रूप में जिसमें वे खर्च किए गए हैं, में मान्यता प्राप्त है।

परिचालित पट्टे भुगतान को पट्टे के अवधि के आधार पर सीधी रखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है सिवाय जहां एक और व्यवस्थित आधार समय पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है जिसमें पट्टे वाली परिसंपत्तियों से आर्थिक लाभ का उपभोग किया जाता है।

1.26 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय खंड है, जो मेट्रो रेल प्रणाली का विकास, संचालन और रखरखाव है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली राशि कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

1.27 नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए)

नकद प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए नकद में, हाथ में नकद, सरकारी ट्रेशरी और बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। नकद समकक्ष तीन महीने या उससे अधिक की मूल परिपक्वता के साथ अल्पावधि शेष हैं, लेकिन अधिग्रहण की तारीख से कम से कम बारह महीने, अत्यधिक तरल निवेश जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

1.28 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.) -7 निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार "नकद प्रवाह विवरण' पर तैयार किया गया है।

1.29 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूलभूत कमाई की गणना अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान शेयरों की भारित औसत संख्या बकाया है सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 2.ए : संपत्ति, संयंत्र, उपकरण

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी					सकल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के लिए	हानि	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
भूमि (फ्रीहोल्ड) (टिप्पणी 2.1 देखें)	849 47.86	29 44.87	-	878 92.73	-	-	-	-	-	878 92.73	849 47.86
इमारत	834 21.81	381 38.76	80.67	1214 79.90	25 26.15	17 80.23	-	71.44	42 34.94	1172 44.96	808 95.66
अस्थायी संरचनाएँ	6.89	-	.00	6.89	1.06	2.25	-	-	3.31	3.58	5.83
वायडक्ट, पुल, सुरंग और पुलिया	1282 73.20	725 08.49	18.03	2007 63.66	69 94.38	53 85.13	-	18.03	123 61.48	1884 02.18	1212 78.82
संयंत्र एवं यंत्र	65 51.04	14 15.84	7 63.32	72 03.56	12 23.15	3 97.77	-	6 24.68	9 96.24	62 07.32	53 27.89
रोलिंग स्टॉक	522 14.22	244 79.12	25 35.90	741 57.44	51 34.07	23 69.06	-	25 35.90	49 67.23	691 90.21	470 80.15
एस्केलेटर एवं लिफ्ट	82 51.74	25 35.79	-	107 87.53	5 69.95	4 08.09	-	-	9 78.04	98 09.49	76 81.79
सिग्नलिंग और दूरसंचार उपकरण	138 11.15	52 73.75	27 56.78	163 28.12	41 17.14	10 06.77	-	27 56.78	23 67.13	139 60.99	96 94.01
सड़कें	12 24.80	21.95	-	12 46.75	2 18.30	1 23.22	-	-	3 41.52	9 05.23	10 06.50
फेंसेस, कुएं, ट्यूबवेल	2 50.43	1 18.50	1 85.96	1 82.97	2 07.01	25.36	-	1 85.96	46.41	1 36.56	43.42
कंप्यूटर	53 80.36	12 85.85	8 62.77	58 03.44	29 03.01	13 27.79	-	8 61.73	33 69.07	24 34.37	24 77.35
विद्युत उपकरण	231 66.08	94 65.33	12 34.33	313 97.08	47 99.01	25 74.84	-	12 29.75	61 44.10	252 52.98	183 67.07
केबल और नलिकाएं	74 52.98	21 20.33	.20	95 73.11	6 82.25	4 52.81	-	.20	11 34.86	84 38.25	67 70.73
स्विचिंग केंद्र	18 85.95	9 98.16	2 73.84	26 10.27	4 70.67	1 58.91	-	2 73.84	3 55.74	22 54.53	14 15.28
फर्नीचर व फिक्सचर	6 28.29	7 54.98	45.65	13 37.62	1 96.67	69.06	-	41.71	2 24.02	11 13.60	4 31.62
कार्यालय उपकरण	23 28.68	16 51.41	42.21	39 37.88	4 94.52	3 65.37	-	41.95	8 17.94	31 19.94	18 34.16
कम मूल्य की परिसंपत्ति	5 61.49	36.77	-	5 98.26	5 61.09	37.17	-	-	5 98.26	-	.40
वाहन	95.02	-	-	95.02	28.96	11.35	-	-	40.31	54.71	66.06
कुल	**4204 51.99**	**1637 49.90**	**87 99.66**	**5754 02.23**	**311 27.39**	**164 95.18**	**-**	**86 41.97**	**389 80.60**	**5364 21.63**	**3893 24.60**
पिछला वर्ष ((पुनः वर्णित)	**3807 98.05**	**398 82.27**	**2 28.33**	**4204 51.99**	**101 98.83**	**131 87.35**	**77 72.47**	**31.26**	**311 27.39**	**3893 24.60**	**3705 99.22**

टिप्पणी 2. बी: पूंजी कार्य प्रगति पर

विवरण	1 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2020 तक
कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना- चरण 1 (टिप्पणी संख्या 30.4 देखें)	1233 64.93	577 45.93	1811 10.86	1586 84.40	224 26.46
द्वितीय चरण (विस्तारण) (टिप्पणी संख्या 30.4 देखें)	7 37.55	(1 96.54)	5 41.01	-	5 41.01
चरण 1 ए एवं 1 बी (विस्तार)	1 97.96	43 82.84	45 80.80	-	45 80.80
चरण III (विमान पत्तन लिंक के साथ आलुवासे अंगमाली तक)	1 05.25	(22.24)	83.01	-	83.01
कुल	**1244 05.69**	**619 09.99**	**1863 15.68**	**1586 84.40**	**276 31.28**
पिछला वर्ष ((पुनः वर्णित)	**718 23.83**	**690 59.00**	**1408 82.83**	**164 77.14**	**1244 05.69**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 3. ए: अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन/कमी					सकल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के लिए	हानि	कटौती/ समायोजन	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	14 15.10	1 97.72	170.65	14 42.17	7 05.85	2 57.80	-	1 70.65	7 93.00	6 49.17	7 09.25
ब्रांडिंग- कोच्ची मेट्रो	61.60	-	-	61.60	44.06	12.33	-	-	56.39	5.21	17.54
रेलवे को रास्ता छोडने का शुल्क	27 76.22	-	-	27 76.22	1 74.09	39.66	-	-	2 13.75	25 62.47	26 02.13
कुल	**42 52.92**	**1 97.72**	**1 70.65**	**42 79.99**	**9 24.00**	**3 09.79**	**-**	**1 70.65**	**10 63.14**	**32 16.85**	**33 28.92**
पिछला वर्ष ((पुनः वर्णित)	**41 59.56**	**93.42**	**0.06**	**42 52.92**	**4 92.79**	**3 04.57**	**1 26.65**	**0.02**	**9 24.00**	**33 28.92**	**36 66.77**

टिप्पणी 3. बी: विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

विवरण	1 अप्रैल 2019 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च 2020 तक
एचआरएमएस मॉड्यूल कराधान	.58	1 97.72	.58	1 97.72	.58
कुल	**.58**	**1 97.72**	**.58**	**1 97.72**	**.58**
पिछला वर्ष	**10.26**	**(7.09)**	**3.17**	**(2.59)**	**.58**

टिप्पणी:

2.1. कंपनी ने 31 मार्च 2020 (पिछले वर्ष 34.1460 हेक्टेयर) को 34.7076 हेक्टेयर तक के निजी भूमि पर कब्जा कर लिया है।

2.2. पूंजीकृत भूमि का मूल्य जिला स्तरीय खरीद समिति और जमीन मालिकों के बीच बनी खरीद मूल्य पर एक सहमति है। पंजीकरण शुल्क और स्टांप शुल्क की लागत पर विचार नहीं की है, क्योंकि दिनांक 25 सितंबर 2014 के सरकारी आदेश संख्या. जी. ओ. (पी) सं.164/2014/टीडी/2353 एवं 2354 के केरल सरकार के आदेशों के तहत भुगतान से छूट प्रदान की है।

2.3. सरकारी रिकॉर्ड में कंपनी के नाम पर निजी भूमि के पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए 3.0642 हेक्टेयर की सीमा के साथ जमीन के संबंध में प्रक्रिया चल रही है, जिसका मूल्य रु 191,84.58 लाख है। 213,41.85 रुपए के मूल्य के साथ पुरस्कार पारित करके 19.9895 हेक्टेयर भूमि ले लिया।

2.4. केरल सरकार ने जी.ओ. (एमएस) सं.140/2016/आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडबल्यूडी) के कब्जे पर रहे 17.430 एकड़ भूमि को केएमआरएल को नि: शुल्क रजिस्ट्री पर सौंपा गया। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 26 के अनुसार भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य पर 139,30.43 लाख रु. दिखाया गया है।

2.5. विभिन्न सरकारी निकायों /विभागों/एनएच से संबंधित 5.40 हेक्टेयर भूमि पर मेट्रो का कार्य पूरा/ प्रगति पर है। मूल्य का अंतिम निर्धारण, औपचारिकताओं का स्थानांतरण और अन्य नियम और शर्तें, इन भूमि को स्थाई संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।

2.6. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रेलवे भूमि पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के वियाडक्ट के निर्माण के लिए दक्षिण रेलवे को रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए शुल्क के रूप में 22.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एकमुश्त भुगतान के खिलाफ वर्ष 2014-15 में भूमि के प्रचलित बाजार के 99% के बराबर 35 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुमति ली गई है। 35 वर्ष की आगे की अवधि के लिए अनुमति के कार्यकाल को नाममात्र की शुल्क के भुगतान पर लागू किया जा सकता है। एक औपचारिक समझौते के लंबित निष्पादन, 70 वर्षों की अवधि के लिए रेलवे को किए गए 27.76 करोड़ रुपए की राशि अमूर्त परिसंपत्ति और परिशोधन के तहत दिखाया गया है।

2.7. 3.33 एकड़ की सीमा तक की भूमि के संबंध में शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर गलती से पंजीकृत हैं और इसको कंपनी की स्थाई परिसंपत्तियों में शामिल नहीं की है। भूमि अधिग्रहण इकाई ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्यों को भूमि का अधिग्रहण पूरा करने के लिए किया है और इस लागत को केरल सरकार की प्रारंभिक निधियों से पूरा किया जा रहा है।

2.8. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान संपत्ति के हानि के कारण हुए सकल ब्लॉक और मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि के लिए वर्ष के दौरान का समायोजन 86,02.12 लाख रुपए है।

2.9. मोबाइल फोन के मामले में, इसे कार्यालय उपकरण के तहत समूहीकृत है, इसका उपयोगी जीवन का अनुमान तीन साल है।

2.10. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 16,39,47.64 लाख रुपए मूल्य के मूर्त और अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का पूंजीकरण किया।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 4 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ "	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
केरल सरकार से प्राप्य		
'- केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण के विरुद्ध प्राप्य (कृपया टिप्पणी सं.30.5, 30.9 एवं 30.13देखें)	281 90.10	328 90.10
'- केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण के प्रति प्राप्य ब्याज (कृपया टिप्पणी सं. 30.5, 30.9 एवं 30.13 देखें)	60 43.42	70 50.88
सुरक्षित जमा (असुरक्षित और बेहत्तर माना गया)	1 47.08	1 50.84
कुल	**343 80.60**	**400 91.82**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 5 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ”	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पूंजीगत अग्रिम (असुरक्षित और अच्छा मानने वाला);;		
'- जिलाधीश-भूमि अधिग्रहण	59 59.86	73 11.78
'- जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण - पेट्टा से एस एन तक	41 25.35	58 11.00
पूँजी अग्रिम - प्रारंभिक कार्यों के लिए (असुरक्षित और अच्छा मानने वाला);		
'- जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण (पेट्टा विस्तार) (टिप्पणी सं. 30.9 देखें)	9.90	9.90
'- जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण - चरण II (टिप्पणी सं.30.14 देखें)	96 72.00	-
'- जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण - चंबक्करा पुल (टिप्पणी सं.30.23 देखें)	3 71.98	-
'- जिलाधीश - भूमि अधिग्रहण - सीपोर्ट - एयरपोर्ट रोड (टिप्पणी सं.30.28 देखें)	4 01.00	-
पूर्वदात व्यय	1 36.63	81.66
प्राप्य आयकर वापसी (प्रावधानों का शुद्ध)	6 20.35	6 50.99
कुल	**212 97.07**	**138 65.33**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 6 : व्यापार प्राप्तियाँ [चालू] वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
असुरक्षित- अच्छा मानने वाला		
व्यापार ग्राहक	15 12.25	7 11.19
कम करें: व्यापार प्राप्य - जमा हानि	(1 59.53)	-
कुल	13 52.72	7 11.19

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 7 : नकद और नकद समकक्ष [चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
नकद शेष	.40	29.55
बैंक के साथ बकाया (चालू खातों में)	12 99.35	91.28
बैंकों के साथ सावधि जमा (बारह महीने से कम परिपक्वता अवधि के साथ)	1 30.21	2 82.23
कुल	**14 29.96**	**4 03.06**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 8 : अन्य बैंक बकाया	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंकों के साथ विशेष प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट बकाया *	33 40.15	85.60
कुल	**33 40.15**	**85.60**

** बैंकों के साथ के सावधि जमे को मिलमा/ दूरसंचार विभाग/ऋण सेवा रिजर्व खाता के साथ गिरवी रखी हुई है ।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ [चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
चालू एवं देय		
केरल सरकार से प्राप्त		
- केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण के खिलाफ प्राप्य (टिप्पणी सं. 30.5 , 30.9 एवं 30.13 देखें)	47 00.00	-
- केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण के लिए प्राप्य ब्याज (टिप्पणी सं. 30.5, 30.9 एवं 30.13 देखें)	57 34.28	-
चालू एवं देय नहीं		
केरल सरकार से प्राप्त		
- केरल राज्य सहकारी बैंक से लिए गए ऋण के खिलाफ प्राप्य (टिप्पणी सं. 30.5 , 30.9 एवं 30.13 देखें)	47 00.00	47 00.00
- केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण के लिए प्राप्य ब्याज (टिप्पणी सं. 30.5, 30.9 एवं 30.13 देखें)	10 07.45	10 07.45
- प्रारंभिक कार्यों के लिए (टिप्पणी सं. 30.14, 30.23, 30.26 एवं 30.28 देखें)	14 76.62	3 21.13
- प्राप्य राज्य कर प्रतिपूर्ति	11 41.00	167 44.15
- प्राप्य परिचालन नकद हानि	3 80.00	53 00.00
असुरक्षित, बेहत्तर माना गया, जब तक अन्यथा न कहा जाए		
- अर्जित ब्याज	12.20	20.17
- अर्जित आय, किन्तु देय	28.11	3.99
- सुरक्षित जमा	13 65.16	1 50.98
- अन्य कर्मचारी अग्रिम	9.45	16.79
- अन्य (केरल सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता शामिल करें - टिप्पणी सं. 30.11 देखें)	82.80	45.43
कुल	**206 37.07**	**283 10.09**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 10 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भुगतान किया गया अग्रिम	74 43.18	2 42.76
पूर्वदात व्यय	2 94.21	64.33
कार्य जमा	8.01	5.21
उपकरण का स्टॉक	2 57.40	18.57
जीएसटी निवेश जमा	3 11.90	27.66
कुल	**83 14.70**	**3 58.53**

टिप्पणी 11 : इक्विटी शेयर पूँजी" विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
प्राधिकृत प्रत्येक 100 रुपये के इक्विटी शेयर	20 00 00 000	2000 00.00	20 00 00 000	2000 00.00
जारी, अभिदा और पूरी तरह से भुगतान किया गया पूर्ण रूप से भुगतान किए गए प्रत्येक100 रुपये के इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00

शेयरों की संख्या का पुनर्मिलन और बकाया राशि विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (रुपए लाखों में)
वर्ष की प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयर	15 07 46 000	1507 46.00	15 07 46 000	1507 46.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**15 07 46 000**	**1507 46.00**	**15 07 46 000**	**1507 46.00**

11.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	धारित %	शेयरों की संख्या	धारित %
भारत के राष्ट्रपति	7 53 73 000	50	7 53 73 000	50
केरल के राज्यपाल	7 53 73 000	50	7 53 73 000	50

11.2 कंपनी के पास 100/- रुपए के प्रति शेयर का सममूल्य मूल्य के एक वर्ग के इक्विटी शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने और कंपनी की बैठक में प्रति शेयर एक वोट के लिए हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद, यदि कोई हो, इक्विटी शेयरधारक उनके द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के अनुपात में कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति और केरल के माननीय राज्यपाल क्रमशः चार और पाँच नामांकित निदेशकों को नामित किए हैं।

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 12 : अन्य इक्विटी	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्थगित आय		
मौद्रिक अनुदान		
ब्याज मुक्त उप ऋण (टिप्पणी संख्या 30.5 देखें)		
भारत सरकार	209 63.09	213 24.86
केरल सरकार	1047 81.50	886 70.82
केरल सरकार - राज्य कर की प्रतिपूर्ति (टिप्पणी संख्या 30.6 देखें)	221 57.19	171 04.72
	1479 01.78	**1271 00.40**
गैर मौद्रिक अनुदान		
केरल सरकार - जागीर भूमि (टिप्पणी संख्या 30.7 देखें)	139 30.43	138 38.52
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(490 08.71)	(202 10.91)
जोड़ें: लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	20.69	(3 09.37)
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	(309 80.19)	(284 88.43)
वर्ष के अंत में बकाया राशि	**(799 68.21)**	**(490 08.71)**
अन्य व्यापक आय		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया	(27.99)	2.00
जोड़ें: चालू वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	(21.64)	(29.99)
कम: अथ शेष राशि के लिए पूर्व की अवधि समायोजन		
वर्ष के अंत में बकाया राशि	**(49.63)**	**(27.99)**
कुल	**818 14.37**	**919 02.22**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 13 : उधार [गैर चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सावधि ऋण (सुरक्षित)		
बैंकों से ;		
केनरा बैंक (टिप्पणी संख्या 30.12 देखें)	1386 28.86	1116 82.39
केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण) (टिप्पणी संख्या 30.13 देखें)	219 60.00	256 20.00
केरल राज्य सहकारी बैंक (वैट्टिला- पेट्टा सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण) (टिप्पणी संख्या 30.9 और 30.13 देखें)	62 40.00	72 80.00
सावधि ऋण (असुरक्षित)		
सहायता के माध्यम से पारित - भारत सरकार (टिप्पणी सं.30.15 देखें) (Refer Note No. 30.15) [एजेंस फ्रांसइस दी डेव्लपमेंट (एएफ़डी)]	1194 39.69	1260 75.23
प्रारंभिक कार्यों के लिया गया 'हड़को' ऋण (नोट संख्या 30.14 देखें)	130 00.00	-
ब्याज मुक्त उप सामान्य ऋण (असुरक्षित) (टिप्पणी सं. 30.5 और 30.8 देखें)		
भारत सरकार	38 86.91	35 25.14
केरल सरकार	197 31.51	145 15.19
कुल	**3228 86.97**	**2886 97.95**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 14: अन्य वित्तीय देयताएं [गैर चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
Rप्रतिधारण	1 18.98	99.20
सुरक्षित जमा	21 54.58	19 07.15
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज	60 43.42	70 50.88
कुल	**83 16.98**	**90 57.23**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 15: प्रावधान [गैर चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 30.16 और 30.17 देखें)		
उपदान के लिए प्रावधान	4 49.31	2 87.18
अर्जित छुट्टी के लिए प्रावधान	5 83.78	3 78.68
अर्ध वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान	1 86.29	1 20.43
छुट्टी यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	21.81	40.63
कुल	**12 41.19**	**8 26.92**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 16: आस्थगित कर देयताएँ [गैर चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आस्थगित कर देयताएं (टिप्पणी संख्या 30.18 देखें)		
स्थाई परिसंपत्तियों के बुक में बयाका और कर बकाया में अंतर	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (टिप्पणी संख्या 30.18 देखें)		
अनिर्धारित मूल्यह्रास और हानि	-	-
कुल	**-**	**-**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 17: अन्य गैर चालू देयताएँ	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	5 96.64	1 04.33
आस्थगित उचित मूल्यांकन - लाभ (सुरक्षित जमा)	3 52.76	5 74.70
कुल	**9 49.40**	**6 79.03**

Amount (Rs.in Lakh)

टिप्पणी 18: उधार [चालू] - वित्तीय देयताएँ	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कार्यशील पूंजी ऋण - केनरा बैंक	85 30.08	-
कुल	**85 30.08**	**-**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 19: अन्य वित्तीय देयताएँ [चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
चालू एवं देय:		
बैंकों से सावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता;		
केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण) (टिप्पणी सं. 30.9 एवं 30.13 देखें) *	47 00.00	-
केरल राज्य सहकारी बैंक ऋण पर देय ब्याज *	57 34.28	-
** कंपनी को ऋण की किस्त चुकाने के लिए स्थगन प्राप्त हुआ है*		
चालू एवं देय नहीं :		
बैंकों से सावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता;		
केरल राज्य सहकारी बैंक (भूमि अधिग्रहण) (टिप्पणी सं. 30.9 एवं 30.13 देखें)	47 00.00	47 00.00
दूसरों से;		
सहायता के माध्यम से पारित - भारत सरकार (टिप्पणी सं.30.15 देखें) [एजेंस फ्रांसइस दी डेव्लपमेंट (एएफ़डी)]	66 35.54	66 35.54
ब्याज उपार्जित किया गया, लेकिन उधार पर देय नहीं	20 80.88	18 82.47
असुरक्षित		
- प्राप्त व्यापार/ सुरक्षा जमा	8 54.53	3 57.66
- भूमि अधिग्रहण और संरचनात्मक मूल्यांकन	96 91.64	98 58.36
- अन्य;		
- परियोजना से संबंधित दायित्व	189 19.13	184 62.33
- केरल सरकार **	136 64.33	108 42.39
- देय पीटीए राशि और भारत सरकार को देय	66 35.54	
- दिल्ली मेट्रो रेल निगम	9 27.90	10 38.77
- अन्य	16 02.31	16 26.47
कुल	**761 46.08**	**554 03.99**
** टिप्पणी सं. 30.9, 30.20, 30.21, 30.22, 30.23, 30.25, 30.26,30.27 एवं 30.28. देखें		

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 20: अन्य चालू देयताएँ	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वैधानिक भुगतान	8 03.10	2 96.76
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	12 99.67	10 11.29
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ (सुरक्षा जमा)	1 61.89	1 84.80
अग्रिम के रूप में प्राप्त बीमा दावा	50 00.00	20 00.00
कुल	**72 64.66**	**34 92.85**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 21: प्रावधान [चालू]	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (टिप्पणी संख्या 30.16 और 30.17 देखें)		
उपदान का प्रावधान	19.80	17.69
अर्जित छुट्टी का प्रावधान	62.68	28.61
अर्ध वेतन छुट्टी का प्रावधान	18.96	9.12
छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान	25.44	23.80
कुल	**1 26.88**	**79.22**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 22: संचालन से राजस्व	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ट्रेन परिचालन से किराया संग्रह के रूप में प्राप्त राजस्व	56 77.13	41 03.88
गैर किराया बॉक्स राजस्व	37 25.85	39 05.36
कुल	**94 02.98**	**80 09.24**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 23: अन्य आय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सरकारी अनुदान (भारत सरकार और केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण से लाभ)	20 00.18	15 65.47
सरकारी अनुदान (केरल सरकार से राज्य करों की प्रतिपूर्ति से लाभ)	8 36.90	4 39.87
परामर्श आय	5 38.52	1 08.17
बैंक जमा पर ब्याज	42.57	33.92
बीमा दावा	-	12.96
अन्य गैर-परिचालन आय (टिप्पणी 23.1 देखें)	1 61.21	1 02.96
सुरक्षा जमा खोलने से आय	5 12.69	1 75.40
कुल	**40 92.07**	**24 38.75**
23.1 अन्य गैर परिचालन आय:		
आवेदन/निविदा प्रसंस्करण शुल्क	14.62	14.62
अन्य ब्याज	38.88	38.88
अन्य	107.71	49.46
कुल	**1 61.21**	**1 02.96**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 24: परिचालन व्यय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहक सुविधा व्यय	13 93.20	13 15.37
बिजली और जल प्रभार	15 64.80	11 56.66
सुरक्षा व्यय	10 27.33	4 40.69
दलाली	2 67.95	1 93.70
बाह्य परियोजना परामर्श	1 51.36	1 21.31
अन्य परिचालन व्यय	1 06.45	50.83
कुल	**45 11.09**	**32 78.56**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 25: कर्मचारी लाभ व्यय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	36 14.15	31 59.67
भविष्य निधि और अन्य निधियों के लिए योगदान	2 79.38	2 46.57
उपदान व्यय (टिप्पणी संख्या 30.16 और 30.17 देखें)	1 16.32	82.20
कर्मचारी कल्याण खर्च	2 10.53	3 18.22
कुल	42 20.38	38 06.66

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 26: वित्त लागत	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क) सहायता के माध्यम से पारित पर ब्याज - भारत सरकार (टिप्पणी संख्या 30.14 देखें)		
सकल ब्याज (अ)	17 67.15	19 19.72
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (आ)	(38.39)	(5 61.05)
लाभ और हानि विवरण का कुल हस्तांतरण (अ-आ)	**17 28.76**	**13 58.67**
ख) केनरा बैंक ऋण पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 30.12 देखें)		
सकल ब्याज (अ)	124 02.74	89 91.73
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (आ)	(8 53.32)	(45 84.26)
लाभ और हानि विवरण का कुल हस्तांतरण (अ-आ)	**115 49.42**	**44 07.47**
ग) यूनियन बैंक ऋण पर ब्याज (टिप्पणी संख्या 30.12 देखें)		
सकल ब्याज (अ)	13.83	-
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (आ)	(13.83)	-
लाभ और हानि विवरण का कुल हस्तांतरण (अ-आ)	-	-
घ) कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज (नोट संख्या 30.12 देखें)	**3 18.15**	**-**
ङ) अधीनस्थ ऋण पर ब्याज (नोट संख्या 30.5 देखें)		
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज खर्च का खुलासा (अ)	20 00.18	15 65.47
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (आ)	-	-
लाभ और हानि विवरण का कुल हस्तांतरण (अ-आ)	**20 00.18**	**15 65.47**
च) प्रतिधारण नकद जमा पर ब्याज		
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज खर्च का खुलासा (अ)	9.32	14.66
कम करें : निर्माण के दौरान व्यय (आ)	(.87)	(7.90)
कम करें : केरल सरकार को देय (इ)	(5.29)	(3.02)
लाभ और हानि के विवरण के लिए कुल अंतरण (अ-आ-इ)	**3.16**	**3.74**
छ) सुरक्षित जमा पर ब्याज		
सुरक्षित जमा पर ब्याज व्यय की खुलासा (अ)	4 93.40	1 75.54
लाभ और हानि विवरण के लिए कुल अंतरण (अ)	4 93.40	1 75.54
कुल योग-लाभ और हानि विवरण के लिए हस्तांतरण	**160 93.07**	**75 10.89**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 27: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास (टिप्पणी संख्या 1.13 और 2क देखें)	164 95.18	131 87.35
अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन (टिप्पणी संख्या 1.13 और 3 क देखें)	3 09.79	3 04.57
कुल	**168 04.97**	**134 91.92**

राशि (रुपए लाखों में)

टिप्पणी 28: अन्य व्यय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
रोड कार्य/स्टेशन उन्मुख कार्य	39.12	12 09.77
किराया, दरें और कर	91.53	1 98.27
व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि	1 59.53	-
मरम्मत और रखरखाव	4 68.33	2 37.79
विज्ञापन और प्रचार संबंधी व्यय	2 07.83	1 61.53
कानूनी और पेशेवर	3 59.40	1 34.50
यात्रा और वाहन का खर्च	1 04.51	89.21
कार्यालय और अन्य विविध व्यय	1 81.02	1 43.61
बीमा	8 88.26	1 12.81
लेखा परीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी संख्या 28.1 देखें)	8.74	9.45
बैंक शुल्क और प्रत्याभूति कमीशन	1 46.47	5.55
बाढ़ के बाद के मरम्मत व्यय	1 90.99	6 46.79
कुल	**28 45.73**	**29 49.28**

राशि (रुपए लाखों में)

28.1 लेखा परीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा शुल्क	6.49	6.20
अन्य सेवाएँ	2.05	3.13
व्यय की प्रतिपूर्ति	.20	.12
कुल	**8.74**	**9.45**

टिप्पणी 29: प्रति इक्विटी शेयर आय	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद कुल लाभ/(हानि) (रुपए लाख में)	(310 01.83)	(285 18.42)
इक्विटी शेयरों की संख्या	1507460 00.00	1507460 00.00
प्रति शेयर (ईपीएस) मूल और तनूकृत आय (रुपये में) (नोट संख्या 30.30 देखें)	**(20.57)**	**(18.92)**

टिप्पणी सं. 30 वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त सूचना

30.1 विदेशी मुद्रा में व्यय

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
पर्यटन और यात्राएं	4.82	8.57
संविदा पर डीएमआरसी द्वारा व्यय (निम्नलिखित टिप्पणी देखें)	43,88.39	25,62.25

उनके विवरणों के अनुसार केएमआरएल द्वारा भारतीय रुपये में किए गए भुगतान में से विदेशी मुद्रा में डीएमआरसी द्वारा पूंजीगत व्यय किया गया।

30.2 विदेशी विनिमय दर भिन्नता

भारत सरकार द्वारा कंपनी को प्रदान किया गया पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए), ऋणदाता के रूप में एजीस फ्रांसईस डे डेव्लपमेंट (एएफ़डी) और भारत सरकार (जीओआई) के रूप में के बीच 180 मिलियन यूरो के क्रेडिट सुविधा समझौते पर आधारित है। कंपनी को पीटीए निधि आईएनआर में बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। कंपनी को संपूर्ण ऋण कार्यवाही 13,27,10.77 लाख रुपए (180 मिलियन यूरो के बराबर) पीटीए के रूप में कई चरणों में हस्तांतरित किया गया। कंपनी का दायित्व भारत सरकार के प्रति है और कंपनी का पुनर्भुगतान दायित्व पीटीए की प्राप्त राशि के बराबर आईएनआर तक सीमित है। तदनुसार, भारत सरकार से प्राप्त पीटीए से संबंधित तुलन पत्र के तारीख केअनुसार कंपनी ने विदेशी मुद्रा दर भिन्नता हानि/लाभ को नहीं पहचाना।

इसके अलावा, भारत सरकार, केरल सरकार और कंपनी के बीच दिनांक 4 नवंबर, 2013 को हुए समझौता ज्ञापन के खंड 12.1 के तहत, विनिमय दर की भिन्नताएँ केरल सरकार द्वारा पूरी/व्यवस्थित की जाएंगी। इसके आगे, सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 273 के तहत, एक बार जब ऋण पूरी तरह से चुकाया जाता है, तो केंद्र सरकार विदेशी विनिमय दर भिन्नता को पहचान लेगाऔर ऋण अवधि के दौरान और विनिमय दर भिन्नता के ऐसे लेखांकन को "8680 विविध सरकारी खातों" में समायोजित/लिखा नहीं जाएगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार इस तरह की विनिमय दर भिन्नता के अंतर को भारत सरकार द्वारा निपटाया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा चुकाए गए राशि और कंपनी द्वारा आईएनआर में भारत सरकार को भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर, केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जब विनिमय भिन्नता का निपटान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। पीटीए की मूल राशि, तदनुसार, भारत सरकार से प्राप्त होने के नाते, तुलन पत्र में पीटीए के तहत देयता 13,27,10.77 लाख रुपए पर मान्यता प्राप्त है।

30.3 सीडबल्यूआईपी से परिसंपत्ति का पूँजीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने डीएमआरसी से ली गई 16,02,40.00 लाख रुपए मूल्य के परिचालन परिसंपत्ति का पूंजीकरण किया है। यह डीएमआरसी द्वारा सौंपे गए स्थाई परिसंपत्ति रजिस्टर और संबंधित दस्तावेजों पर आधारित है, जो डीएमआरसी और केएमआरएल के बीच समझौता ज्ञापन के 6.1.20 के अनुसार उनके आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित है।

स्थाई संपत्तियों के मूल्य पर पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली विधि नीचे दी गई है:

क) ठेकेदार और ठेकेदारों के बिल की समीक्षा

कंपनी ने केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी द्वारा निष्पादित संविदाओं की समीक्षा की और काम के दायरे के मूल्यांकन के लिए संविदा दस्तावेजों को उपलब्ध कराए गए और अनुबंध निष्पादन के एक हिस्से के रूप में एक सीमा तक स्थाई परिसंपत्तियों को बनाया गया।

ख) उधार लागत

उधार लागत एक योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, जिसे समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत किया गया, यह अपेक्षित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को पूरा और तैयार करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान कमीशन योग्य परिसंपत्ति के निर्माण के दौरान ब्याज, उस अनुपात में आबंटित किया जाता है, जैसे कि कमीशनिंग महीने के अंत में होता है, जिसमें कमीशन परिसंपत्तियों का मूल्य योग्यता सीडब्ल्यूआईपी के रूप में होता है।

30.4 पूँजी काम प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी)

सीधे निर्माण गतिविधि से संबंधित व्यय को पूंजीकृत किया गया है। परियोजना के विभिन्न घटकों के कारण हुए सभी प्रत्यक्ष व्यय को सीडबल्यूआईपी के तहत मान्यता प्राप्त हैं।

विशेष परिसंपत्ति की उधार की लागत जो सीधे अधिग्रहण और निर्माण के लिए जिम्मेदार है, सीडब्ल्यूआईपी, लंबित पूंजीकरण के तहत वर्गीकृत किया जाता है। उधार की लागत का विवरण नीचे दिए गए हैं;

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	वर्ष के अंत में कुल उधार लागत	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत	लाभ और हानि विवरण के लिए दी गई उधार लागत	सीडब्ल्यूआईपी के तहत वर्गीकृत उधार लागत
चालू वर्ष	145,01.87	8,74.07	135,96.33	31.47
गत वर्ष	149,00.44	5,55.99	57,66.13	85,78.32

भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा) २३ के अनुसार एजेंस फ्रांसेस दी डेव्लपमेंट (एएफ़डी) ऋण की ओर सहायता (पीटीए) निधियों के माध्यम से पारित अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज को उधार की लागत से घटाया जाता है। अर्जित ब्याज के विवरण नीचे दिए गए हैं;

राशि (रुपए लाखों में)

प्राप्त ब्याज	चालू वर्ष	गत वर्ष
	0	**20.58**

दिनांक 15 अप्रैल 2020 के पत्र सं. एफ़.नं.30 (03)/पीएफ़सी।I/2019 के तहत वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना - द्वितीय चरण के प्रस्ताव को लागू करने की सिफारिश की है।

कंपनी द्वारा विस्तारण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, यातायात अध्ययन और अन्य संबंधित व्यय की तैयारी की ओर व्यय सीडबल्यूआईपी- चरण II के तहत समूहीकृत किया गया है।

चरण III परियोजना का प्रस्ताव अर्थात् अलुवा से अंगमाली तक (एयरपोर्ट लिंक के साथ) कोच्ची मेट्रो विस्तार कार्यों का हिस्सा माना जा रहा है।

30.5 सरकारी ऋण लेखांकन (अधीनस्थ ऋण) और संबंधित वित्त लागत

दिनांक 12 जुलाई 2012 के आदेश संख्या के-14011/37/2005/2005-एमआरटीएस-IV के तहत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते हुए यह निर्दिष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण लागत के 672,00 लाख रुपए को केरल सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। तत्पश्चात् केरल सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए दिनांक 31 मार्च 2017 तक अधीनस्थ ऋण के रूप में 306,25 लाख रुपए जारी की। शेष राशि के लिए, केरल सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार की ओर से केएमआरएल ऋण प्राप्त करेगा।

जी.ओ. (एमएस) सं.20/2015/ट्रांस दिनांकित 25.03.2015 के तहत केरल सरकार के निर्देशानुसार, केएमआरएल ने भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार की ओर से केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी) से 470,00 लाख रुपए सावधि ऋण के रूप में प्राप्त किए। ब्याज के भुगतान सहित उक्त सावधि ऋण की अदायगी केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर किया गया है। वित्तीय विवरणों में उक्त ऋण को उधार के रूप में दिखाया गया है।

संक्षेप में, ईडीसीबी से लिया गया ऋण परियोजना अनुमोदन आदेश के अनुसार केरल सरकार से प्राप्त अधीनस्थ ऋण के स्वरूप को दर्शाता है। तदनुसार 366,00 लाख रुपए की राशि को दिनांक 01.04.2016 से केरल सरकार से प्राप्य अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

केरल सरकार ने दिनांक 17/10/2014 के आदेश संख्या जी.ओ.(एमएस) सं.73/2014/ट्रांस के तहत 359,00 लाख रुपए के लिए पेट्टा से एस एन जंक्शन तक के मेट्रो लाइन के चरण I के विस्तारण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। 710,92 लाख रुपए की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जीओ.(एमएस) सं.36/2019/ट्रांस दिनांकित 15.7.2019 के तहत जारी किया है। भूमि अधिग्रहण के लिए जी.ओ.(एमएस) सं.63/2018/ट्रांस दिनांकित 23.10.2018 के तहत केरल सरकार द्वारा विशेष तहसीलदार एलए को सीधे 58,11 लाख रुपए की राशि जारी की गई।

अधीनस्थ ऋण के रूप में वर्णित 366,00 लाख और 58,11 लाख रुपए की राशि उचित मूल्य और सरकारी अनुदान पर मापा जाता है, लाभ होने के नाते, भारतीय लेखा मानक 109- वित्तीय साधन और उचित मूल्य के अनुरूप निर्धारित प्रारंभिक मूल्यों के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.6 राज्य करों की प्रतिपूर्ति

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2012 के आदेश सं. के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते हुए, यह सूचित किया कि राज्य करों की ओर 237,33.00 लाख रुपए को केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

तदनुसार, दिनांक 3 मई 2019 के जी.ओ. (एमएस) सं. 170/2019/वित्त. के तहत, कोच्ची मेट्रो परियोजना के

निष्पादन हेतु केएमआरएल/डीएमआरसी द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

दिनांक 31 मार्च 2020 तक, राज्य सरकार द्वारा केवीएटी और एसजीएसटी की ओर 225,92.52 लाख रुपए की राशि जारी किए गए। इसमें से 11,00.00 लाख रुपए की राशि वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए। वर्ष 2019-20 के दौरान, जीओ (आरटी) सं.241/2019/ट्रांस दिनांकित 03.6.2019, जीओ (आरटी) सं.340/2019/ट्रांस दिनांकित 22.11.2019 के तहत राज्य कर प्रतिपूर्ति के रूप में 214,92.52 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुए।

इसके अलावा, सरकारी आदेश जीओ (आरटी) सं.114/2020/ ट्रांस दिनांकित 18.3.2020 के तहत 11,41 लाख रुपए जारी किए गए, जिसका दिनांक 31.3.2020 तक केरल सरकार से प्राप्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।

30.7 काक्कनाड के भूमि का हस्तांतरण

केरल सरकार ने जी.ओ. (एमएस) संख्या 140/2019 /आरडी दिनांकित 22 मई 2019 के तहत लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कब्जे के भूमि को और उक्त भूमि पर संपत्ति विकास का कार्य करने हेतु केएमआरएल को मुफ्त में रजिस्ट्री पर नियत करने के लिए मंजूरी दे दी है। 17.430 एकड़ की भूमि मार्च 2020 में कंपनी को रजिस्ट्री पर सौंपा गया। भूमि पार्सल का मूल्य भारतीय लेखा मानक 20 के अनुसार गैर-मौद्रिक अनुदान के रूप में माना जाता है। अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित किया गया है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता दी जाएगी।

30.8 नकद हानि की ओर निधीकरण

केरल सरकार ने दिनांक 29 मार्च 2019 के जी.ओ (आरटी) सं. 128/2019/ट्रांस के तहत वित्तीय वर्ष 2017- 18 की कंपनी के नकद क्षति को वित्तपोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है। दिनांक 09.08.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निर्णय लिया गया और हल किया गया उक्त नकद हानि को वित्तपोषित करने के लिए केरल सरकार से प्राप्त 53,00.00 लाख रुपए की राशि को अधीनस्थ ऋण के रूप में मान्यता प्राप्त है। उक्त 53,00.00 लाख रुपए की राशि को दिनांक 20 अप्रैल 2019 को ट्रेजरी बचत बैंक (टीएसबी) के केएमआरएल का खाते में स्थानांतरित करके निधि जारी किया गया।

जीओ (आरटी) सं.531/2019/ट्रांस दिनांकित 22.11.2019 के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान होने वाली नकदी हानि को कम करने के लिए 59,87 लाख रुपए की राशि जारी किया गया। इसके अलावा, सरकारी आदेश जीओ (आरटी) सं.114/2020/ट्रांस दिनांकित 18.3.2020 के तहत 3,80 लाख रुपए की बकाया राशि जारी किया गया।

तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक नकद हानि की प्रतिपूर्ति के लिए केरल सरकार के अधीनस्थ ऋण के रूप में 116,67 लाख रुपये की राशि को मान्यता दी है।

30.9 वैट्टिला-पेट्टा सड़क चौडीकरण

केरल सरकार ने दिनांक 10/03/2015 के जी.ओ. (एमएस) संख्या 13/2015/ट्रांस के तहत कुन्नरा पार्क से पेट्टा तक के 1.5 की.मी. दूरी के वैट्टिला-पेट्टा रोड चौडीकरण के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। सरकार ने इन कार्यों की पूर्ति के लिए 22,35 लाख रुपए की राशि जारी किए। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान केएमआरएल द्वारा 2.55 लाख रुपए

खर्च किए गए (पिछले वर्ष के दौरान 330.00 लाख रुपए)। दिनांक 31.03.2020 तक इन प्रारंभिक कार्याओं के लिए हुई कुल लागत 19,41.86 रुपए हैं (31.03.2019 तक 19,35.67 लाख रुपए है)।

केरल सरकार ने दिनांक 30.04.2015 के जी.ओ.(एमएस) संख्या 24/2015/ट्रांस के तहत विटिला- पेट्टा सड़क के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जिसे पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था, से 104,00 लाख रुपए के सावधि ऋण का अनुमोदन दिया है। इसके अनुसार, कंपनी ने 9 मई, 2014 को आयोजित इसकी 19 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया है। समझौते के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ईडीसीबी ने केएमआरएल को 10.4,00 लाख रुपए की राशि जारी की।

दिनांक 31.03.2019 तक, कंपनी ने जिलाधीश को सड़क चौड़ीकरण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की तरफ से 102,53 लाख रुपए स्थानांतरित किए। भूमि अधिग्रहण के लिए 1,52.17 लाख रुपए डिफेंस इस्टेट को भुगतान किया गया।

30.10 इडप्पल्ली फ्लाईओवर

केरल सरकार ने दिनांक 13/05/2013 के आदेश संख्या जी.ओ.(आरटी) सं.714/2013/पीडबल्यूडी के तहत108,77 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर इडपल्ली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य डीएमआरसी के माध्यम से निष्पादित करने के लिए केएमआरएल को सौंपा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इस कार्य के लिए रोड फंड बोर्ड (केआरएफ़बी) द्वारा केएमआरएल को 25,00 लाख रुपए जारी किए गए और वर्ष 2018-19 के दौरान 8,92.42 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इडपल्ली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त निधि में से, 717.83 लाख रुपए की राशि को कंपनी द्वारा अन्य निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोगित किया गया। निष्पादन की शर्तों का बयान करने वाला समझौता ज्ञापन दिनांक 23 मई 2016 को निष्पादित किया गया।

केएमआरएल द्वारा हस्तांतरित निधि में से फ्लाईओवर निर्माण के लिए डीएमआरसी द्वारा पारिश्रमिक सहित कुल व्यय 31,91.21 लाख रुपए हैं (पिछले वर्ष तक 33, 08.66 लाख)।

दिनांक 31 मार्च 2020 तक केएमआरएल ने 3,59.90 लाख रुपए (गत वर्ष मार्च 31, 2019 तक 4,04.71 लाख रुपए) जिसमें प्रशासनिक शुल्क का दावा भी शामिल है।

इडपल्ली फ्लाईओवर का कुल व्यय 35,45.11 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 31 मार्च, 2019 तक 37,13.37 लाख रुपए) और बकाया निधि केरल रोड फंड बोर्ड द्वारा जारी की जानी है।

30.11 शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) और केरल सरकार (जीओके) से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफ़ए)

कंपनी को शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) से केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में शहरी परिवहन योजना के तहत निधि प्राप्त हुआ है। जबकि सभी प्रकार के यातायात और परिवहन अध्ययन आदि के लिए कुल व्यय का 80% एमओयूडी द्वारा और 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

31 मार्च 2020 तक कुल व्यय में से 2,26.73 लाख रुपए, एमओयूडी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 तक 1,81.38 लाख रुपए जारी किया गया। वित्तीय सहायता के उनके हिस्से के रूप में केरल सरकार से 45.35 लाख रुपए प्राप्य हैं।

30.12 बैंकों से उधार

क) कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I के लिए

i) केनरा बैंक से उधार

कंपनी ने केनरा बैंक के साथ 11,70,00 लाख रुपए की राशि के लिए सावधि ऋण समझौता किया है। केएमआरएल द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 के बाद से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के अधिस्थगन को मंजूरी दी गई। तदनुसार, सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज को पूंजीकृत किया गया और सावधि ऋण की अवधि कोविड-19 सहायता के तहत 2023-2024 की दूसरी तिमाही से 2023-24 की चौथी तिमाही तक बढ़ा दी गई है। 2036-37 की तीसरी तिमाही पर समाप्त होने की तरह बावन त्रैमासिक किश्तों में ऋण चुकाना होगा। लागू ब्याज दर एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर धन की सीमांत लागत) 0.95% वार्षिक रीसेट जोड़ के साथ है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ पारिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित है। वर्ष के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण के मुकाबले 52,99.06 लाख रुपए (पिछले वर्ष का 353,43.10 लाख रुपए) निकाला है।

ii) कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I के लिए केनरा बैंक से अतिरिक्त उधार।

कंपनी ने कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I की लागत वृद्धि को पूरा करने के लिए दिनांक 18.7.2019 को केनरा बैंक के साथ 1,79,00 लाख रुपए की सावधि ऋण पर समझौता किया है। केरल सरकार ने जीओ (आरटी) संख्या 323/2019/ट्रांस दिनांकित 18.7.2019 के तहत इस ऋण के मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिए प्रत्याभूति जारी की है। केएमआरएल द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, मार्च 2020 से छह महीने की अवधि के लिए ब्याज सर्विसिंग के लिए अधिस्थगन को मंजूरी दी गई है। तदनुसार, सावधि ऋण पर अर्जित ब्याज को पूंजीकृत किया गया और आरबीआई द्वारा उधारकर्ताओं को दी गई कोविड-19 सहायता के तहत सावधि ऋण की अवधि वर्ष 2023-2024 की दूसरी तिमाही से वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही तक बढ़ा दी गई है। ऋण को वर्ष 2036-37 की तीसरी तिमाही में समाप्त होकर बावन त्रैमासिक किश्तों में चुकाया जाएगा। लागू ब्याज दर एक साल की एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर धन की सीमांत लागत) 0.95% वार्षिक रीसेट जोड़ के साथ है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ पारिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित है और राज्य सरकार ब्याज और मूलधन के भुगतान की गारंटी देती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण के मुकाबले रु 166,34 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की राशि निकाली है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने ब्याज के रूप में 122,08.83 लाख रुपए (गत वर्ष 87,07.49 लाख रुपए) और दिनांक 31 मार्च 2020 तक संचयी रूप से कुल 318,66.24 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 196,57.41 लाख रुपए) का भुगतान किया गया।

ख) कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण Iए और Iबी के लिए

कंपनी ने प्रारंभ में कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I विस्तार के लिए, ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए राज्य सरकार गारंटी के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 730 करोड़ रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता

किया। लागू ब्याज दर प्रति वर्ष 8.85% थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण के मुकाबले 30,00 लाख रुपए (पिछले वर्ष के शून्य) की राशि निकाली है।

तत्पश्चात, केनरा बैंक ने चरण Iए और Iबी परियोजना के वित्तपोषण के लिए भी 730.67 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की। तदनुसार, दिनांक 05.03.2020 को आयोजित पहली संघ बैठक में चरण Iए और Iबी परियोजना को निधि देने के लिए केनरा बैंक एक लीड बैंकर है, केनरा बैंक द्वारा 430,00 लाख रुपए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 300,67 लाख रुपए के अनुपात में साझा किए जाने वाले 7,30,67 लाख रुपए के सावधि ऋण के साथ केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक संघ बनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, अंतिम कंसोर्टियम ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने तक कंसोर्टियम व्यवस्था के समान शर्तों पर केनरा बैंक के साथ दिनांक 07.3.2020 को सावधि ऋण समझौता दर्ज किया गया। 8.85% की लागू ब्याज दर के साथ दिनांक 25.05.2020 को कंसोर्टियम ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान कंपनी ने सावधि ऋण के रूप में 49,75 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) निकाले गए और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए ऋण का निपटान हेतु 30,00 लाख रुपए का उपयोग किया गया।

ग) केनरा बैंक से निधि आधारित और गैर-निधि आधारित कार्यशील पूँजी सुविधाएँ

सुरक्षित ओवरड्राफ्ट लिमिटेड: कंपनी ने दिनांक 17.07.2019 को सिंडिकेट बैंक के साथ, 30,00 लाख रुपए की राशि के लिए एक निधि आधारित कार्यशील पूंजी की सुविधा दाखिल किया है। एक साल की लागू ब्याज दर एमसीएलआर (सीमान्त लागत उधार दरों के आधार पर) के साथ 3.50% है। केनरा बैंक, मौजूदा ऋणदाता, ने सिंडीकेट बैंक के साथ 30,00 लाख रुपए की कार्यशील पूँजी की सुविधा लेने की पेशकश की और 90,00 लाख रुपए की राशि के लिए कुल कार्यशील पूंजी की सुविधा की पेशकश की। तदनुसार, कंपनी ने दिनांक 30.9.2020 को 90,00 लाख रुपए की राशि के लिए कैनरा बैंक के साथ एक निधि आधारित और गैर निधि आधारित बीजी की सीमा 5 करोड़ रु. के कार्यशील पूंजी सुविधा में प्रवेश किया। एक साल की लागू ब्याज की दर 1.40% के वार्षिक स्थिरता के साथ एमसीएलआर (उधार दरों के आधार पर धन की सीमांत लागत) है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ पारिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित है। वर्तमान लागू ब्याज दर प्रति वर्ष 9.80% है। सिंडिकेट बैंक से 90,00 लाख रुपए का कार्यशील पूंजी ऋण केनरा बैंक द्वारा अधिग्रहण किया गया और यह सुविधा दिनांक 19.12.2019 को बंद कर दी गई।

प्रारंभ में सिंडिकेट बैंक से कार्यशील पूंजी सुविधाओं का लाभ उठाया और बाद में केनरा बैंक ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, पर कंपनी ने वर्ष के दौरान 318.15 लाख रुपए की कुल राशि (पिछले वर्ष शून्य) के लिए ब्याज का भुगतान किया।

30.13 केरल राज्य सहकारी बैंक (पूर्व में एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक (ईडीसीबी) के नाम से जाना जाता था) से उधार

दिनांक 12 जुलाई 2012 के आदेश संख्या के-14011/37/2005-एमआरटीएस-IV के तहत कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी देते हुए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने यह सूचित किया था कि भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए 672,00 लाख रुपए की राशि को केरल सरकार द्वारा ब्याज मुक्त उप ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसके अनुपालन में, 31 मार्च 2017 तक केरल सरकार द्वारा 306,25 लाख रुपए निर्मुक्त किया गया। शेष राशि के लिए,

केरल सरकार ने निर्णय लिया कि केरल सरकार की ओर से 366,00 लाख रुपए केएमआरएल ऋण प्राप्त करेंगे, उप ऋण योगदान की शेष राशि को केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाना है।

केरल सरकार ने दिनांक 25.03.2015 के जी.ओ.(एमएस) सं..20/2015/ट्रांस, के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए एरणाकुलम जिला सहकारी बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी) से 366,00 लाख रुपए की सावधि ऋण प्राप्त करने हेतु मंजूरी दे दी है। तदनुसार, कंपनी ने अपनी 19 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण समझौता किया। ऋण की कुल अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष होगी और वार्षिकी के आधार पर दस वर्षों में पुनर्भुगतान, सभी परिसंपत्तियों पर पारिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम है, जो प्रति वर्ष तिमाही आधार पर होगी, यानी प्रति वर्ष 9.95% (फ्लोटिंग)। ब्याज दर हर तीन साल में पुनर्गठित हो जाएगी। ब्याज के साथ के ऋण की अदायगी केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर की गई है। केरल सरकार के निर्देशानुसार कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान 366,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशि निकाल लिए।

इसके अलावा, केरल सरकार ने दिनांक 30.04.2015 के जी.ओ.(एमएस) सं.24/2015/ट्रांस के तहत वैट्टिला-पेट्टा सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 104,00 लाख रुपए की ऋण केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (ईडीसीबी) से लेने के लिए मंजूरी दे दी। तदनुसार, कंपनी ने 20 जनवरी 2016 को हुई अपनी 19 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित के अनुसार ईडीसीबी के साथ सावधि ऋण पर समझौता किया। ऋण की कुल अवधि दो वर्ष की अधिस्थगन के साथ 12 वर्ष होगी और वार्षिकी के आधार पर दस वर्षों में पुनर्भुगतान,सभी परिसंपत्तियों पर पारिपासु प्रभार द्वारा सुरक्षित होगी। ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 0.05% कम है, जो तिमाही आधार पर है। ब्याज दर हर तीन साल में पुनर्गठित हो जाएगी। ब्याज के साथ ऋण की अदायगी का दायित्व केरल सरकार द्वारा बैक-टू-बैक आधार पर किया गया है। कंपनी ने केरल सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 के दौरान 104,00 लाख रुपए की पूरी ऋण राशी को निकाल लिया।

केरल राज्य सहकारी बैंक ने कोविड-19 सहायता के तहत दिनांक 31.3.2020 को किस्त के भुगतान के लिए अधिस्थगन प्रदान की है। तीसरी किश्त का भुगतान अप्रैल 2020 में किया गया।'

30.14 हडको' से उधार

कंपनी ने हडको के साथ भूमि अधिग्रहण और कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के चरण I, चरण Iए, चरण Iबी और चरण II के लिए दिनांक 19.3.2020 पर 589,82.00 लाख रुपए की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया है। मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन फरवरी 2022 है। ऋण को त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण से संबंधित ऋण राशि पर लागू ब्याज दर 9.75% है और प्रारम्भिक कार्यों से संबंधित ऋण राशि पर 9.25%। ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए ऋण सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित किया है। केरल सरकार ने जीओ (आरटी) सं.112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.3.2020 के तहत ऋण की गारंटी भुगतान जारी किया। वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने 1,30,00 लाख रुपए की राशि निकाली है।

दिनांक 31.3.2020 को 3.44 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) उपार्जित ब्याज है लेकिन देय नहीं है।

30.15 भारत सरकार से प्राप्त सहायता

भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए), एक फ्रांसीसी सार्वजनिक वित्त पोषण एजेंसी और

भारत सरकार (जीओआई) के उधारकर्ता के रूप में एजेंस फ्रांसेस ड़ी डेव्लपमेंट (एएफ़डी) के बीच जमा सुविधा समझौते पर आधारित है। ऋण को भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी द्वारा सुरक्षित किया है। लागू ब्याज दर ६ मासिक यूरिबोर सहित १५५ आधार बिंदु का मार्जिन है। ब्याज प्रत्येक भुगतान तिथि पर देय है, यानि प्रत्येक वर्ष १५ मार्च और १५ सितंबर को। पांच वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद मूल राशि का पुनर्भुगतान चालीस बराबर छमाही किश्तों में होगा और पहली किस्त १५ सितंबर २०१९ को देय है और अंतिम किस्त १५ मार्च २०३९ को देय होगी।

दिनांक 31 मार्च 2020 तक एएफ़डी द्वारा 180 मिलियन यूरो की संपूर्ण ऋण आय भारत सरकार को जारी कर दी गई है। इस ऋण को भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार, केएमआरएल को निधि को कई चरणों में वितरित किया गया। भारत सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2020 तक 1327,10.77 लाख रुपए जारी किया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने नियत तारीखों पर यूरो 9 मिलियन चुकाया है। भारत सरकार द्वारा चुकाए गए ऋण की सीमा तक, पीटीए के प्रति कंपनी की देयता 66,35.54 लाख रुपए तक कम हो गई और दिनांक 31.3.2020 को भारत सरकार को देय के रूप में दिखाया गया है।

30.16 भारतीय लेखा मानक -19 के संबंध में प्रकटीकरण, "कर्मचारी लाभ"

निधि एवं पेंशन निधि : कंपनी के पात्र कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों, कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर मासिक योगदान करते हैं।योगदान का भुगतान क्षेत्रीय भविष्य निधि खाते में किया जाता है।

कंपनी की पेंशन योजना भविष्य निधि योजना से जुड़ी है। कंपनी के उन कर्मचारियों को छोड़कर जो १ सितंबर २०१४ के बाद भविष्य निधि (पीएफ़) सदस्य बन गए और जिनका वेतन प्रति माह १५,०००/- रुपए से अधिक है, भविष्य निधि योजनाओं के तहत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारी ईपीएस योजना के तहत कवर किए जाने के लिए योग्य नहीं है। उक्त लाभ केवल तभी बढ़ाया जा सकता है, यदि कर्मचारी, केएमआरएल में शामिल , पीएफ का मौजूदा सदस्य हो। उपरोक्त पेंशन योजना के तहत, कर्मचारियों से कोई योगदान एकत्र नहीं किया जाता है और नियोक्ता के योगदान से पूरी तरह से भुगतान किया जाता है।

उपदान : उपदान भुगतान अधिनियम , 1972 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की हो, को उयदान देय होती है। भारतीय लेखा मानक 19 के रूप में आवश्यक के रूप में अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके प्रत्येक तुलन पत्र के तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा उपादान योजना के संबंध में देयता निर्धारित की जाती है।

अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी : कंपनी ने मानव संसाधन नीति के अनुसार कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ और अर्ध वेतन छुट्टी प्रदान करती है। इस खाते पर देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) : कंपनी कर्मचारियों को अनुमोदित नीति के अनुसार उनके गृहनगर के साथ-साथ भारत में कोई भी स्थान पर जाने के लिए वास्तविक यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस खाते पर देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

बीमा: कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान अपने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी भी ली है।.

30.17 वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि और बैलेंस शीट के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति

दिनांक 31 मार्च 2020 को वास्तविक रिपोर्ट के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं यानि उपादान, अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत (अनिधिक योजना) के लिए प्रकटीकरण

Amount(Rs.in lakhs

	उपदान पात्रता (अनिधिक)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (अनिधिक)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (अनिदिक)		छुट्टी यात्रा रियायत (अनिधिक)	
विवरण	**31/03/2020 को**	**31/03/2019 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2019 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2019 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2019 को**
वर्षारंभ में लाभकारी दायित्व beginning of year	304.87	165.52	407.28	232.20	129.54	76.80	64.43	64.45
चालू सेवा लागत	121.38	94.33	173.16	137.44	51.20	40.13	24.85	23.81
ब्याज लागत	21.20	12.55	27.32	16.60	9.07	5.91	4.67	5.00
भुगतान किए गए लाभ/निकाले गए प्रावधान	-3.99	-5.12	-33.98	-33.07	0.00	0.00	-8.50	-8.57
विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण वास्तविक (लाभ)/हानि	40.24	5.42	44.60	2.02	14.20	0.65	0.50	1.26
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि - अनुभव समायोजन के कारण	-14.59	32.17	28.08	52.09	1.24	6.05	-38.70	-21.52
वर्ष के अंत में दायित्वों का लाभ	**469.11**	**304.87**	**646.46**	**407.28**	**205.25**	**129.54**	**47.25**	**64.43**

कर्मचारी लाभ व्यय के तहत दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि, निम्नानुसार हैं:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	उपदान पात्रता (अनिधिक)		अर्जित छुट्टी नकदीकरण (अनिधिक)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (अनिधिक)		छुट्टी यात्रा रियायत (अनिधिक)	
	31/03/2020 को	**31/03/2019 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2019 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2019 को**	**31/03/2020 को**	**31/03/2019 को**
चालू सेवा लागत	121.38	94.33	173.15	137.44	51.20	40.13	24.85	23.81
ब्याज लागत	21.20	12.55	27.32	16.60	9.06	5.91	4.67	5.00
विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रतिपूर्ति सेवा लागत	0.00	(3.88)	0.00	(7.20)	0.00	(3.88)	0.00	0.00
ब्याज आय	(0.72)		(0.43)		(.22)			
पुनः माप			73.11	54.11	15.67	6.70	(38.20)	(20.26)
कुल	**141.86**	**103.00**	**273.15**	**200.95**	**75.71**	**48.86**	**(8.68)**	**8.55**
कम करें: सीडबल्यूआईपी को हस्तांतरित वास्तविक (लाभ)/हानि	25.54	20.80	49.17	40.59	13.63	9.87	(1.56)	1.73
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**116.32**	**82.20**	**223.98**	**160.36**	**62.08**	**38.99**	**(7.12)**	**6.82**

राशि (रुपए लाखों में)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि, निम्नानुसार हैं:

विवरण	उपदान पात्रता (अनिधिक)	
	31/03/2020 को	31/03/2019 को
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) की पुनः माप		
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से वास्तविक (लाभ)/नुकसान	40.96	5.42
अनुभव समायोजन के कारण - वास्तविक (लाभ)/हानि	-14.59	32.17
ओसीआई में कुल पुनः माप	26.38	37.59
कम करें: सीडबल्यूआईपी को हस्तांतरित वास्तविक (लाभ)/हानि	4.74	7.60
ओसीआई के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	21.64	29.99

मार्च 31, 2020, मार्च 31, 2019 को उपदान, अर्जित छुट्टी नकदीकरण, अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी यात्रा रियायत लाभ निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं निम्नानुसार है:

विवरण	31/03/2020 को	31/03/2019 को
छूट की दर	7%	7.70% (एलटीसी के लिए 7.25%)
वेतन वृद्धि दर - प्रथम 5 वर्ष	6.00%	6.00%

राशि (रुपए लाखों में)

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त कुल परिसंपत्ति/देयता								
विवरण	उपदान पात्रता (अनिधिक)		छुट्टी नकदीकरण (अनिधिक)		अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण (अनधिक)		एलटीसी (अनधिक)	
	31/03/2020 को	31/03/2019 को	31/03/2020 को	31/03/2019 को	31/03/2020 को	31/03/2019 को	31/03/2020 को	31/03/2019 को
दायित्व का वर्तमान मूल्य	469.11	304.87	646.46	407.28	205.25	129.54	47.25	64.43
योजना परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतर	469.11	304.87	646.46	407.28	205.25	129.54	47.25	64.43
गैर मान्यता प्राप्त परिवर्तन-कालीन देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत - गैर निहित लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त देयता	**469.11**	**304.87**	**646.46**	**407.28**	**205.25**	**129.54**	**47.25**	**64.43**

30.18 भारतीय लेखामानक - 12 के संबंध में प्रकटीकरण, "आयकर"

दिनांक 31.03.2020 को अघोषित मूल्यह्रास और संचित हानि के अस्तित्व के कारण कंपनी के पास 372,56.05 लाख रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति है। 31.03.2020 को आस्थगित कर देयता 230,78.51 लाख रुपए (पिछले वर्ष 132,45.37 लाख रुपए) हैं।

दिनांक ३१.०३.२०२० को कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति १४१,७७.५४ लाख रुपए (पिछले वर्ष ८३,९१.६९ लाख रुपए) हैं, और एक सावधानी के मद के रूप में, आस्थगित कर परिसंपत्ति को खाता बही में मान्यता प्राप्त नहीं है।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के संबंध में ०१.०७.२०२० तक आयकर विभाग, भारत सरकार के सीबीडीटी पोर्टल में प्रदर्शित होने के रूप में २६ लेखा मानक के आधार पर स्रोत पर कर कटौती वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

30.19 एमएनआरई से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफ़ए)

"राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि" के तहत 4.0 मेगावाट की कुल क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 480 लाख रुपए की राशि (32,00 लाख रुपए की अनुमानित परियोजना लागत का 15%) का अनुमोदन किया गया।

केएमआरएल ने 2.67 मे.वा. क्षमता स्थापित की है और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सीएफ़ए की पहली

किस्त के रूप में 1,44.00 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान15,5.47 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि को "अन्य वित्तीय देयताओं" के तहत समूहीकृत किया गया है।

डीएमआरसी द्वारा सोलार पीवी बिजली संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन के लिए मेसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) को सौंपा गया है। संविदा आरईएससीओ (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल पर आधारित है, जहाँ परियोजना की लागत विकासक द्वारा वहन की जाती है और केएमआरएल ने 25 वर्षों के लिए पीपीए (विद्युत खरीद करार) पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमएनआरई से प्राप्त वित्तीय सहायता परियोजना लागत की लेखा परीक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विकासक को वितरित की जाएगी। वर्ष के दौरान, मेसर्स हीरो सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उनके सब्सिडी राशि के हिस्से के रूप में कोई राशि (पिछले वर्ष 2,13.65 लाख रुपए) जारी नहीं की है ।

30.20 प्रारंभिक कार्य

डीएमआरसी ने दिनांक 19-3-2010 के केरल सरकार (जीओके) के आदेश जी.ओ.(एमएस) सं. 34/2010/ट्रान और दिनांक 07-12-2013 के जी.ओ (एमएस) सं.110/2013/ट्रांस के तहत 242,47 लाख रुपए के एक अनुमानित लागत के साथ प्रारंभिक कार्य चालू किया है। इन परिसंपत्तियों का स्वामित्व केरल सरकार (जीओके) पर निहित है। कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) के गठन के बाद, इन कार्यों के लिए निधि केएमआरएल के माध्यम से होता है और अतः इस खाते का पूरा खर्च केरल सरकार से प्राप्त निधियों के साथ निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त सरकारी आदेश सं.110/2013 दिनांकित 07-12-2013 में उल्लिखित प्रारंभिक कार्यों का विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	प्रारंभिक कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (करोड़ रुपए में)
1	एरणाकुलम टाउन स्टेशन के पास रेलवे ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण	83.37
2.	केएसआरटीसी बस स्टैंड के पास नए रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण और सलीम राजन रोड और मुल्लश्शेरी कनाल रोड का चौड़ीकरण/सुधार	49.00
3	जोस जंक्शन से एरणाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन तक स्टेशन पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण	41.37
4	माधव फार्मेसी से तेवरा तक एम जी रोड में सुधार	32.36
5	एरणाकुलम टाउन आरओबी से माधव फार्मेसी तक बनर्जी रोड का चौड़ीकरण	36.37
	TOTAL	**242.47**

31.03.2020 तक, केरल सरकार ने प्रारंभिक और अन्य विविध कार्यों के लिए 220,45.27 लाख रुपए (31.03.2019 तक 218,67.19 लाख रुपए) की राशि जारी की। दिनांक 31.03.2019 तक डीएमआरसी को हस्तांतरित निधि सहित इन प्रारंभिक कार्यों का कुल व्यय 204,66.59 लाख रुपए (31.03.2019 तक 202,41.52 लाख रुपए) है।

30.21 पच्चालम रेल ओवर ब्रिज (आरओबी)

केरल सरकार के दिनांक 05/03/2014 के आदेश संख्या जी.ओ (एमएस) सं. 23/2014/ट्रांस और दिनांक 24/07/2014 के जी.ओ (एमएस) सं.56/2014/ट्रांस के तहत 52,59 लाख रुपए के अनुमोदित लागत के साथ अलुवा से पेट्टा तक के सिविल निर्माण के कारण यातायात ब्लॉक को कम करने के लिए पच्चालम आरओबी के निर्माण का काम डीएमआरसी के माध्यम से केएमआरएल को सौंपा गया।

केरल सरकार ने संपूर्ण धनराशि केएमआरएल को जारी कर दी है। 31 मार्च 2020 तक प्राप्त धनराशि में से 8,81.00 लाख रुपए भूमि अधिग्रहण की लागत के रूप में जिलाधीश को और अन्य परियोजना निधि के लिए 15,90.68 लाख रुपए डीएमआरसी को का भुगतान किया गया।

डीएमआरसी ने 31 मार्च 2020 तक रेल ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए पारिश्रमिक सहित 20,02.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष तक 20,02.48 लाख रुपए) की राशि खर्च की।

30.22 एकीकृत जल परिवहन प्रणाली

केरल सरकार (जीओके) ने दिनांक 19/11/2015 के जी.ओ (एमएस) सं. 73/2015/ट्रांस के तहत 682,01 लाख रुपए के अनुमानित लागत के साथ कोच्ची में एकीकृत जल परिवहन प्रणाली के अवधारणा हेतु मंजूरी प्रदान की है। जर्मन निधीकरण अभिकरण "क्रेडिटन्स्तल्ट फर विएडेरौफ़्बौ" (केएफ़डबल्यू) द्वारा इंडो-जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत "जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता" पहल के तहत वित्त पोषण किया जा रहा है और केरल सरकार ने भी 102,30 लाख रुपए के साथ इस परियोजना की लागत हेतु निधीकरण कर रहा है। वर्ष 2016-17 के दौरान, केएमआरएल ने केरल राज्य और केएफ़डबल्यू के साथ एक परियोजना समझौता किया है। केएमआरएल ने 85 दशलक्ष यूरो की राशि के ऋण का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार और केएफ़डबल्यू के बीच के ऋण समझौते के अनुसार एक अलग समझौता भी किया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, जीओके ने कोई राशि जारी नहीं की (पिछले वर्ष -10,00 लाख रुपए)और केएफ़डबल्यू द्वारा 57,03.88 लाख रुपए (पिछले वर्ष 5,64.49 लाख रुपए) की राशि जारी किए गए। दिनांक 31.3.2020 तक मुक्त संचयी निधि 87,37.10 लाख रुपए (जीओके - 20,00 लाख रुपए और केएफ़डबल्यू– 67,37.10 लाख रुपए) है।

परियोजना के कानूनन मालिक होने के नाते परियोजना के सभी वित्तीय और परिचालन जोखिम केरल सरकार में निहित होंगे और केएमआरएल केरल सरकार की ओर से एक निष्पादन और संचालन अभिकरण होगी। इस खाते पर ३१.०३.२०२० तक ४९,७२.७९ लाख रुपए (पिछले वर्ष तक २७,२४.५० लाख रुपए) का व्यय किया गया। दिनांक ३१.३.२०२० को ठेकेदारों को ५१,७०.६७ लाख रुपए अग्रिम का भुगतान किया गया।

30.23 चंबक्करा पुल (चार लेन) का निर्माण

केरल सरकार ने दिनांक 09/11/2016 के जी.ओ (एमएस) सं. 68/2016/ट्रांस के तहत कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रारंभिक कार्यों के रूप में चार लेन के चंबक्करा पुल के निर्माण के लिए 33,66.44 लाख रुपए की राशि की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। सरकार ने 31.03.2020 तक केएमआरएल के ट्रेशरी बचत बैंक (टीएसबी) खाते में 27,00 लाख रुपए की राशि जारी की है। कार्य निष्पादन डीएमआरसी के माध्यम से किया जा रहा है।

जी.ओ.(एमएस) सं.. 64/2018/ट्रांस दिनांकित 11/11/2018 के तहत केरल सरकार ने चंबकारा पुल के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। केरल सरकार ने जी.ओ.(आरटी) सं.112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के तहत इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए 'हडको' से ऋण प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी।

तदनुसार, दिनांक 31.3.2020 तक भूमि अधिग्रहण की लागत और उक्त कार्यों के लिए 32,43.05 लाख रुपए (डीएमआरसी के पारिश्रमिक सहित) की राशि (31.09.2019 को समाप्त पिछले वर्ष तक 16,75.90 लाख रुपए) खर्च किए गए।

30.24 केएमआरएल में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) पहल

केरल सरकार ने दिनांक 19/04/2017 के जी.ओ. सं. 34/2017/ट्रांस के तहत केएमआरएल के गैर-मोटर चालित परिवहन पहलों के लिए 161,00 लाख रुपए की राशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना को फ्रांसीसी विकास एजेंसी- "एग्नेसफ्रेन्से डे डेवलपमेंट (एएफडी)" द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। जी.ओ (एमएस) सं..36/2019/ट्रांस दिनांकित 15.07.2019 के तहत पीटीए के रूप में केरल सरकार द्वारा 202,54.00 लाख रुपए और केरल सरकार के हिस्से के रूप में 36,46.00 लाख रुपए की निधीकरण के साथ संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। एनएमटी योजना में स्टेशन उन्मुख विकास, प्रमुख जंक्शन सुधार और पैदल चलने की परियोजना बनाने वाले शहरी स्थान आदि शामिल हैं।

तदनुसार, दिनांक 27.12.2019 को कोच्ची मेट्रो रेल के एनएमटी पहलों के वित्तपोषण के लिए 27 मिलियन यूरो के लिए भारत सरकार और एएफ़डी के बीच क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। निधि, भारत के राज्यों को विकास सहायता के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा केएमआरएल को आईएनआर में उपलब्ध कराई जाएगी। दिनांक 05.02.2020 को केएमआरएल (अंतिम लाभार्थी) और एएफ़डी के बीच परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

देय ब्याज का प्रत्येक भुगतान तिथि यानि प्रत्येक वर्ष के 31 मई और 30 नवंबर है। मूल राशि का पुनर्भुगतान बीस बराबर छमाही किश्तों में होगा और पहली किस्त 31 मई, 2025 को देय है और केरल सरकार द्वाराअंतिम किस्त 30 नवंबर 2034 को देय होगी।

पात्र खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रथम आहरण अनुरोध, केएमआरएल द्वारा दिनांक 26 मई 2020 को 24,46.67 लाख रुपये की राशि के लिए भेजा गया और आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से केरल सरकार को धनराशि जारी की गई और केरल सरकार द्वारा केएमआरएल को प्रतिपूर्ति के लिए लंबित है।

30.25 इडप्पल्ली -हाई कोर्ट रोड का सुधार कार्य

केरल सरकार ने दिनांक 26/08/2016 के जी.ओ (एमएस) सं. 56/2016/ट्रांस के तहत कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड की प्रारंभिक कार्यों के रूप में, इडप्पल्ली से जेएलएन स्टेडियम/कलूर तक के इडप्पल्ली -हाई कोर्ट रोड के सुधार और जल निकासी व्यवस्था के उन्नयन हेतु 39,41.40 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है।सरकार ने इन कार्यों को पूरा करने के लिए अब तक 34,00 लाख रुपए की राशि जारी की है। केएमआरएल द्वारा दिनांक 31.3.2020 (मार्च 31,2019 को 17,00.57 लाख रुपए) तक 15,60.85 लाख रुपये की राशि व्यय की।

30.26 पेट्टा से एस एन जंक्शन, त्रिप्पूनित्तुरा तक कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार हेतु प्रारंभिक कार्य

केरल सरकार ने, दिनांक 31/03/2016 जी.ओ (एमएस) सं. 31/2016 /ट्रांस के तहत 123,00 लाख रुपए के कुल लागत पर कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के पेट्टा से एसएन जंक्शन, त्रिपुनित्तुरा तक के विस्तारण के प्रारंभिक कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है। वर्ष के दौरान दिनांक 23.11.2018 के जी ओ (आरटी) सं.518/2018/ट्रांस के तहत सरकार ने 50,00 लाख रुपए केएमआरएल के ट्रेजरी बचत बैंक (टीएसबी) खाते में जारी की है।

भूमि अधिग्रहण के लागत के रूप में विशेष तहसीलदार एलए को केरल सरकार और केएमआरएल ने क्रमशः 11,20 लाख और 40,00 लाख रुपए की राशि जारी की है।

दिनांक 31.3.2020 तक भूमि अधिग्रहण और किए गए कार्यों के लिए संचयी व्यय 59,15.76 लाख रुपए (पिछले वर्ष 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने तक, 51,21.91 लाख रुपए) हैं।

30.27 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क से होकर काक्कनाड तक नई मेट्रो लाइन की तैयारी

केरल सरकार ने दिनांक 08/02/2016 के जीओ (एमएस) सं. 13/2016 /ट्रांस के तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फोपार्क के होते हुए काक्कनाड तक कुल 1,89,00 लाख रुपए की लागत पर नई मेट्रो लाइन के प्रारंभिक कार्यों के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है । सरकार ने वर्ष के दौरान दिनांक 23.11.2018 के जी.ओ. (आरटी) सं.518/2018/ट्रांस के तहत 20,00 लाख रुपए की राशि जारी की है।

केरल सरकार ने जी.ओ. (आरटी) सं.. 112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के तह , भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु मंजूरी प्रदान की है।

दिनांक ३१.३.२०२० तक संचयी व्यय ९७,२२.०० लाख रुपए (पिछले वर्ष ३१ मार्च, २०१९ को समाप्त तक- ५०.०० लाख रुपए) हैं।

30.28 नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क से होकर काक्कनाड तक के नए मेट्रो लेन के प्रारंभिक कार्यों के रूप में सीपोर्ट एयरपोर्ट रोड का चौडीकरण

केरल सरकार ने जी.ओ (एमएस) सं. 73/2018/ट्रांस दिनांकित 17/12/2018 के तहत नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क से होकर काक्कनाड तक 74,07.00 लाख रुपए के कुल लागत पर चरण II की तैयारी के रूप में सीपोर्ट एयरपोर्ट के चौड़ीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

केरल सरकार ने जीओ (आरटी) सं. 112/2020/ट्रांस दिनांकित 17.03.2020 के तहत, निर्माण और भूमि अधिग्रहण की लागत को पूरा करने के लिए 'हडको' से ऋण प्राप्त करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। तदनुसार, 'हडको' से ऋण के रूप में 4,01.00 लाख रुपए ले लिए और इस राशि को भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष तहसीलदार को हस्तांतरित किया।

31.3.2020 तक भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि और ठेकेदार को अग्रिम भुगतान और संचयी व्यय 7,81.23 लाख रुपए (पिछले वर्ष 31 मार्च, 2019 तक - शून्य) है।

30.29 भारतीय लेखा मानक-२३ की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण, "उधार लागत"

वर्ष के दौरान, 94,52.39 लाख रुपए (पिछले वर्ष 5,55.99 लाख रुपए) ऋण लागत पर पूंजीकृत किया गया और 135,96.33 लाख रुपए की राशि (पिछले वर्ष 57,66.13 लाख रुपए) को "उधार लेने की लागत" पर लेखांकन नीति के अनुरूप राजस्व पर लगाया गया।

30.30 भारतीय लेखा मानक -३३ के अनुसार, "प्रति शेयर उपार्जन" का प्रकटीकरण

विवरण	2019-20	2018-19
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि) (रुपए लाखों में)	(310,01.83)	(285,18.42)
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
- मूल	15,07,46,000	15,07,46,000
- मिश्रित	15,07,46,000	15,07,46,000
प्रति शेयर मूल कमाई (100/- रुपए के प्रति शेयर अंकित मूल्य) (रु.)	(20.57)	(18.92)
प्रति शेयर गैर-मिश्रित आय (100/- रुपए के प्रति शेयर अंकित मूल्य) (रु.)	(20.57)	(18.92)

30.31 भारतीय लेखा मानक-१ के संबंध में "वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानक" लेखाकरण नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तनों का प्रकटीकरण

क. पूँजी प्रबंधन

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च २०२० को	31 मार्च २०१९ को
(क)) कुल ऋण	35,40,88.13	30,00,33.49
(ख) कुल पूँजी	23,25,60.37	24,26,48.22
(ग) ऋण/इक्विटी अनुपात (क/ख)	1.52	1.23

कंपनी के पूँजी प्रबंधन की गणना के उद्देश्य से, पूँजी में जारी पूँजी और अन्य इक्विटी शामिल हैं।

ऋण में दीर्घकालिक ऋण और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।

ख. पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनः कथन के कारण

डीएमआरसी के ठेकेदारों के दावों के अंतिम निपटान के कारण, डीएमआरसी से पिछले वर्षों से ली गई परिचालन परिसंपत्तियों के मूल्य अद्यतन थे। इसके कारण, पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का पुनः विवरण किया गया। इस तरह के प्रतिबंधों का शुद्ध प्रभाव संक्षेप में नीचे दिया गया है,

विवरण	शुद्ध प्रभाव
वृद्धि) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में	73,06.52
(कमी) पूँजी कार्य-प्रगति में	(79,93.57)
(वृद्धि) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में	23.59
(वृद्धि) वर्ष 2017-18 के मूल्यह्रास में	2,68.34
(वृद्धि) वर्ष 2018-19 के मूल्यह्रास में	3,95.12
(कमी) अन्य इक्विटी में	6,63.46
(कमी) प्रति इसक्विटी शेयर उपार्जन में	0.26

30.32 भारतीय लेखा मानक -११६ के संबंध में "पट्टों" का प्रकटीकरण

30.32.9 कंपनी ने कर्मचारियों के लिए पट्टा/किराया पर मकान लिया है। ये पट्टे का आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीनीकरण किया जा सकता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने **41.86** लाख रुपए (पिछले वर्ष **62.67** लाख रुपए) की पट्टा किराए (कुल वसूली) का भुगतान किया है और इस भुगतान को व्यय-वेतन और मज़दूरी शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने कार्यालय भवन पट्टे पर लेने के लिए केरल राज्य आवास बोर्डके साथ एक समझौता किया। यह पट्टा समझौता ३१.१२.१९ को समाप्त कर दिया गया। वर्ष के दौरान कंपनी ने ७३.७३ लाख रुपए (पिछले वर्ष १२४.११ लाख रुपए) का पट्टा किराए का भुगतान किया और भुगतान किए गए पट्टे किराए को - किराया, दरें और कर व्यय शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

30.32.9 पट्टे जिनके तहत कंपनी पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को मानती है और स्वामित्व के अधिकार को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब अधिग्रहण किया जाता है, तो ऐसी परिसंपत्तियों को, उचित मूल्य पर या पट्टे के अंत में न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य में, जो भी कम हो, पूंजीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि पर लाभ और हानि के विवरण में एक सीधी रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी ने पार्टियों को परिचालन पट्टे के आधार पर अपनी विभिन्न परिसंपत्तियों को लाइसेंस दिया है। परिचालन पट्टों से किराए की आय आमतौर पर प्रासंगिक पट्टे की अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त है। जहाँ किराए को केवल कंपनी की अपेक्षित मुद्रास्फीति की लागत में वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप बढ़ाने के लिए संरचित किया जाता है, ऐसे परिवर्तनों को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं।

परिचालन पट्टे के तहत प्राप्य भविष्य की न्यूनतम लाइसेंसिंग राशि नीचे दी गई है;

राशि (रुपए लाखों में)

परिचालन पट्टा	31 मार्च २०२० को	31 मार्च २०१९ को
एक वर्ष से कम नहीं	3,79.95	6,44.43
एक वर्ष से ज़्यादा पाँच वर्षों तक	17,13.70	32,41.50
पाँच वर्ष से अधिक	23,17.91	6,85.34

30.33 भारतीय लेखा मानक-२४ के संबंध में "संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण" का प्रकटीकरण

30.33.1 प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति

30.33.1.1 श्री अल्केष कुमार शर्मा (प्रबंध निदेशक) 25 सितंबर, 2019 से

30.33.1.2 श्री ए पी एम मोहम्मद हनीष (प्रबंध निदेशक) 25 सितंबर, 2019 तक

30.33.1.3 श्री कुमार के आर (निदेशक-वित्त)

30.33.1.4 श्री डी के सिन्हा (निदेशक- प्रणाली)

30.33.1.5 श्री तिरुमन अर्चुनन (निदेशक –परियोजना)

30.33.1.6 श्री अनिल कुमार बी (कंपनी सचिव) (१ जुलाई 2019 तक)

30.33.1.7 श्री श्याम सुंदर अग्रवाल (कंपनी सचिव) (29जुलाई 2019 से)

30.33.2 प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेन-देन का प्रकटीकरण:

राशि (रुपए लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	वेतन एवं भत्ते	1,62.58	1,54.55
2	भविष्य निधि और अन्य में योगदान	17.23	11.84
3	अन्य लाभ	14.72	20.06
	कुल (कर्मचारी लागत में शामिल किया गया है)	**1 94.53**	**186.45**

क) प्रबंध निदेशक, श्री ए पी एम मोहम्मद हनीष दिनांक 25.09.2019 तक केएमआरएल के पेरोल पर थे।

ख) प्रबंध निदेशक, श्री अलकेश कुमार शर्मा दिनांक 25.09.2019 से केएमआरएल के पेरोल पर है।

ग) कंपनी की नीति के अनुसार पूर्ण कालिक निदेशकों को वसूली के अधीन निजी यात्रा के लिए कंपनी के वाहनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

घ) वास्तविक मूल्यांकन में निर्धारित होने से उपदान में योगदान के लिए प्रावधान, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत आदि को उपरोक्त राशि में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक भुगतान को अन्य लाभों में शामिल किया गया है।

30.34 भारतीय लेखा मानक -३६ के संबंध में (परिसंपत्ति का नुकसान) का प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान शून्य (पिछले वर्ष 78,99.11 लाख रुपए) के परिसंपत्ति नुकसान को मान्यता प्राप्त है (नोट संख्या 30.41 को भी देखें)।

30.35 भारतीय लेखा मानक - ३७ के संबंध में "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्ति" का प्रकटीकरण

क. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	01.04.2019 को अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन /हस्तांतरण/उपयोग	31.03.2020 को अंत शेष
प्रावधान	25,24.54	(20,95.92)	428.62
आकस्मिक देयताएँ			
• कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के लिए	511,31.36	(338,81.50)	172,49.87
• केरल सरकार (जीओके) की ओर से केएमआरएल द्वारा प्रारंभिक कार्यों के लिए	21,31.52	77,00.15	98,31.67
• बैंक गारंटी	86.40	55.55	141.95
• वैधानिक प्राधिकारी	73.84	शून्य	73.84
आकस्मिक परिसंपत्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य

31 मार्च 2020 तक, परियोजनाओं से संबंधित कुछ भूमि अधिग्रहण मामले उप-अदालत एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम के पास लंबित हैं।बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के कारण अनुमानित अतिरिक्त देयता, जहां याचिकाकर्ताओं द्वारा दावे के बयान दर्ज किए गए हैं, जो लगभग 110,48.54 लाख रुपए हैं। इसे आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल किया गया है।

इसके अलावा, प्रारंभिक कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के मामले उप न्यायालय, एरणाकुलम और अतिरिक्त जिला न्यायालय एरणाकुलम पर लंबित है, जहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा 97,08.70 लाख रुपए की अनुमानित राशि के लिए दावा किया गया है, को भी आकस्मिक देयताओं के तहत शामिल किया गया है।

शेष मामलों के लिए, दावों के बयान अभी तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर नहीं किए गए हैं और इसलिए केएमआरएल ऐसे संदर्भों के कारण वर्तमान देयता को निर्धारित करने में असमर्थ है। यदि अदालतों के पास लंबित इन मामलों से संबन्धित देयताएं कोई है तो, कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद या अंतिम आदेश प्राप्त होने पर प्रदान की जाएंगी।

प्रारंभिक कार्यों के दावों के संबंध में, इस तरह के प्रारंभिक कार्यों के निष्पादन के लिए केरल सरकार से प्राप्त निधि से भुगतान किया जाएगा।

30.36 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 मापदंड को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए अपने लाभ में से, सी एस आर के खर्चो के लिए राशी व्यय करना अनिवार्य बनाता है। सीएसआर प्रावधान केएमआरएल पर भी लागू होते हैं। चालू वर्ष के दौरान हुए नुकसान के कारण कंपनी ने सीएसआर पर कोई राशि खर्च नहीं की।

30.37 भारतीय लेखा मानक- १०७ के संबंध में "वित्तीय उपकरण: प्रकटीकरण" का प्रकटीकरण

30.37.1 श्रेणियों द्वारा वित्तीय उपकरण

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को			31 मार्च 2019 को		
	परिशोधन लागत	एफ़वीटी पीएल	एफ़वी ओसीआई	परिशोधन लागत	एफ़वीटी पीएल	एफ़वी ओसीआई
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी संख्या 4 एवं 9 देखें)	*550,17.67*	-	–	*684,01.91*	-	–
प्राप्य व्यापार	*13,52.72*	-	–	*7,11.19*	–	-
कुल	**563,70.39**	**-**	–	**691,13.10**	–	**-**
वित्तीय देयताएँ						
उधार (टिप्पणी संख्या 13 एवं 18 देखें)	*3,314,17.05*	-	-	*2,886,97.95*	-	–
अन्य वित्तीय देयताएँ (टिप्पणी संख्या 14 एवं 19 देखें)	*844,63.06*	-	-	*644,61.22*	–	-
कुल	**4,158,80.11**	**-**	**-**	**3,531,59.17**	**-**	**-**

30.37.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी वित्तीय साधनों के संबंध में विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है। कंपनी के वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं का श्रेणीवार विवरण संक्षेप में ऊपर दिए गए हैं। मुख्य प्रकार के जोखिम हैं, बाजार ज़ोखिम, ऋण जोखिम और नकदी जोखिम। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों के लिए जोखिम को कम करके मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह के लिए कंपनी की सक्रियता पर केंद्रित है।

सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिसके बारे में कंपनी को पता चला है, नीचे उल्लिखित हैं:

बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम के रूप में कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम है। इसके अलावा कंपनी के पास मूल्य जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है। केएमआरएल ने किसी भी राशि को विदेशी विनिमय दर भिन्नता के रूप में मान्यता नहीं दी है, क्योंकि, विदेशी मुद्रा पर किसी भी विनिमय दर भिन्नता, केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। कंपनी को विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए इस जोखिम से निपटना पड़ता है, उदाहरण के लिए, ग्राहकों से प्राप्य को अग्रिम राशि के रूप में कर्मचारियों को देकर, सुरक्षा जमा आदि। रिपोर्ताधीन तिथि पर ऋण जोखिम केलिए मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की राशि ले जाने से होता है।

- प्राप्य व्यापार
- परिशोधित लागत पर मापने वाले अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी लगातार ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की निगरानी करती है, व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचान की गई,और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल किया जाता है। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध है, बाहरी ऋण रेटिंग और/ ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त और उपयोग की जाती है।

नकदी जोखिम

कंपनी की नकदी जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के नकद के प्रमुख स्रोत परिचालन से उत्पन्न राजस्व, बाहरी वाणिज्यिक दीर्घकालिक उधार, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूँजी और उपदान हैं।

कंपनी अपनी नकदी जरूरतों का प्रबंधन नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखने से करती हैं। कुल नकद आवश्यकताओं की तुलना किसी भी कमी को निर्धारित करने के लिए उपलब्ध नकदी से की जाती है।

लघु अवधि की नकदी आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी बकाया, बाहरी उधारी

और प्रतिधारण पर वर्तमान परिपक्वता और ब्याज एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के रूप में व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली के दौरान उत्पन्न होने वाली जमा आदि शामिल है। अपनी अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक बकाया में पर्याप्त संतुलन बनाए रखा जाती है।

कंपनी दीर्घकालिक नकदी आवश्यकताओं का आकलन नियत कालीन आधार पर करती है और उन्हें आंतरिक वास्तविकता के माध्यम से प्रबंधित करती है। कंपनी की गैर-चालू देयताओं में बाहरी उधार की अदायगी, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, कर्मचारी लाभ के लिए प्रतिधारण और जमा और देयताएँ आदि शामिल है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

प्राप्य व्यापार

कंपनी के पास बकाया प्राप्य व्यापार (सकल) मार्च 31, 2020 और मार्च 31, 2019 के लिए क्रमशः 15,12.25 लाख रुपए और 7,11.19 लाख रुपए हैं। प्राप्य व्यापार आमतौर पर असुरक्षित होते हैं और यह ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं।ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेने से व्यापार प्राप्तियों से संबंधित ऋण जोखिम को कम किया जाता है। कंपनी देनदारों की ऋण योग्यता पर बारीकी से नज़र रखती है और केवल ऋण के लिए योग्य पार्टियों के साथ समझौता करती है। कंपनी की आंतरिक प्रणालियों को ग्राहकों की ऋण सीमा को परिभाषित करने के लिए बना दिया गया है, जिससे पूर्व-परिकलित राशियों के लिए ऋण जोखिम सीमित हो जाता है।

कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर कोविड-19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुसार अनुमान से अलग हो सकता है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की निरंतर निगरानी कर रही है,

चूंकि कोविड-19 का प्रभाव मूल्यांकन, जो इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए है एक सतत प्रक्रिया लगती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अन्य वित्तीय परिसंपत्ति, जिसमें कर्मचारियों और अन्य लोगों के ऋण और अग्रिम शामिल हैं, को परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

अपेक्षित ऋण हानियाँ - कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:

प्राप्य व्यापार :

व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियों के लिए कंपनी द्वारा किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर जब पुनर्प्राप्ति को संदिग्ध माना जाता है तो प्राप्य व्यापार की हानि होती है। कंपनी ऐसा मानती है कि उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियां जिसकी हानि नहीं हुई है और समीक्षा के तहत प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथियों के कारण अच्छी ऋण गुणवत्तावाले हैं। कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित ऋण हानि के रूप में 159.53 लाख रुपए की राशि का अनुमान लगाया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों का आयु विश्लेषण संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च २०२० को		31 मार्च २०१९ को	
	सकल	हानि	सकल	हानि
समय पर देय नहीं किया गया	2,99.27	-	89.15	-
तीन महीने से भी कम समय में देय	4,89.16	-	4,65.66	-
तीन महीने से अधिक पर देय, छह महीने से अधिक नहीं	4,23.22	-	44.20	-
छह माह से अधिक समय से देय	3,00.60	1,59.53	1,12.18	-
कुल	**15,12.25**	**1,59.53**	**7,11.19**	**-**

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी मात्रा की निरंतरता की निगरानी के द्वारा किया जाता है, जबकि एक ही समय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर हो।मध्यस्थता के तहत संविदा से संबंधित बकाया ऋणों के लिए १५९.५३ लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

जमा हानि के ऐतिहासिक पैटर्न के अलावा, कंपनी ने कोविड-१९ के कारण उभरती स्थितियों पर भी विचार किया है। यह मूल्यांकन किसी गणितीय मॉडल पर आधारित नहीं है लेकिन एक आकलन ग्राहकों की वित्तीय ताकत पर विचार करने के लिए कि किसकी राशि प्राप्य है।

परिसंपत्तियों के प्रकार के आधार पर, प्रबंधन की राय है कि ऊपर कथित के अलावा परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर कोई संभावित प्रभाव नहीं है। कंपनी उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथियों के रूप में अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता का मानती है। तदनुसार, इन वित्तीय परिसंपत्तियों के खिलाफ रिपोर्टाधीन तिथि में कोई अन्य हानि प्रावधान नहीं हैं। कंपनी की समीक्षा जारी रहेगी और, जब भी और जिस तरह की आवश्यकता होगी, उस समय हानि के प्रावधान पर विचार किया जाएगा।

30.38 भारतीय लेखा मानक - १०८ के संबंध में, "परिचालन खंड" का प्रकटीकरण

कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य व्यावसायिक क्षेत्र है, जो कोच्ची शहर में एक मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण और संचालन को लागू कर रहा है। अन्य परिचालन राजस्व में; आय परामर्श, पट्टे पर दिए जगह से किराए के रूप में अर्जित आय (स्टेशन और स्टेशन के बाहर), शामिल है, संपत्ति विकास परिसंपत्ति के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्णय लेने और प्रदर्शन मापन प्रक्रिया के तहत कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

तदनुसार, वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने वाली राशि कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

30.39 पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रकटीकरण

राशि (रुपए लाखों में)

पूंजी और अन्य प्रतिबद्धता	31.03.2020 को	31.03.2019 को
केएमआरएल की ओर से डीएमआरसी (अग्रिमों के विदेशी मुद्रा संविदा सहित) द्वारा मूर्त परिसंपत्ति अनुबंधों की अनुमानित राशि दर्ज की गई शेष निष्पादित किया जाना है और इसके लिए प्रदान नहीं किया गया है।	192,71.80	431,07.98
केएमआरएल अनुबंधों (कुल अग्रिम) द्वारा दर्ज किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि को निष्पादित किया जाता हैऔर शेष प्रदान नहीं किया जाएगा		
क. मूर्त परिसंपत्ति	289,20.16	33,22.14
कुल	**481,91.96**	**464,30.12**

पार्टियों के कुछ जमा/ऋण बकाया पुष्टीकरण और समायोजन के अधीन हैं। परिणामी प्रभाव यदि कोई है, तो उसका पता नहीं चलता है।

30.40 सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों को बकाया

31 मार्च, 2020 तक, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया के रूप में 7,19.44 लाख रुपए की राशि शेष है। उसी का कोई ब्याज बकाया या देय नहीं है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए देय राशी

राशि (रुपए लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रत्येक लेखांकित वर्ष के अंत में मूलधन राशि और देय ब्याज किसी भी आपूर्तिकर्ता के लिए बकाया नहीं है		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	शून्य	201.00
उपरोक्त को देय ब्याज	शून्य	शून्य
	शून्य	201.00
खरीदार द्वारा एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की मात्रा के साथ दिए गए ब्याज की राशि प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे देय राशि	शून्य	शून्य
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
शेष ब्याज की बकाया और आगे की वर्षों में भी देय राशि, ऐसी तिथि तक जब उपरोक्त ब्याज वास्तव में छोटे उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अप्रभाव के प्रयोजन के लिए भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम से संबंधित उपरोक्त जानकारी उद्यमों को हद तक निर्धारित किया गया है ऐसी पार्टियों की पहचान कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है। इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

30.41 राज्य में हुए बाढ़ से हुए बीमा दावे के संबंध में प्रकटीकरण

रिपोर्टाधीन वर्ष 2018-19 के दौरान, अलुवा स्टेशन, कंपनीपड़ी स्टेशन और मुट्टम यार्ड में स्थापित कुछ परिसंपत्तियाँ, दिनांक 15 अगस्त 2018 से 20 अगस्त 2018 तक की अवधि के दौरान कोच्ची सहित केरल राज्य में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। क्षतिग्रस्त संयंत्र, परिसंपत्तियों और उपकरणों की मरम्मत और पुनर्स्थापना कार्य और प्रतिस्थापन और इनमें से अधिकांश कार्य डीएमआरसी के माध्यम से किए जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान केएमआरएल ने 78,99.11 लाख रुपए की सीमा तक की हानि का पहचान की है।

क्षतिग्रस्त कार्य प्रगति और परिसंपत्तियों के दायरे में हैं, चालू वर्ष के दौरान जिसे खाता बहियों में पुनर्स्थापित और पूंजीकृत किया है, दावा निपटान का अंतिमीकरण लंबित है, चालू वर्ष के दौरान केएमआरएल को बीमा कंपनी से 30,00 लाख रुपए (पिछले वर्ष 20,00 लाख रुपए) का अंतरिम भुगतान प्राप्त हुआ है, दिनांक 31 मार्च 2020 तक कुल राशि 50,00 लाख रुपए थी। बीमा कंपनी द्वारा दावे के लंबित निपटान से, केएमआरएल को दिनांक 31 मार्च, 2020 को 50,00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसे दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है, तुलन पत्र में इसे टिप्पणी सं.20 के "अन्य चालू देयताओं" के तहत दिखाया गया है।

केएमआरएल अपने परिसंपत्ति मूल्य पर किसी भी महत्वपूर्न के प्रभाव की उम्मीद नहीं करता है, चालू आधार पर आय और अपनी शुद्ध आय को बनाए रखा है। पुनर्स्थापन कार्यों से मेट्रो के संचालन प्रभावित नहीं हुआ हैं।

30.42 हाल की लेखा मत

निगमित मामला मंत्रालय ("एमसीए") ने मौजूदा मानकों के लिए नए मानकों और संशोधनों को अधिसूचित किया है। दिनांक 1 अप्रैल 2020 से ऐसी कोई अधिसूचना लागू नहीं है।

30.43 चालू वर्ष के प्रस्तुति से तुलनीय बनाने हेतु जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: एकत्रित/ पुनः व्यवस्थित / पुनर्गठित किया गया है।

समसंख्यक तिथि के हमारे संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते वेंकिटाचलम अय्यर एवं को.*
शासनपत्रित लेखाकार
एफ़आरएन: **004610S**
यूडीआईएन: **20232723AAAABQ3007**

ह0/-
विष्णु मोहन
सहभागी
सदस्यता सं.: **232723**

स्थान : कोच्ची
तिथि : 28.07.2020

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/-
अलकेश कुमार शर्मा
प्रबंध निदेशक

ह0/-
कुमार के आर
निदेशक (वित्त)

ह0/-
श्याम सुंदर अग्रवाल
कंपनी सचिव

स्थान: तिरुवनंतपुरम
तिथि: 28.07.2020

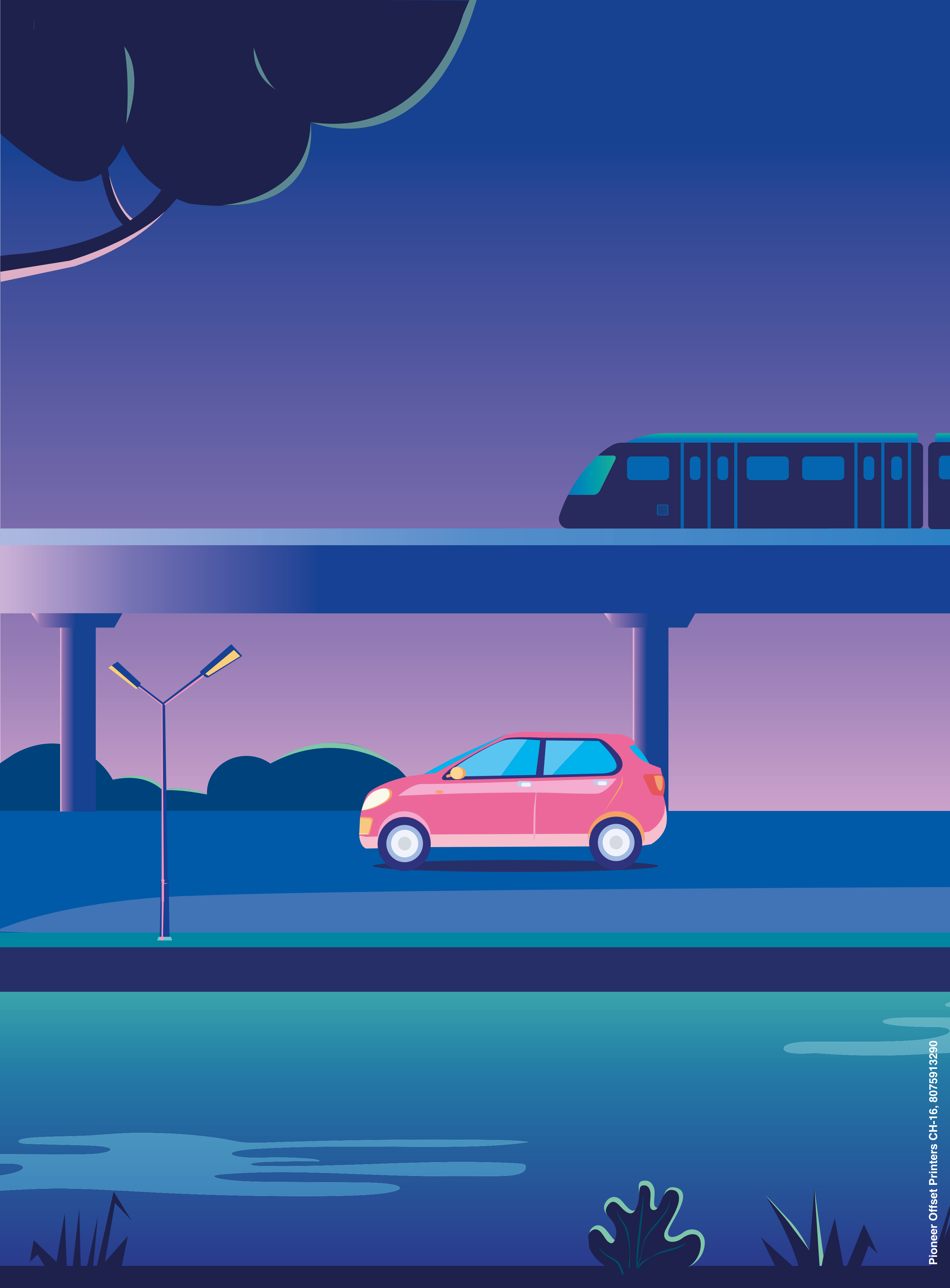

Pioneer Offset Printers CH-16, 8075913290